

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav


वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 ANNUAL REPORT



स्पाइसेस बोर्ड
भारत


स्पाइसेस बोर्ड
SPICES BOARD

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोच्ची / Kochi 682 025



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड



वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सुगंध भवन, पी.बी. नं : 2277, एन.एच.बैपास, पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची - 682 025, केरल, भारत. फोन : 91-484-2333610-616

ई-मेल : mail.sboard@gov.in | वेबसाइट : www.indianspices.com

संकलन एवं संपादन

डॉ जोजी मात्यू

उप निदेशक

श्री नितिन जो

उप निदेशक

श्री टी.पी. प्रत्यूष

उप निदेशक

श्री बिजू डी. षेणाई

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

सुश्री अनीनामोळ पी.एस.

संपादक

तकनीकी समर्थन

श्री आर. जयचंद्रन

ईडीपी सहायक

विषय सूची

कार्यकारी सारांश	5
1 संघटन और प्रकार्य	8
2 प्रशासन	11
3 वित्त और लेखा	17
4 निर्यातोन्मुख उत्पादन	18
5 निर्यात विकास और संवर्धन	27
6 व्यापार सूचना सेवा	34
7 प्रचार एवं संवर्धन	41
8 कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप	43
9 गुणवत्ता सुधार	45
10 निर्यातोन्मुख अनुसंधान	49
11 सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण	55
12 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	56

परिशिष्ट

- 1** अनुबंध 1- सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2020-21 के खंड





कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन तत्कालीन इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय के साथ 26 फरवरी 1987 को गठित सांविधिक संगठन, स्पाइसेस बोर्ड, 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात के संवर्धन और इलायची (छोटी और बड़ी) के विकास के लिए उत्तरदायी है। स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन के लिए एक अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए संचालित गतिविधियों की अगुवाई कर रहा है, ताकि भारतीय मसाला उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनने तथा वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ और मूल्यवर्धित मसालों और शाकों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सके।

बोर्ड का अधिदेश प्रथमतः मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात हेतु मसालों की गुणवत्ता नियमित करने के लिए है। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रकोप जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई भारी मंदी के बावजूद, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने मसाले के निर्यात में वृद्धि बनाए रखी है और इसने मसाला निर्यात के इतिहास में पहली बार **3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के लक्ष्य को पार कर लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान के 22,062.80 करोड़ रु. (3,110.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्यवाले 12,08,400 टन निर्यात की तुलना में, वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमानित निर्यात 27,193.20 करोड़ रु. (3,624.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्यवाला 15,65,000 टन रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान मसाले का निर्यात मात्रा और मूल्य, दोनों के संदर्भ में एक सर्वकालिक रिकॉर्ड था। वर्ष 2019-20 की तुलना में, निर्यात के मूल्य में 23 प्रतिशत और मात्रा में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। डॉलर के संदर्भ में, यह वृद्धि 17 प्रतिशत है।

वर्ष 2020-21 में भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात विश्व स्तर पर 180 गंतव्य स्थानों में किया गया। उनमें से प्रमुख देश चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और जर्मनी हैं। इन नौ देशों ने वर्ष 2020-21 के दौरान कुल निर्यात आय में 70 प्रतिशत से अधिक का

योगदान दिया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, मिर्च, देश से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला एकमात्र मसाला रहा, जिसके बाद पुदीना उत्पाद, जीरा, मसाला तेल व तैलीराल और हल्दी आते हैं जो देश के कुल मसालों के निर्यात का 80 प्रतिशत आता है।

स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान मसालों के निर्यातक के रूप में 1,512 पंजीकरण प्रमाणपत्र (CRES) जारी किए। इस अवधि के दौरान आसानी से कार्य करने के भाग के रूप में पेयमेंट गेटवे सहित निर्यातकों के पंजीकरण के लिए एक संपूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई थी; अब सीआरईएस बोर्ड के आठ प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से जारी किया जाता है।

बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान 18 आभासी क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन किया जिनमें प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों में आयोजित 17 क्रेता-विक्रेता बैठकें और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (मिस्र) शामिल हैं। इन क्रेता-विक्रेता बैठकों में हल्दी, मिर्च, जायफल व जावित्री, बीजीय मसाले, केसर, अदरक, कालीमिर्च और इलायची (छोटी और बड़ी) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल को शामिल किया गया। इन क्रेता-विक्रेता बैठकों में लगभग 2,200 कृषकों/कृषक दलों तथा 500 मसाला निर्यातकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन क्रेता-विक्रेता बैठकों ने कृषकों एवं कृषक समूहों और संस्थागत खरीददारों/निर्यातकों के बीच सीधा बाजार संबंध स्थापित करने में मदद की जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को हटाते हुए निर्यात हेतु मसालों की खरीद के लिए सीधा रास्ता खोल दिया।

बोर्ड के कार्यालयों ने मसाले निर्यात व्यवसाय में अधिक उद्यमियों को लाने, मसाला व्यापार में एकीकृत मूल्य श्रृंखला स्थापित करने और मसालों के निर्यात में चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य के साथ नए उद्यमियों, निर्यातकों और मसालों के अन्य पणधारियों के लिए 12 ऑनलाइन कार्यक्रम / वेबिनार भी आयोजित किए। ये ऑनलाइन कार्यक्रम नबार्ड, एपीडा, एमओएफपीआई, एसएबीसी, डीजीएफटी, डीजीआरटी, एनआरसीएसएस,

स्पाइसेस बोर्ड

आरएसएमबी, एमएसएमई, आईसीसी, एफआईसीसीआई आदि के सहयोग से आयोजित किए गए थे। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों से 1,258 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

बोर्ड ने वर्ष के दौरान 50 इलायची ब्यौहारी लाइसेन्स जारी किए। अप्रैल 2020-मार्च 2021 के दौरान इलायची (छोटी) की कुल 19,373 मी.ट. की मात्रा बोर्ड के इ-नीलामी केन्द्रों के ज़रिए बेची गई।

अवधि के दौरान, बोर्ड ने पाँच आभासी प्रदर्शनियों सहित नौ घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया।

गान्तोक में सिक्किम मसाला कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की परियोजना को टीआईईएस के अधीन अनुमोदित किया गया था। मंत्रालय द्वारा मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए टीआईईएस के अधीन पहली किस्त के रूप में 8.87 करोड़ रुपए की राशि निर्मोचित की गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान इलायची (छोटी) तथा इलायची (बड़ी) का उत्पादन क्रमशः 22,520 मी.ट. तथा 8,803 मी.ट. रहा।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजना अर्थात 'मसालों के निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान एवं विकास के लिए एकीकृत योजना' स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ) योजना (2017-18 से 2019-20) के अंतर्गत 491.78 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के लिए अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2020-21 में 120 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय के खिलाफ एमटीएफ का कार्यान्वयन जारी रहा। बोर्ड को 100.65 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी और कुल खर्च 106.12 करोड़ रुपए था।

स्पाइसेस बोर्ड की 88 वीं तथा 89 वीं बोर्ड-बैठकें क्रमशः 03 सितंबर, 2020 एवं 05 नवंबर, 2020 को कोच्ची में ऑनलाइन के ज़रिए सम्पन्न हुई थीं।

स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य वसूली और व्यापक विपणि प्राप्त करने के लिए और उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रमुख उत्पादन / विपणि केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्कों की स्थापना की है। पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और भंडारण का एक

एकीकृत संचालन करना है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भाप विसंक्रमण आदि के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं से किसानों को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार बेहतर मूल्य वसूली में परिणत होगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी मसाला पार्कों को फूड पार्क/मेगा फूड पार्क के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। कोच्ची, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतिकोरिन और कांडला में स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने वर्ष के दौरान, चुने हुए मसालों के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं और निर्यात परेषणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन कार्य जारी रखा। कोलकाता में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है और यह पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न पणधारियों की गुणवत्ता विश्लेषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एलसी-एमएस/एमएस, 12 पोसिशन पंप, हाई स्पीड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, हॉट एयर ओवन इत्यादि जैसे विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने एफ़्लाटॉक्सिन, अवैध रंजक, नाशीजीवनाशी अवशेष, सालमोनेला आदि सहित मसाला नमूनों के 86,467 पैरामीटरों का विश्लेषण किया।

स्पाइसेस बोर्ड ने सरुदी अरब को इलायची (छोटी) के निर्यात के लिए नाशीजीवनाशियों की अनिवार्य जांच की शुरुआत की। वर्ष के दौरान निर्यातकों को कुल 21,364 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और 2,705 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए गए। बोर्ड ने आयात अलर्ट की निगरानी की और अनुवर्ती कार्रवाई की। बोर्ड ने विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों से हल्दी के नमूनों में भारी धातुओं और करक्यूमिन का भी विश्लेषण किया।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में परीक्षण के दायरे अधिक सूक्ष्मजीववैज्ञानिक पैरामीटरों, जो स्वचालित, द्रुत वैधीकृत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं, उनको शामिल करते हुए संशोधित किया गया है।

“मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फ़सलोत्तर सुधार” कार्यक्रम के अधीन इलायची (छोटी) के किसानों को 1935.20 हेक्टर पुनःरोपण के लिए तथा 98.80 हेक्टर पुनर्युवन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। बड़ी इलायची के कुल 1,865.71 हेक्टर क्षेत्र पुनःरोपण/

पुनर्युवन के अंतर्गत लिए गए। बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं में छोटी इलायची की कुल 3.71 लाख रोपण सामग्रियों का उत्पादन किया गया और उन्हें किसानों को वितरित किया गया। प्रमाणित पौधशाला योजना के अंतर्गत, किसानों को छोटी इलायची के 26.75 लाख पादपों और बड़ी इलायची के 17.85 लाख पादपों/अंतर्भूस्तरियों के उत्पादन के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। छोटी इलायची के लिए 42 सुधरी क्यूरिंग हाउसों और बड़ी इलायची हेतु 62 संशोधित भट्टियों के लिए किसानों को सहायता प्रदान की गई है।

कटाई-उपरांत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, 85 बीजीय मसाला श्रेणर, 242 कालीमिर्च श्रेणर, 100 हल्दी स्टीम बॉयलिंग इकाइयां, 70 हल्दी पॉलिशिंग इकाइयां, 92 जायफल ड्रायर्स और 20 पुदीना आसवन इकाइयां स्थापित करने के लिए मसाला कृषकों को सहायता प्रदान की थी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, छह जैविक बीज बैंक और 542 केंचुआ कम्पोस्टिंग यूनिट की स्थापना हेतु सहायता दी थी।

चूंकि क्षेत्र में कार्यरत बोर्ड का विस्तार नेटवर्क कोई भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए, अतः अच्छे कृषि कार्य (जीएपी), गुणवत्ता सुधार आदि पर सूचना के प्रसार के लिए 313 आभासी वेबिनार/सम्मेलन आयोजित किए गए।

स्पाइसेस बोर्ड, मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और भारत की ओर से इसके सत्रों का आयोजन करता है। सीसीएससीएच का पाँचवाँ सत्र अप्रैल 2021 के दौरान आभासी रूप में आयोजित होने वाला है। समिति का भौतिक सत्र, जो शुरू में सितंबर 2020 के दौरान आयोजित होने वाला था, दुनिया भर में चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। स्पाइसेस बोर्ड का कोडेक्स सेल आयोजन सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आगामी सत्र के लिए तैयारी कार्य किए गए। आगामी आभासी सत्र के आयोजन के लिए

कोडेक्स सचिवालय, रोम और राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी), एफएसएसएआई, नई दिल्ली के साथ गतिविधियों के समन्वय के अलावा, कोडेक्स सेल वर्तमान में समिति के तहत मानकों के प्रारूपण से संबंधित तकनीकी कार्यों में भी सहायता कर रहा है।

कोविड-19 महामारी के कारण, बोर्ड क्षेत्र में स्पाइस विलनिक के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सका और इनका वेबिनार के रूप में ऑनलाइन आयोजन किया गया। विभिन्न मसालों की उन्नत खेती के तरीकों पर चौबीस वेबिनार आयोजित किए गए और भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) द्वारा प्रबंधित दो व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से 490 किसानों को परामर्श सेवाएं दी गईं।

बोर्ड ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें समुचित रूप से संचालित किया है तथा बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया है और इस कार्य की निगरानी भी की है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम और अन्य आदेशों के अनुसार, बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को और अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयासों को वर्ष 2020-21 के दौरान भी जारी रखा है।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने स्वतः प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना को उस रूप और तरीके से प्रदर्शित किया है कि वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ है [आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)]। वर्ष 2020-21 के दौरान, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 96 आरटीआई आवेदन और 16 अपीलें प्राप्त हुई थीं तथा सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान कर दी गई। ■

1

संघटन और प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुड़े मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 से अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

- क) अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी
- ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं
- ग) केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य:
 - (i) वाणिज्य
 - (ii) कृषि; एवं
 - (iii) वित्त;
- घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य।;
- ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;
- च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;
- छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य:
 - (i) योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);
 - (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई;
 - (iii) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूरु;
 - (iv) भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिककोड;
- ज) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य।

इ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं:

क) बोर्ड:

- (i) मसालों का विकास, प्रचार एवं निर्यात-नियमन करें;
- (ii) मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;
- (iii) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम व परियोजना चलाएं;
- (iv) मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की गुणवत्ता तकनीक के सुधार के लिए अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;
- (v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य के स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास करें;
- (vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यातलायक मसालों का "गुणवत्ता-चिह्न-कन" द्वारा गुणवत्ता-प्रमाणीकरण करें;
- (vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;
- (viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित निबंधनों व शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करें;
- (ix) निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;
- (x) मसालों के लिए विदेशों में भंडागार सुविधाएं प्रदान करें;
- (xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक सांख्यिकी इकट्ठा करें;
- (xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री के लिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

(xiii) मसालों के आयात-निर्यात संबंधी बातों पर केंद्रीय सरकार को सलाह दे दें।

ख) साथ ही, बोर्ड:-

- (i) इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दें;
- (ii) इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;
- (iii) इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें;
- (iv) इलायची की बिक्री को विनियमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;
- (v) इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड मानदण्डों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;

(vi) इलायची के उपभोग को बढ़ावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को जारी रखें;

(vii) इलायची के (नीलामकर्त्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और अनुज्ञप्ति दें;

(viii) इलायची के विपणन में सुधार करें;

(ix) इलायची उद्योग से जुड़े किसी भी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आँकड़ा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित करें;

(x) श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यकारी परिस्थितियाँ और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और

(xi) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएँ, उनके लिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।


ग) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूचि में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं:-

1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बे-पत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूवेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मर्जोरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री(मेस)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	सेलरी	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन (मसाले का पौधा)	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होर्स-रैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लौंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	केंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)

स्पाइसेस बोर्ड का ऑर्गेनोग्राम



2

प्रशासन

अ) प्रशासन

वर्ष 2020-21 के दौरान, श्री सुभाष वासु 11 सितंबर, 2020 तक अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड के रूप में बने रहे। श्री डी. सत्यन आईएफएस ने सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के रूप में कार्य करना जारी रखा और 28 सितंबर, 2020 से अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड के रूप में भी कार्यभार संभाला।

सुश्री ए. पैनामोळ आईएएस निदेशक (वित्त) के रूप में 22 फरवरी, 2021 तक बनीं रहीं। श्री पी.एम. सुरेश कुमार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक (प्रशासन) के रूप में बने रहे और निदेशक (विपणन) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

डॉ. रमा श्री ए.बी. निदेशक (अनुसंधान) के रूप में बनीं रहीं और इस अवधि के दौरान उन्होंने निदेशक (विकास) और 23 फरवरी, 2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही पुनर्गठन प्रस्ताव में स्वीकृत लक्षित कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है। जैसेकि 31 मार्च, 2021 को है, 379 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 296 है जिसमें 81 वर्ग 'क', 107 वर्ग 'ख' और चार विभागीय कैटीन कर्मचारी सहित 108 वर्ग 'ग' शामिल हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने 140 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है और 26 पात्र कर्मचारियों को एमएसीपी प्रदान किया है। बोर्ड ने निर्यात संवर्धन गतिविधियों को समर्थन देने के लिए तीन विपणन सलाहकारों को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 55 से अधिक बेरोजगार युवाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवा, आईटी समर्थन और प्रचार विभाग तथा पुस्तकालय में शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2021 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में 163 पदाधिकारी (अ.पि.व.-87, अ.जा.-43 और अ.ज.जा.-33) थे। स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम की स्वीकृति लम्बित होने के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2021 को है, बोर्ड की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 81 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियां/समस्याएं, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

ग) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया जा है।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया है। सरकार के निदेशानुसार बोर्ड द्वारा

स्पाइसेस बोर्ड

दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण भी लागू किया गया है।

ड) बोर्ड के कार्यालय

बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में 90 कार्यालय हैं जिनमें 25 निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए 45 विकास कार्यालय, आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.), चार अनुसंधान स्टेशन और आठ मसाला पार्क शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे:

i) निर्यात संवर्धन कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	पडेरु	आंध्र प्रदेश
2	वारंगल	आंध्र प्रदेश
3	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
4	गुवाहटी	असम
5	पटना	बिहार
6	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
7	नई दिल्ली	दिल्ली
8	पोंडा	गोआ
9	अहमदाबाद	गुजरात
10	ऊँझा	गुजरात
11	उना	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
13	बैंगलूरु	कर्नाटक
14	मुंबई	महाराष्ट्र
15	शिलाँग	मेघालय
16	आइज़ॉल	मिज़ोरम
17	कोरापुट	उड़ीसा
18	जोधपुर	राजस्थान
19	चेन्नई	तमिलनाडु
20	नागरकोविल	तमिलनाडु
21	निज़ामाबाद	तेलंगाना
22	हैदराबाद	तेलंगाना

23	अगरतला	त्रिपुरा
24	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
25	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

ii) विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का विकास		
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	अडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्पेट्टा	केरल
4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	नेडुंकण्डम	केरल
7	पांपाडुम्पारा	केरल
8	पीरमेड	केरल
9	पुट्टुडी	केरल
10	राजाक्काड	केरल
11	राजकुमारी	केरल
12	शांतनपारा	केरल
13	उडुन्पनचोला	केरल
14	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
15	इरोड	तमिलनाडु
16	बत्तलगुंडु	तमिलनाडु
17	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
18	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक
19	बेलिगेरी (फार्म)	कर्नाटक
20	बेट्टडामने (फार्म)	कर्नाटक
21	सकलेशपुर	कर्नाटक
22	हावेरी	कर्नाटक
23	कोप्पा	कर्नाटक
24	मडिककेरी	कर्नाटक
25	मुडिगेरे	कर्नाटक
26	शिवमोगा	कर्नाटक

27	सिरसी	कर्नाटक
28	सोमवारपेट	कर्नाटक
29	वनगूर	कर्नाटक
30	येसलूर(फार्म)	कर्नाटक

बड़ी इलायची का विकास

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
2	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
3	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
4	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
5	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
6	दीमापुर	नागालैंड
7	कोहिमा	नागालैंड
8	गान्तोक	सिक्किम
9	गेयसिंग	सिक्किम
10	जोरथांग	सिक्किम
11	काबी (फार्म)	सिक्किम
12	मंगन	सिक्किम
13	पांगथांग (फार्म)	सिक्किम
14	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
15	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल

iii) अनुसंधान स्टेशनें

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	मैलाडुंपारा	केरल
2	डोनिगल-सकलेशपुर	कर्नाटक
3	ताडियनकुडिशि	तमिलनाडु
4	तादोंग	सिक्किम

iv) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्रा प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल

4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तूतिकोरिन	तमिलनाडु
8	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

v) मसाला पार्क

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्रा प्रदेश
2	पुट्टुडी	केरल
3	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	रामगंज मंडी (कोटा)	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

च) वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्धियां

1. उत्पादों व सेवाओं की अधिप्राप्ति

सुरक्षा, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि सभी आउटसोर्स की गई सेवाएँ, सरकार-ई-बाज़ार, जेम (GeM) के ज़रिए के ज़रिए अधिप्राप्त की गई। कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेखन-सामग्रियाँ आदि जैसे उत्पाद भी जेम के ज़रिए खरीदे गए हैं (कुल खरीद का 70 प्रतिशत से अधिक जेम के ज़रिए किया गया)।

2. स्वच्छ भारत मिशन कार्यकलापों का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी कार्यकलाप सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए और फोटो सहित रिपोर्टें मंत्रालय को अग्रेषित की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप चलाए गए गए:

- क) स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम (2 सत्र, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए एक और बोर्ड के अधिकारियों के लिए एक)
- ख) दो अक्टूबर, 2018 से दो अक्टूबर, 2020 तक दो साल की अवधि के लिए महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह



- ग) दिनांक 11 सितंबर, 2020 से दो अक्तूबर, 2020 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का पालन
- घ) गांधी जयंती पर कार्यालय परिसर में एक विशेष सफाई अभियान

3. राष्ट्रीय महत्ववाले दिनों का मनाया जाना :

स्पाइसेस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के दिन मनाए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे निम्नलिखित दिन मनाए गए :-

- क) आतंकवाद-विरोधी दिवस
ख) विश्व तंबाकू निषेध दिवस
ग) योगा दिवस
घ) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस आदि राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवस

छ) कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय

कार्यालय में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए गए;

- क) कार्यालय के प्रवेश द्वार पर तापमान की जाँच करना
ख) कार्यालय परिसर में हाथ सैनिटाइज़ करने की सुविधा
ग) सभी स्टाफ सदस्यों को सैनिटाइज़र का वितरण
घ) जब कार्यालय में कोविड पॉजिटिव होने के मामलों का पता चला तो कार्यालय परिसर का सैनिटाइज़िंग
ङ) यात्रा के बाद कार्यालय के वाहनों का सैनिटाइज़िंग
च) कोविड-19 महामारी के संबंध में मंत्रालय के सभी नियमों और निदेशों का पालन

ज) वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान दो बोर्ड-बैठकों का आयोजन किया जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- क) स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में 3 सितंबर, 2020 को 88 वीं बोर्ड-बैठक
ख) विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 05 नवंबर, 2020 को 89 वीं बोर्ड-बैठक

झ) बाहरी कार्यालयों का अनुरक्षण

कोच्ची में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय और देश भर के 90 कार्यालयों, जिनमें 25 निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी और बड़ी इलायची के लिए 45 विकास कार्यालय, 8 गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), 4 अनुसंधान स्टेशन और 8 स्पाइस पार्क शामिल हैं, का अनुरक्षण किया गया।

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल पॉइंट है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2020-21 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

1) प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां:

(i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टे:) किया गया:

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञापित, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि
- वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2019-20 और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें
- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को स्मृति-चिह्न के लिए सामग्री
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए सामग्रियाँ जैसेकि बैनर, बैकड्रॉप, निमंत्रण-कार्ड, कार्यक्रम शीट आदि

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

1) राजभाषा कार्यान्वायन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमशः 26 जून, 2020 (अप्रैल - जून, 2020), 30 सितंबर, 2020 (जुलाई - सितंबर, 2020), 18 दिसंबर, 2020 (अक्टूबर - दिसंबर, 2020) और 16 मार्च, 2021 (जनवरी - मार्च, 2021) को आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता सचिव महोदय द्वारा की गई।

2) हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के अधिकारियों के लिए 4 दिसंबर, 2020 को एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. पी.आर. हरीन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), दूरदर्शन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल ने कार्यशाला का संचालन किया। कार्यशाला में मुख्यालय के साथ-साथ बाहरी कार्यालयों के लगभग 60 अधिकारियों ने भाग लिया। राजभाषा अनुभाग द्वारा 10 मार्च, 2021 को सभी बाहरी कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। उन्हें राजभाषा नीति के साथ-साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बोर्ड की क्रियाकलापों से अवगत कराया गया, ताकि जांच-बिन्दुओं का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

3) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार 'डेली हिन्दी मिलाप' और सरिता व वनिता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा जारी रखा।

4) राजभाषा निरीक्षण

श्री बट्टी यादव, सहायक निदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उ.पू. क्षेत्र), गुवाहटी द्वारा 9 सितंबर, 2020 को स्पाइसेस बोर्ड के मंडल कार्यालय आइज़ोल का एक ऑनलाइन निरीक्षण किया गया था। प्रभारी अधिकारी, मंडल कार्यालय आइज़ोल ने गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, उसके बाद कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की गई। श्री अजय मलिक, उप निदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र-2), गाजियाबाद द्वारा 8 फरवरी, 2021 को बाराबंकी क्षेत्रीय कार्यालय का ऑनलाइन माध्यम से राजभाषा निरीक्षण किया गया।

5) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2020

14 सितंबर, 2020 को 'हिन्दी दिवस' का आयोजन किया गया। 14-28 सितंबर, 2020 तक के हिन्दी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन सत्र उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित किया गया था। मुख्यालय के साथ-साथ पूरे भारत के बाहरी कार्यालयों के सभी स्टाफ सदस्यों ने वीसी में भाग लिया। हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2020 का औपचारिक उद्घाटन श्री डी. सत्यन आईएफएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किया गया। श्रीमती ए. शैनामोळ आईएएस, निदेशक (वित्त), श्री पी.एम. सुरेश कुमार, निदेशक (प्रशासन एवं विपणन), डॉ. ए.बी. रमा श्री, निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) ने आशीर्वाद भाषण दिया। हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2020 के सिलसिले में, देश भर में स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की थीं। सक्रिय भागीदारी के ज़रिए बोर्ड के अधिकारियों की अच्छी प्रतिक्रिया से इस कार्यक्रम ने एक शानदार सफलता हासिल की।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सितंबर, 2020 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े/माह समारोहों के संबंध में, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को हिन्दी की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ प्रदर्शित करने के लिए कम से कम दस पोस्टर/बैनर/स्टैंडी या एक-दो डिजिटल डिस्प्ले तैयार करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, बोर्ड ने दस पोस्टर तैयार किए जिनमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूक्तियाँ थीं और प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया ताकि बोर्ड के पदाधिकारियों को हिन्दी के प्रति संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों के बारे में याद दिलाया जा सके और अधिकारियों को अपने अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2020 का समापन समारोह 4 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान, बोर्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को, कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए सराहनीय कार्य, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार, मुख्यालय के अनुभागों के लिए राजभाषा रोलिंग/स्त्र-अप ट्रॉफी, वर्ष 2020 के लिए राजभाषा नीति को लागू करने में विशेष प्रयास के लिए पुरस्कार आदि का वितरण किया गया।



6) नराकास द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

तिरुवनंतपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा 15 जनवरी, 2021 को ऑनलाइन के माध्यम से एक राज्य स्तरीय अंतर-नराकास तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीडीएसी और राजभाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विकसित विभिन्न ई-टूलों जैसे कंठस्थ, प्रवाचक, प्रवाह, मंत्रा आदि से परिचित कराना था। श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (राजभाषा और तकनीकी) और श्री दीपक कुमार, निरीक्षक, तकनीकी स्कन्ध, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय संकाय सदस्य थे। कार्यक्रम में बोर्ड के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने भाग लिया।

iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

बोर्ड की मासिक हिंदी पत्रिका स्पाइस इंडिया (हिंदी) के प्रकाशन से संबंधित कार्य किया गया।

इ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा सहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व प्रलेखन इकाई को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोड़कर जारी रखा गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, 177 नई पुस्तकें जोड़ी गईं और करीब 160 पत्रिकाओं के लिए चंदा जारी रखा गया। पुस्तकालय ने किताबें जारी करना तथा वापस लेना, दस्तावेजों व पत्रिकाओं का परिचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ई-समाचार-पत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और 'स्पाइसेस समाचार सेवा' जैसी नियमित सेवाएं जारी रखीं। विविध संस्थाओं के लगभग 25 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसाले, वृक्ष मसाले, तेल व तैलीराल पर सूचना समेकित की गई।

3

वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यक्रमों से अर्जित आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीबार) के जरिए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट 10,065.00 लाख रुपए है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के लिए 6,440.00 लाख रुपए, इमदाद के लिए 2,285.00 लाख रुपए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान के रूप में 690.00 लाख रुपए और एस सी उप-प्लान के लिए प्रावधान के रूप में 300.00 लाख रुपए और जनजातीय उप-प्लान के लिए प्रावधान के रूप में 350.00 लाख रुपए बोर्ड को प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2020-21 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जांच-सेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्म-उत्पादों की बिक्री, चंदा एवं विश्लेषण शुल्क, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से 1,423.20 लाख रुपए का आईईबीबार अर्जन किया। वर्ष 2020-21 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड का कुल व्यय 10,611.88 लाख रुपए था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

लेखा शीर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
निर्यातोन्मुख उत्पादन	3,646.14
निर्यात विकास एवं संवर्धन	1,886.22
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	758.69
गुणवत्ता सुधार	1,289.32
एच आर डी व निर्माणकार्य	58.86
स्थापना	2,972.65
कुल	10,611.88

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि आईसीएआर, एएसआईडी और अन्य से प्राप्त अनुदानों से कुछ चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में) (*)
ए एस आई डी ई	887.00	37.04
ए एस आई डी ई आई आई पी एम	0.00	11.87
आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	33.24	22.50
ई-स्पाइस बाजार परियोजना	0.00	9.59
सूक्ष्मजीवविज्ञान में उत्कृष्टता का केंद्र	0.00	1.28
डब्ल्यूटीओ - एसटीडीएफ़	22.37	0.19
अरुणमला जनजातीय अधिवास परियोजना	11.71	7.43
महिला वैज्ञानिक योजना	5.75	4.69
डीयूएस जांच केंद्र	0.00	1.56
एमआईडीएच	0.00	21.94
कुल	960.07	118.09

(*) व्यय में, पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।

स्पाइसेस बोर्ड पर वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2020-21 के अनुच्छेद परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।

4

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसल कटाई पश्चात सुधार

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार तथा समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड, निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त मसालों के उत्पादन के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रम, बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनमें प्रादेशिक कार्यालय, मंडल कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड ने मसाला उत्पादकों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय पौधशालाओं का अनुरक्षण जारी रखा है।

मसाला विकास एजेंसियां (एस.डी.ए) और केसर उत्पादन एवं निर्यात विकास एजेंसी (एस.पी.ई.डी.ए)

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के विकास और विपणन को बढ़ावा देने और राज्य में उगाए जाने वाले मसालों के अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता-सुधार और निर्यात कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न राज्य, केंद्र और संबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए निम्नलिखित 11 मसाला विकास एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना की।

1. गुवाहाटी एस.डी.ए.	7. उत्तर प्रदेश एस.डी.ए.
2. उंझा एस.डी.ए.	8. मुंबई एस.डी.ए.
3. हावेरी एस.डी.ए.	9. वारंगल एस.डी.ए.
4. गान्तोक एस.डी.ए.	10. गुना एस.डी.ए.
5. जोधपुर एस.डी.ए.	11. गुंटूर एस.डी.ए.
6. ईरोड एस.डी.ए.	12. श्रीनगर एस.पी.ई.डी.ए.

संबंधित राज्य के मुख्य सचिव एसडीए के अध्यक्ष हैं तथा प्रत्येक एसडीए में मसाला उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों, राज्य बागवानी/कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक (जेडीजीएफटी), कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 सदस्य हैं। बोर्ड का संबंधित प्रादेशिक अधिकारी एसडीए का सदस्य सचिव रहेगा। एसडीए ने बैठकें आयोजित की हैं और एसडीए बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

स्पाइसेस बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर में केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की है। एसपीईडीए की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव करते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान 'मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के अंतर्गत लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जाता है:

क) इलायची (छोटी)

छोटी इलायची मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में उगाई जाती है। अधिकांश इलायची जोत क्षेत्र छोटी और सीमांत होती है। वर्ष 2020-21 के दौरान छोटी इलायची का कुल क्षेत्रफल 69,190 हेक्टेयर (एचए) था जिसमें 22,520 मीट्रिक टन का अनुमानित उत्पादन हुआ। छोटी इलायची के विकास के लिए लागू किए गए कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

अ) पुनःरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के मामलों पर ध्यान देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के पुनःरोपण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। केरल और तमिलनाडु में सामान्य कृषकों को प्रति हेक्टेयर 70,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 1,57,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर तथा कर्नाटक में सामान्य को प्रति हेक्टेयर 50,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 1,12,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर की इमदाद की पेशकश की जाती है, जो पक्वनावधि के दौरान पुनःरोपण और अनुरक्षण की लागत के क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के रूप में, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है। आठ हेक्टेयर तक के पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची कृषक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, विकास अनुभाग ने इस कार्यक्रम

के कार्यान्वयन के ज़रिए 1,935.2 हेक्टेयर छोटी इलायची (जिसमें प्रथम किस्त - 675.15 हे. और पिछला बकाया मामले, अर्थात् 2017-18 एवं 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए पहली और दूसरी किस्त यानी 1,260.45 हेक्टेयर शामिल हैं) के पुनःरोपण के लिए सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत 648.39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता (जिसमें 222.5 लाख रुपए की पहली किस्त और पिछला बकाया मामले यानी वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी किस्त अर्थात् 425.89 लाख रुपए) इमदाद के रूप में प्रदान की गई है, जिससे 5,163 उत्पादक (पहली किस्त के लिए 1,772 लाभार्थी और बैकलॉग भुगतान के लिए 3,391 किसान) लाभान्वित हुए हैं।

आ) पुनर्युवन

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के मुद्दे का समाधान करना और इलायची के बागानों के प्रभावित क्षेत्र में व्यवस्थित अंतराल को भरने के माध्यम से अपने इलायची बागानों में पुनर्युवन कार्यों को करने के लिए कृषकों को प्रेरित करना है। व्यक्तिगत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर तक की भूमि है, जो पौधे की आबादी का 40 प्रतिशत तक पुनर्युवन कार्य करते हैं, वे कार्यक्रम के तहत लाभ के पात्र हैं। प्रस्तावित इमदाद की दर पुनर्युवन और रखरखाव की कुल लागत का 25 प्रतिशत है, जो केरल के लिए अधिकतम 32,500 रुपए प्रति हेक्टेयर और कर्नाटक के लिए 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, जो एक ही किस्त में देय है।

वर्ष 2020-21 के दौरान विकास विभाग ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से 98.8 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनर्युवन के लिए वर्ष 2019-20 के पिछला बकाया मामले का भुगतान किया, जिससे 235 लाभार्थियों को 32.11 लाख रुपए का लाभ मिला है।

इ) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण

बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं द्वारा रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण किया गया। पांच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्रियों नाम मात्र दर पर उत्पादकों को वितरित की गई थीं। वर्ष 2020-21 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र के बोर्ड की पांच विभागीय पौधशालाओं से 3,71,389 इलायची रोपण सामग्री, 2,63,769 कालीमिर्च की मूल लगाई कतरनें, 12,628 कालीमिर्च न्यूक्लियस रोपण सामग्री, 859 झाड़ीदार कालीमिर्च रोपण सामग्री और 104 वैनिला रोपण

सामग्री का उत्पादन किया गया और उन्हें 983 कृषकों को वितरित किया गया था।

ई) रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी मौसम के लिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किसानों को अपने स्वयं के खेत में इलायची अंतर्भूस्तरियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। प्रमाणित पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्रियों का उपयोग (50 प्रतिशत से अधिक नहीं) आवेदकों द्वारा पुनःरोपण/अंतराल भरण के लिए किया जाएगा और शेष को आपूर्ति पड़ोसी/जरूरतमंद किसानों के बीच इष्टतम मूल्य पर की जाएगी जिसकी कीमत बाजार मूल्य से अधिक न हो। इस कार्यक्रम के तहत 267.75 यूनिट (यानी 26,77,500 पौधरोपण सामग्री) स्थापित की गई थी जिसमें 641 लाभार्थी किसानों को 59.07 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

उ) सिंचाई और भू-विकास

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फार्म तालाबों, टैंकों, कुओं, वर्षा जल संभरण उपकरणों, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और मृदा संरक्षण कार्यों जैसे सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करके इलायची के बागानों में जल संसाधनों में वृद्धि करके इलायची के बागानों में सिंचाई को बढ़ावा देना है। बोर्ड केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कार्यक्रम लागू कर रहा है।

(i) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, भंडारण संरचनाओं की निर्माण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए इमदाद केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम इमदाद प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

(ii) सिंचाई उपकरणों की संस्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट/ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचन के मामले में इलायची उत्पादक जिनके पास 1.00 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है और पंजीकृत है, वे आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए ग्रेविटी सिंचन की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 2,500/- रुपए; सिंचाई पंपसेट के लिए 10,000/- रुपए; स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए 21,175/- रुपए, जो भी कम हो और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा ग्रेविटी सिंचाई के लिए 7,500/- रुपए; सिंचाई पंपसेट के लिए 30,000/- रुपए; स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए 63,525/- रुपए, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।

(iii) वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई भी किसान, जिसने पहले इसका लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। दो सौ घन मीटर क्षमता टैंक के निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 12,000/- रुपए; और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 27,000/- रुपए, जो भी कम हो, की इमदाद दी जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 99 जल भंडारण संरचनाओं और 75 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 105 सिंचाई पंपसेट और 18 सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई प्रणालियां स्थापित की गईं, जिससे 297 किसानों को 38.27 लाख रुपए की वित्तीय सहायता (4.39 लाख रुपए के लिए 22 इकाइयों के जल भंडारण संरचनाओं का पिछला बकाया, 1.43 लाख रुपए में 16 लाभार्थियों को कवर करने वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं की 16 इकाइयां, 1.80 लाख रुपए में 31 लाभार्थियों को कवर करने वाले 31 सिंचाई पंपसेट, 0.80 लाख रुपए 5 लाभार्थियों को कवर करने वाले 5 सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित) से लाभ हुआ है।

ख) उत्तर-पूर्व के लिए विकास कार्यक्रम-इलायची (बड़ी)

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग

जिलों के उप-हिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। वर्ष 2020-21 के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों और सिक्किम में बड़ी इलायची का कुल क्षेत्रफल 26,617 हेक्टेयर था जिसमें 6,070 टन का अनुमानित उत्पादन हुआ। वर्ष 2020-21 में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के अंतर्गत बड़ी इलायची का कुल उत्पादन क्षेत्र 18,084 हेक्टेयर था जिसमें 2,733 टन उत्पादन हुआ था। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकर पौधों की उपस्थिति और अंगमारी (चित्ती) रोग बड़ी इलायची उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है:

अ) बड़ी इलायची : पुनःरोपण/नवरोपण

बड़ी इलायची मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुनःरोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलायची उगाने वाले किसान, उच्च निवेश के कारण पुनःरोपण/नव रोपण की लागत को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण और परंपरागत क्षेत्रों में पुनःरोपण के साथ-साथ पक्वनावधि (अर्थात् 1 और 2 वर्ष) के दौरान रखरखाव के लिए, इमदाद के रूप में, सामान्य श्रेणी के लिए लागत की 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत, बशर्ते कि अधिकतम प्रति हेक्टेयर क्रमशः अधिकतम 28,000/- रुपए और 63,000/- रुपए हो, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, विकास स्कंध (विंग) ने अपनी क्षेत्रीय (फील्ड) इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया और 1,865.71 हेक्टेयर बड़ी इलायची के (जिसमें 843.21 हेक्टेयर की पहली किस्त और पिछले बकाया मामले अर्थात् वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की पहली तथा दूसरी किस्त अर्थात् 1,022.5 हेक्टेयर) के पुनःरोपण / नवरोपण के लिए सहायता प्रदान की और 541.72 लाख रुपए (जिसमें 254.44 लाख की पहली किस्त और पिछले बकाया भुगतान यानी वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की पहली तथा दूसरी किस्त अर्थात् 287.28 लाख रुपए) की इमदाद के रूप में दी गई थी, जिससे 5,605 कृषक लाभान्वित हुए।

आ) रोपण सामग्री उत्पादन

आगामी मौसम के लिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किसानों को अपने स्वयं के खेत में इलायची अंतर्भूस्तरियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 178.5 युनिट (यानी 17,85,000 रोपण सामग्री) स्थापित की गई थी जिसमें 332 लाभार्थी किसानों को 65.33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

इ) सिंचाई योजनाएं

बड़ी इलायची मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। जलवायु की अनियमितता अक्सर उत्पादन को प्रभावित करती है। नवंबर से मार्च तक की अवधि भीषण सर्दियों वाला लंबा शुष्क मौसम होता है जिसके परिणामस्वरूप विकास मंद हो जाता है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे शुष्क समय से निपटने के लिए सिंचाई को सक्षम बनाने और उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बड़ी इलायची बागानों में सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए बोर्ड उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

ई) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए आर्थिक सहायता केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

i) सिंचाई उपकरणों की संस्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट / ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति को

केवल एक इकाई के लिए आर्थिक सहायता प्रतिबंधित है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता की राशि सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

(ii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले इस लाभ का लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। दो सौ क्यूबिक मीटर क्षमता वाले टैंक के लिए दी जाने वाली इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 12,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 27,000/- रुपए हैं, तक सीमित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल छह जल भंडारण संरचनाओं और छह वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया था और बड़ी इलायची के लिए छह सिंचाई पंपसेट लगाए गए थे, जिसमें 18 किसानों को 3.92 लाख रुपए की वित्तीय समर्थन (वर्षा जल संचयन संरचनाओं की एक इकाई का पिछला बकाया सहित एक लाभार्थी को दिए गए 0.27 लाख रुपए सहित) प्रदान किया गया।

ग) मसालों की फसल कटाई पश्चात सुधार

अ) छोटी इलायची के लिए सुधरी इलायची क्यूरिंग उपाय की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए इलायची को सुखाने हेतु सुधरी इलायची क्यूरिंग उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत ड्रायर के लिए इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत है, बशर्तेकि अधिकतम क्रमशः 1,00,000/- रुपए और 2,25,000/- रुपए हो, है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 37.93 लाख रुपए की कुल इमदाद पर 42 सुधरी इलायची क्यूरिंग उपाय स्थापित किए गए थे, जिससे 42 (एक इकाई का पिछला बकाया मामला सहित 0.84 लाख रुपए में एक लाभार्थी को कवर किया

गया) उत्पादक लाभान्वित हुए।

आ) बड़ी इलायची को सुखाने के लिए संशोधित भट्टी का निर्माण (सुधरी क्यूरिंग हाउस)

इस योजना का उद्देश्य खेतीहर समुदाय को बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक क्यूरिंग उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दो सौ कि.ग्रा. और 400 कि.ग्रा. की क्षमता वाली संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण की कुल लागत क्रमशः 27,000/- रुपए और 37,500/- रुपए है। इसके अलावा एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की कुल लागत 25,000/- रुपए आकलित की गई है। संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण या एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की खरीद के लिए इमदाद की दर, कुल लागत का 75 प्रतिशत या 22,500/- रुपए, जो भी कम हो, प्रदान करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2020-21 के दौरान 11.735 लाख रुपए के वित्तीय समर्थन से 62 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया, जिससे 62 (एक इकाई का पिछला बकाया मामला सहित 0.19 लाख रुपए में एक लाभार्थी सहित) उत्पादक लाभान्वित हुए।

इ) बीजीय मसाला श्रेणियों की आपूर्ति

आम तौर पर बीजीय मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और फसल कटाई पश्चात की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, गंदगी, रेत, तनों के टुकड़े इत्यादि बाहरी सामग्री से संदूषित होते हैं। बीजों को मानवीय रूप से काटी गई फसल और सूखे पौधों को बांस के टुकड़ों से पीट कर या पौधों को रगड़कर अलग किया जाता है। बोर्ड द्वारा सूखे पौधों से बीज को अलग करने और स्वच्छ मसालों का उत्पादन करने के लिए, श्रेणियों का उपयोग लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिन्हें हाथों से या बिजली का उपयोग करके चलाया जाता है।

बोर्ड इमदाद के रूप में श्रेणर की लागत का सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत उपलब्ध कराता है, जो कि क्रमशः सामान्य कृषक के लिए अधिकतम 60,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 90,000/- रुपए है।

वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने किसानों के खेतों में 85 विद्युत चालित श्रेणर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की और कुल 53.76 लाख रुपए की इमदाद प्रदान की गई,

जिससे 85 कृषक लाभान्वित हुए।

ई) कालीमिर्च के श्रेणरों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य, कालीमिर्च के उत्पादकों को, डंठलों से कालीमिर्च की फलियों को स्वच्छता के साथ अलग करने हेतु कालीमिर्च के श्रेणर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर, निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता-वाली कालीमिर्च का उत्पादन करना है। इमदाद की दर सामान्य कृषक को श्रेणर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों को 75 प्रतिशत, बशर्ते कि सामान्य कृषक को अधिकतम 15,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों को 22,500/- रुपए है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 35.50 लाख रुपए की इमदाद पर 242 श्रेणर लगाए गए थे, जिससे 242 (तीन इकाइयों के पिछले बकाया मामले सहित तीन लाभार्थियों को 0.45 लाख रुपए दिए गए) कृषक लाभान्वित हुए।

उ) भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उपज को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड, निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्तायुक्त हल्दी के उत्पादन के लिए कृषकों में हल्दी उबालने वाली इकाइयों के उपयोग को, बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हल्दी उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत का सामान्य कृषक को 50 प्रतिशत और उत्तर-पूर्व के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों के लिए 75 प्रतिशत अथवा सामान्य कृषक के लिए 1,50,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों के लिए 2,25,000/- रुपए में से, जो भी कम हो, इमदाद के रूप में दी जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 173.65 लाख रुपए की वित्तीय सहायता पर भाप से हल्दी उबालने वाली 100 इकाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे 100 (दो इकाइयों के पिछले बकाया मामले सहित दो लाभार्थियों को 3.75 लाख रुपए दिए गए, सहित) कृषक लाभान्वित हुए।

ऊ) हल्दी पॉलीशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य हल्दी उत्पादकों / उत्पादकों के समूह / मसाला उत्पादक सोसाइटियों / मसाला किसान उत्पादक कंपनी आदि को प्रेरित करना और उनकी सहायता करना

है, ताकि निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी का उत्पादन करने के लिए रियायती दरों पर सुधरित पॉलिशर्स की आपूर्ति करके हल्दी की आपूर्ति की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कृषक के लिए बॉयलिंग इकाई की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 75,000/- रुपए और उत्तर-पूर्व के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 1,12,500/- रुपए, जो भी कम है, की इमदाद प्रदान की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 70 हल्दी पॉलिशिंग इकाइयों को 59.54 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 70 (सात लाभार्थियों को 7.53 लाख रुपए में कवर करने वाली सात इकाइयों के पिछले बकाया मामले शामिल हैं) कृषक लाभान्वित हुए।

ॐ जायफल ड्रायर

इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता वाले जायफल और जावित्री का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों में यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। इमदाद की दर, सामान्य कृषक को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति कृषकों को 75 प्रतिशत अथवा क्रमशः सामान्य कृषक को अधिकतम 30,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों को 45,000/- रुपए है।

वर्ष 2020-21 के दौरान 92 जायफल ड्रायर की संस्थापना के लिए 16.15 लाख रुपए की सहायता दी गई, जिससे 92 (कुल 0.195 लाख रुपए के लिए एक इकाई के पिछले बकाया मामले को शामिल करते हुए) कृषक लाभान्वित हुए।

ए) पुदीना आसवन इकाई की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को आसवन इकाई की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनके खेतों में स्टेनलेस स्टील वाली आधुनिक आसवन इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। इमदाद की दर, सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत बशर्तकि क्रमशः 1,50,000/- रुपए और 2,25,000/- रुपए, जो भी कम हो, है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 20.86 लाख रुपए की इमदाद पर 20 पुदीना आसवन इकाइयां स्थापित की गई थीं, जिससे 20 कृषक लाभान्वित हुए।

घ) जैविक खेती

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 में, केंचुआ-कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता देने, मसालों के जैविक बीज बैंक को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएँ लागू की गईं।

अ) केंचुआ- कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना

जैविक उत्पादन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेत में ही जैविक आदानों का उत्पादन करना आवश्यक है। उत्पादकों को जैविक कृषि आदानों, विशेष रूप से केंचुआ-कम्पोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए, एक टन उत्पादन की क्षमता वाली एक केंचुआ-कम्पोस्ट इकाई हेतु इमदाद के रूप में, सामान्य कृषकों को वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 3,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत अथवा 6,750/- रुपए प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान 542 वर्मीकंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की गई थी, जिसमें 279 कृषकों को कुल 34.54 लाख रुपए (1.01 लाख रुपए के लिए आठ लाभार्थियों को कवर करते हुए पिछली 12 इकाइयों सहित) की इमदाद दी गई।

आ) मसालों के लिए जैविक बीज बैंकों की स्थापना

जैविक बीज बैंकों के अंतर्गत शामिल करने हेतु स्वदेशी किस्में- केरल में कोचीन अदरक, उत्तर-पूर्वी राज्यों में नादिया अदरक, केरल में अलेप्पी फिंगर हल्दी, महाराष्ट्र में राजापोरी हल्दी, मेघालय में लकादोंग / मेघा हल्दी और तमिलनाडु में शाकीय मसाले चिह्नित किए गए। इनमें से किसी भी किस्म के जैविक प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले मसाला के वे कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है। एक कृषक अधिकतम तीन वर्षों के लिए योजना के अंतर्गत इमदाद ले सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत 9.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से गुवाहटी क्षेत्र में अदरक के संबंध में तीन जैविक बीज बैंकों का भुगतान किया गया है।

उ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

अ) मसाला उत्पादक समाज

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मसालों का उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता

का उन्नयन करने तथा विपण्यता सुधारने में आपसी सहयोग के लिए मसाला बढ़ानेवाले क्षेत्रों में विशेषकर मसालों के लिए एक उत्पादक सोसाइटी का गठन करना है।

बोर्ड, इमदाद के रूप में, सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 6.00 लाख रुपए हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 90 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 10.80 लाख रुपए की सहायता देता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची के लिए सामान्य श्रेणी के तहत ऐसे ही एक मसाला उत्पादक सोसाइटी को 5.47 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। जम्मू-कश्मीर से केसर के तहत एक और यूनिट के लिए 5.93 लाख रुपए की सहायता पर भी कार्रवाई की जा रही है।

च) मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्यक्ष बैठकें और अभासी सम्मेलन)

बोर्ड किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों, व्यापारियों, एनजीओ के सदस्यों आदि को प्रमुख मसालों की फसल-कटाई के पहले और बाद के उपचारों तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक तरीकों और अद्यतित गुणवत्ता सुधार अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्तमान कोविड-19 महामारी ने प्रत्यक्ष रूप से बैठकों और प्रशिक्षण गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। विस्तार अधिकारियों ने सेवा प्रदान करने के लिए नए युग की प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया। प्रत्यक्ष बैठकों द्वारा कुल 5,972 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया और आभासी साधनों के ज़रिए देश भर में 313 प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 4,497 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

छ) विस्तार सलाहकार सेवा

उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की फसल कटाई के बाद उनमें सुधार की तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण का प्रशिक्षण, उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में निजी संपर्क, क्षेत्रीय यात्राओं, सामूहिक बैठकों और साहित्य वितरण के माध्यमों से छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) की खेती के वैज्ञानिक पहलुओं और फसल के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी/विस्तार समर्थन देने की परिकल्पना की गई है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, बोर्ड के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के कार्यक्रमों को निर्यातमुखी उत्पादन योजना के तहत विस्तार नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए कुल 19,640 विस्तार दौरे किए गए और संबंधित उगाने वाले क्षेत्रों में अन्य मसालों के लिए 1,861 समूह बैठकों/अभियानों का आयोजन किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल खर्च 1,296 लाख रुपए था।

ज) रामनाथपुरम मुंडू मिर्च का जी.आई का दर्जा (स्टेटस)

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 243 दिनांकित 10-7-2019 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति के संबंध में, स्पाइसेस बोर्ड ने जी.आई. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टी.एन.ए.यू.) के साथ मामला उठाया है और इसके लिए विश्वविद्यालय को बोर्ड द्वारा अपेक्षित समर्थन प्रदान किया जाता है। तदनुसार, टी.एन.ए.यू. ने 16 नवंबर, 2020 को रामनाथपुरम मुंडू मिर्च के लिए जी.आई. प्रमाणन प्राप्त करने हेतु जी.आई. रजिस्ट्री के साथ आवेदन फाइल किया और आवेदन पूर्व-परीक्षा चरण में है।

झ) ए.ई.पी. के अनुरूप मसालों के निर्यात को दोगुना करना और आई.एन.डी.जी.ए.पी. प्रमाणन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करना

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू.सी.आई.) के निदेशक और प्रमुख, परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन (पी.ए.डी.) प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आई.एन.डी.जी.ए.पी. में मसालों पर परियोजनाओं को प्रमाणित करने का प्रस्ताव भेजा था।

गुणवत्ता आश्वासन, कृषि जैव विविधता, ट्रेसिबिलिटी, जी.ए.पी. (गैप) प्रमाणन, सतत विकास लक्ष्यों का मानचित्रण, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्यात संवर्धन और सतत निर्यात जैसे कई उद्देश्यों के साथ इस परियोजना की परिकल्पना की गई है।

स्पाइसेस बोर्ड और क्यू.सी.आई. ने 'कृषि निर्यात नीति (ए.ई.पी.) के अनुरूप मसालों के निर्यात को दोगुना करने और आई.एन.डी.जी.ए.पी. प्रमाणन द्वारा किसानों की आय में

वृद्धि' नामक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया है। परियोजना के तहत विचार की जाने वाली फसलों में वारंगल में मिर्च; राजस्थान के दो जिलों बाड़मेर और जालौर में जीरा; इडुक्की में इलायची (छोटी), चिक्कामगलुरु में कालीमिर्च और तेलंगाना के करीमनगर में हल्दी है।

ज) केरल के वायनाड जिले के अरुणामला जनजातीय क्षेत्र में छोटी इलायची के पुनर्युवन के लिए परियोजना

स्पाइसेस बोर्ड ने 'केरल के वायनाड जिले के अरुणामाला जनजातीय बस्ती में छोटी इलायची का एकीकृत विकास' नामक परियोजना केरल सरकार के जनजातीय विकास विभाग को प्रस्तुत की थी। इस परियोजना को 18 हेक्टेयर क्षेत्र में बागान के पुनर्युवन के लिए 14.71 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रस्तावित किया गया था, जिससे 32 जनजातीय परिवारों को लाभ हुआ और बस्ती में आदिवासी किसानों का क्षमता-निर्माण हुआ। परियोजना की अवधि एक वर्ष है। परियोजना के तहत प्रस्तावित घटकों में मौजूदा इलायची बगानों का पुनर्युवन, जैविक खाद और जैव इनपुटों की आपूर्ति, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और इलायची ड्रायर की आपूर्ति और संस्थापना शामिल है।

इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और केरल सरकार द्वारा 11.71 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के तहत इलायची के बागान के पुनर्युवन के लिए आदिवासी बस्ती में इलायची किसानों को इलायची-अंकुर को उपलब्ध कराया गया और गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा जैविक खाद और बायो एजेंट जैसे पौधों के रखरखाव के लिए इनपुट भी वितरित किए गए। कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंध में ढील दिए जाने के बाद दो इलायची ड्रायर और जनरेटर खरीदने का आदेश दिया गया है, इसकी डिलीवरी और इसकी संस्थापना होने की उम्मीद है।

ट) 'भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और क्षमता निर्माण और अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करना'-एस.टी.डी.एफ. परियोजना

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के तहत मानक और व्यापार विकास सुविधा (एस.टी.डी.एफ.) में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक परियोजना को पहले मंजूरी दी गई थी, जिसका शीर्षक था 'भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) को मजबूत करना और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करना'। इस परियोजना के कार्यान्वयन

को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस परियोजना का उद्देश्य चार परियोजना स्थानों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एस.पी.एस.) मुद्दों को संबोधित करना है; (1) गुजरात के मेहसाना जिले में जीरा/बड़ी सौंफ, (2) राजस्थान के जोधपुर में जीरा/बड़ी सौंफ, (3) मध्य प्रदेश के गुना जिले में धनिया और (4) पडेरू, आंध्र प्रदेश में कालीमिर्च। इस परियोजना का लक्ष्य भारत से विदेशी बाजारों में सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले मसालों के निर्यात का विस्तार करना है। इस परियोजना को एस.टी.डी.एफ., खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। एफ.ए.ओ. अंतर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन साझेदार है। भारत में अपने देश के कार्यालय के माध्यम से एशिया और प्रशांत के लिए एफ.ए.ओ. क्षेत्रीय कार्यालय कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। स्पाइसेस बोर्ड परियोजना का स्थानीय साझेदार है और सभी स्थानीय गतिविधियों और उनके समन्वय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना से 1200 छोटे किसानों को सीधे लाभ होने की उम्मीद है, जो अपनी आय के एकमात्र स्रोत के रूप में खेती पर निर्भर हैं। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए खेती, उत्पादन और फसल कटाई उपरांत की तरीकों के मानकों को बढ़ाना है और इस प्रकार छोटे पैमाने पर किसानों की आय को बढ़ावा देने, महिलाओं और अन्य उपांतिक (जनजातीय) समुदायों को सशक्त बनाने और गरीबी को कम करने के प्रयासों का समर्थन करने में मदद करना है।

परियोजना के तहत गतिविधियों के शुरू होने के अवसर पर, एफ.ए.ओ., भारत के सहयोग से स्पाइसेस बोर्ड ने 22 अक्तूबर, 2020 को परियोजना के लिए एक आभासी प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन एवं अध्यक्षता स्पाइसेस बोर्ड के सचिव ने की। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र का आयोजन हुआ जिसमें परियोजना में होने वाली गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रारंभिक कार्यशाला में सरकारी विभागों, अनुसंधान संगठनों, प्रगतिशील किसानों और निर्यातक संघों के प्रतिनिधियों सहित मसाला मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के लगभग 100 पणधारियों ने भाग लिया। साथ ही डब्ल्यू.टी.ओ. के मानक और व्यापार विकास सुविधा तथा एशिया और प्रशांत के लिए एफ.ए.ओ. क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

इस परियोजना को एक सहयोगी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा

है, इस परियोजना के समाप्त होने के बाद निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत के अन्य भागों में मसालों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित किए जाने की उम्मीद को बढ़ाया जाएगा।

लक्षित परियोजना क्षेत्र में चयनित किसानों का आधारभूत सर्वेक्षण प्रगति पर है और फसल विशिष्ट अच्छी कृषि पद्धतियों (जी.ए.पी) और अच्छी बागवानी पद्धतियों (जी.एच.पी) की समीक्षा की जा रही है। जी.ए.पी. और जी.एच.पी. को अंतिम रूप देने पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रशिक्षक लक्षित गांवों में मसाला किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और किसानों को अपने खेतों में जी.ए.पी. और जी.एच.पी. अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

ठ) मिर्च कृत्यक बल समिति

मिर्च क्षेत्र में मुद्दों का अध्ययन करने और मिर्च के निर्यात योग्य अधिशेष के समग्र विकास और उत्पादन के लिए कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्यों में एम.ओ.सी.एंड आई, एम.ओ.ए. एंड एफ.डब्ल्यू., लाइन संगठनों/ विभागों/ संस्थानों के प्रतिनिधियों और मिर्च निर्यातक/व्यापार/किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करके टास्क फोर्स का गठन किया गया था। माननीय सांसद और स्पाइसेस बोर्ड के सदस्य श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव सी.टी. एफ.सी. के अध्यक्ष हैं और स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक (विकास) डॉ. ए.बी. रमाश्री समिति की उपाध्यक्ष हैं।

कृत्यक बल (टास्क फोर्स) ने मिर्च की आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) में विभिन्न पणधारियों के सामने आने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और मिर्च की विभिन्न प्रकार की निर्यात संभावित किस्मों, इसके आंतरिक मूल्य, उत्पादन, फसल-कटाई पश्चात और निर्यात के मुद्दों को दर्ज किया है। मिर्च टास्क फोर्स कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है और जून, 2021 तक इसे स्पाइसेस बोर्ड के सचिव को सौंप दिया जाएगा।

ड) एन.सी.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित

बोर्ड ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया है, जिसने निर्यात पर केंद्रित मसालों मूल्य शृंखलाओं (वैल्यू चेन) में क्षमता विकास के माध्यम से मसालों में सहकारी समितियों के विकास; सहकारी समितियों द्वारा मसालों

के निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा; मसालों के मूल्य शृंखलाओं (वैल्यू चेन) और निर्माण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को आमंत्रित करने के प्रयास, प्रशिक्षण गतिविधियों, अनुसंधान गतिविधियों, अध्ययनों, मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, रिमोट वीडियो आधारित गतिविधियों इत्यादि मसाले मूल्य शृंखला और निर्यात पर केंद्रित हैं; मसाला एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन की सुविधा और मसाला मूल्य शृंखला और निर्यात से संबंधित सहयोग में युवाओं को कौशल प्रदान करना; इसमें बोर्ड की सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है।

ढ) ए.एफ.सी. इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित

बोर्ड ने कृषि मूल्य शृंखलाओं में एफ.पी.ओ. के एकीकरण को मजबूत और सक्षम बनाने और एफ.पी.ओ. पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण, परिपोषण और बनाए रखने के लिए सार्थक योगदान देने में पारस्परिक सहयोग के लिए ए.एफ.सी. इंडिया लिमिटेड (पूर्व में कृषि वित्त निगम लिमिटेड) के साथ एक समझौता किया है।

ण) राष्ट्रीय सतत मसाला कार्यक्रम

‘राष्ट्रीय सतत मसाला (स्पाइस) नेटवर्किंग प्रोग्राम’ नामक परियोजना को विश्व मसाला संगठन (डब्ल्यू.एस.ओ., अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम की तकनीकी शाखा), अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों आई.डी.एच. (जो सतत व्यापार पहल का समर्थन करता है) और जी.आई.जेड., जर्मनी (जो जैव-विविधता और व्यापार पर काम करता है) और मसाला क्षेत्र (सेक्टर) में जैव विविधता के लिए उचित चिंता के साथ ट्रेसेबिलिटी लाने और सुस्थिरता प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य मसाले मिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, जीरा और छोटी इलायची और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित मसाले हैं, ताकि इस क्षेत्र से मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

गुंटूर में 6 नवंबर, 2019 को; हैदराबाद में 11 नवंबर, 2019 को; सिद्धपुर, गुजरात में 12 दिसंबर, 2019 को, मडिकेरी, कर्नाटक में 4 फरवरी, 2020 को एन.एस.एस.पी. कार्यक्रम शुरू किया गया था। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और इडुक्की, केरल में कार्यक्रम का क्रमशः 15 जून, 2020 और 29 सितंबर, 2020 को वेबिनार के रूप में शुभारंभ किया गया था। ■

5

निर्यात विकास और संवर्धन

विभिन्न कार्यक्रम, जिन्हें 'निर्यात विकास और संवर्धन' योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है उनका उद्देश्य आयात करने वाले देशों में बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने में निर्यातकों की सहायता करना है। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड, मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। जिन क्षेत्रों में मुख्य जोर है वे हैं व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, बुनियादी ढांचा विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रंडों का प्रचार, प्रमुख मसाला उत्पादन / विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण के बुनियादी ढांचे (स्पाइस पार्क) की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन आदि। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मसाला क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

अ) अवसंरचना का विकास

क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

बोर्ड उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसालों के प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने में सहायता का प्रस्ताव करता है। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि, निर्यातकों को, प्रसंस्करण सुविधाओं/उपकरणों की लागत का 33 प्रतिशत बशर्तकि अधिकतम 50 लाख रुपए हो, और किसान समूहों/किसान उत्पादक कंपनियों को, जिनके पास वैध सीआरईएस होगा, सभी प्रकार की प्रसंस्करण सुविधाओं की लागत का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम

50 लाख रुपए होगी। एससी / एसटी निर्यातकों, किसान समूहों और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए (समूहों / एफपीसी के सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने चाहिए) जिनके पास वैध सीआरईएस है, यह सहायता राशि प्रसंस्करण सुविधाओं/उपकरणों की लागत का 75 प्रतिशत, बशर्तकि अधिकतम 112.50 लाख रुपए होगी। बोर्ड उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए निर्यातकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है।

ख) सामान्य प्रसंस्करण केलिए अवसंरचना मसाला पार्क की स्थापना और रखरखाव

स्पाइसेस बोर्ड ने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और व्यापक बाजार प्राप्त करने में सशक्त बनाने को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों की खेती, कटाई-पाश्चात की प्रक्रियाओं, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और भंडारण का एक एकीकृत संचालन प्रक्रिया का निर्माण करना है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाप विसंक्रमण आदि के लिए आम प्रसंस्करण सुविधाओं से किसानों को उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उपज की उच्चतर मूल्य वसूली में परिणत होगी।

स्थापित किए गए सभी स्पाइसेस पार्कों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड पार्क/ मेगा फूड पार्क नामोद्दिष्ट किया गया है।

बोर्ड द्वारा प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में स्थापित किए गए फसल विशिष्ट स्पाइसेस पार्क निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	मिर्च और लहसुन	10.00
2	पुडुच्ची, केरल	कालीमिर्च और इलायची	12.50
3	जोधपुर, राजस्थान	जीरा और धनिया	60.00
4	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	100.00
5	शिवगंगा, तमिल नाडु	मिर्च और हल्दी	75.00
6	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	125.00
7	कोटा, राजस्थान	धनिया	30.00
8	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	11.79

रायबरेली, उत्तर प्रदेश और रामगंज मंडी (कोटा), राजस्थान में स्थित पार्कों का उद्घाटन श्री सुरेश प्रभु, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2019 को किया गया था। स्पाइसेस पार्क रायबरेली, जिसे हरचंदपुर, रायबरेली में 11.79 एकड़ ज़मीन में स्थापित किया गया था, उसकी परिकल्पना, पुदीने के प्राथमिक प्रसंस्करण और अत्याधुनिक मूल्यवर्धन के एक पूर्ण विकसित अवसंरचना सुविधा के रूप में बढ़ाने में की गई है। एशिया में धनिया का सबसे बड़ा विपणि केंद्र, राजस्थान के रामगंज मंडी में स्थित पार्क, धनिया के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और भंडारण की पूर्ण सुविधाओं के साथ कुल 30 एकड़ भूमि में स्थापित है।

जोधपुर, राजस्थान; गुना, मध्य प्रदेश और गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थापित पार्कों में सभी मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और भंडारण के लिए सुस्थापित प्रसंस्करण इकाई है। छिंदवाड़ा को छोड़कर अन्य सभी पार्कों में संभावित निजी उद्यमियों को मसालों के मूल्यवर्धन और अत्याधुनिक प्रसंस्करण के लिए अपनी स्वयं की प्रसंस्करण इकाइयां विकसित करने हेतु आवंटित करने के लिए ज़मीन निर्धारित की गई है। निजी उद्यमी स्पाइसेस पार्क में उपलब्ध आम सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रसंस्करण इकाइयों का विकास कर सकते हैं। किसान समुदाय अपनी उपज को सीधे निर्यातकों को बेचने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, इससे वे अपनी उपज का प्रीमियम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन आवंटित कर दी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने रायबरेली के स्पाइसेस पार्क में खाली प्लॉटों को पट्टे पर देने और चार भूखंड आवंटित करने के लिए ईओआई आमंत्रित किया है। विभिन्न स्पाइस पार्कों में शेष खाली प्लॉटों का आवंटन प्रक्रिया के अधीन है। इसके अलावा, बोर्ड शिवगंगा, रायबरेली और छिंदवाड़ा में स्थित स्पाइसेस पार्क में आम प्रसंस्करण इकाई के संचालन के लिए ऑपरेटर खोजने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न स्पाइस पार्कों में स्थापित आम प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से कुल 14,131.49 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया और 743.42 लाख रुपए मूल्य के 649 मीट्रिक टन मसालों का निर्यात किया गया। स्पाइसेस पार्क गुना में स्थापित कलर सॉर्टेक्स सिस्टम में 381.87 लाख रुपए मूल्यवाले कुल 407.40 मीटरी टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया।

बोर्ड ने मसाला पार्क में उपलब्ध प्लॉट, मसालों के मूल्यवर्धन के लिए उद्यमियों को अपनी प्रसंस्करण इकाइयां विकसित करने के लिए आवंटित किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान पार्कों में स्थापित इन इकाइयों के माध्यम से कुल 4,316.42 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, मसाला पार्कों में स्थापित आम भंडारण सुविधाओं में कुल 12,920.18 मीट्रिक टन मसालों का भंडारण किया गया था और स्पाइसेस पार्कों में निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित गोदामों/कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में कुल 42,542 मीट्रिक टन मसाले और 250 मीट्रिक टन अन्य कृषि उत्पादों का भंडारण किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, स्पाइसेस पार्कों ने कुल 1,605 किसानों और अन्य पणधारियों को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करने के अलावा 104 स्थायी श्रमिकों और 253 अनुबंध / आकस्मिक श्रमिकों (181 महिला श्रमिकों सहित) को रोजगार प्रदान किया। स्पाइसेस पार्कों में रखरखाव/कार्य के लिए 227.75 लाख रुपए व्यय किया गया है।

ग) स्पाइस कॉम्प्लेक्स सिक्किम

सिक्किम राज्य में मसालों के महत्व और राज्य से मसालों के निर्यात की संभावनाओं और अवसरों को ध्यान में रखते हुए, स्पाइसेस बोर्ड ने स्टेट सेल, वाणिज्य मंत्रालय को सिक्किम में एक स्पाइस कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें टीआईईएस के तहत मसालों के किसानों और अन्य पणधारियों को लाभान्वित करने हेतु मसालों के आम प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का प्रदर्शन करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई थी। सिक्किम स्पाइस कॉम्प्लेक्स को उपयुक्त भौतिक और सामान्य अवसंरचना और सुविधाओं वाले एक स्व-निहित सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है। सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स के घटकों में सामान्य प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन इकाई, बड़ी इलायची के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं और गुणवत्ता जांच सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, जैव-इनपुट उत्पादन और एक ही स्थान पर बोर्ड के अनुसंधान, विकास और विपणन कार्यालयों के लिए प्रशासन भवन शामिल हैं। सिक्किम सरकार ने सिक्किम के पूर्वी जिले के नामचेबोंग में 10 एकड़ जमीन आवंटित की है। परियोजना की कुल लागत 26.51 करोड़ रुपए है। सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना की परियोजना को मंजूरी टीआईईएस के तहत दी गई है और मंत्रालय द्वारा पहली किस्त के रूप में 8.87 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

आ) व्यापार संवर्धन

क) व्यापारिक नमूने विदेश भेजना

बोर्ड उन निर्यातकों की सहायता करता है जो खरीददारों द्वारा अनुरोध किए गए नमूनों के आधार पर व्यावसायिक लेनदेन को अंतिम रूप देना चाहते हैं और व्यापारिक नमूने विदेश भेजने के लिए कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। व्यापारिक नमूने भेजने से मसाला निर्यात के मामले में संभावित खरीददारों से वास्तविक ग्राहकों में बेहतर और त्वरित व्यावसायिक लेनदेन संभव हो पाता है। वे सभी निर्यातक जिनका स्पाइसेस बोर्ड में पहला पंजीकरण पिछले तीन साल के भीतर हुआ है, इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत पांच पात्र निर्यातकों को 2.72 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।

ख) पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग

कार्यक्रम में भण्डारण अवधि बढ़ाने व भंडारण के लिए स्थान की आवश्यकता में कमी करने, पता लगाने की क्षमता स्थापित करने और विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की बेहतर प्रस्तुति के लिए, निर्यात पैकेजिंग में सुधार और आधुनिकता लाने की परिकल्पना की गई है। पंजीकृत निर्यातक, पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग पंजीकरण की लागत की 50 प्रतिशत राशि की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अधिकतम सीमा प्रति निर्यातक 1.00 लाख रुपए है।

ग) उत्पाद विकास और अनुसंधान

देश में उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग करने और अपरंपरागत अनुप्रयोगों में उनके दोहन की पर्याप्त गुंजाइश है। इस योजना का उद्देश्य मसाला आधारित नए उत्पादों को विकसित करने की क्षमता निर्माण के लिए, मसालों के पौष्टिक, पौष्टिक औषधीय, कॉस्मेटिक, औषधीय और आंतरिक गुणों का वैज्ञानिक सत्यापन करना है। ऐसे नए उत्पादों और फॉर्मूलेशनों के निर्यात से मिलने वाला लाभ न्यूनतम मूल्यवर्धन वाले साबुत मसालों के निर्यात से प्राप्त लाभ की तुलना में असाधारण रूप से अधिक होगा। मसालों से नए अंतिम उत्पादों के विकास में अपरंपरागत अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल होता है, जिससे निर्यात की उच्च क्षमता वाले पेटेंट योग्य उत्पादों का निर्माण भी हो सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षण, गुणविशेषताओं का वैधीकरण, पेटेंट और विपणन परीक्षण

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अपेक्षित सुविधाओं से युक्त पंजीकृत निर्यातक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान इस योजना के तहत अपनी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 25.00 लाख रुपए हो, तक की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यदि परियोजना में क्लिनिकल परीक्षण और पेटेंट प्रक्रिया भी शामिल होगी तो अधिकतम सीमा 100 लाख रुपए होगी। बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान उत्पाद विकास और अनुसंधान के घटक के तहत चार लाभार्थियों को 47.15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है।

घ) भारतीय मसाला ब्रैंडों का विदेशों में प्रचार

इस कार्यक्रम का उद्देश्य तय किए गए विदेशी बाजारों में प्रचार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय ब्रैंडों के प्रवेश करने में सहायता करना है। जिन निर्यातकों ने अपना ब्रैंड इस कार्यक्रम के तहत बोर्ड में पंजीकृत किया है, वे प्रति ब्रैंड 100 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत सहायता में 100 प्रतिशत स्टॉटिंग / लिस्टिंग शुल्क और प्रचार खर्च और उत्पाद विकास की 50 प्रतिशत लागत शामिल होगी ताकि निर्यातकों को विदेशों में चयनित शहरों में विशिष्ट ब्रैंड स्थापित करने में मदद मिल सके।

बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान तीन निर्यातकों को ऋण की पहली किस्त के तौर पर 99.66 लाख रुपए की राशि जारी की है।

ड) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बैठकों और प्रशिक्षणों में भागीदारी

बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने और निर्यातकों को अवसर उपलब्ध कराने की अपनी पहल के हिस्से के रूप में, बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लिया करता है ताकि भारतीय मसालों की क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के समक्ष प्रदर्शन किया जा सके। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के साथ साथ सामाजिक समारोहों के आयोजन आदि पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था जिसके कारण कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मेले आयोजित नहीं हो पाए। हालांकि, बोर्ड ने नौ घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया जिसमें पांच आभासी प्रदर्शनियों भी शामिल हैं।

बोर्ड, निर्यातकों को भी व्यापार उत्पन्न करने/विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बोर्ड में पंजीकृत निर्यातक एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष के आवेदनों को संसाधित किया गया और 11 निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने की लागत के तौर पर कुल 6.79 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।

बोर्ड की निर्यात विकास और संवर्धन योजनाओं को लगभग 1.6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से लागू किया गया, जिससे कुल 25 निर्यातकों को लाभ हुआ।

इ) विपणन और सहायक सेवाएं

क) विपणन सेवाएं

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को विकसित करने, बढ़ावा देने और इलायची के घरेलू विपणन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला लागू कर रहा है। बोर्ड फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन, विपणन, प्रसंस्करण, मसालों की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में दिन-प्रतिदिन के आधार पर पणधारियों की सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(i) पंजीकरण और लाइसेंसिंग

लाइसेंसिंग और पंजीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों का एक हिस्सा है। बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के व्यापार के लिए मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीआरईएस) और नीलामीकर्ता और ब्यौहारी लाइसेंस भी जारी करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण (सीआरईएस) के 1,512 प्रमाण पत्र जारी किए, जिनमें से 1,495 प्रमाण पत्र व्यापारी श्रेणी में और 17 प्रमाण पत्र निर्माता श्रेणी में थे। साथ ही वर्ष के दौरान 50 छोटी इलायची ब्यौहारियों को भी लाइसेंस जारी किए गए थे।

स्पाइसेस बोर्ड ने निर्यातकों से 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही नई अवधि का सीआरईएस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, जो जारी होने की तारीख से तीन साल तक वैध रहेंगे। बोर्ड ने सीआरईएस

शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे सिस्टम भी शुरू किया है। बोर्ड को आगामी अवधि के लिए ब्यौहारी और नीलामीकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए भी आवेदन प्राप्त हुए और इसे जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को लागू करने और इलायची के घरेलू विपणन और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने में नियामक अनुपालन की आवश्यकताओं को न्यूनतम करने के लिए मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करता है।

बोर्ड ने वर्ष के दौरान 50 इलायची ब्यौहारियों को लाइसेंस जारी किया है। अप्रैल 2020-मार्च 2021 के दौरान पुट्टुडी और बोडिनायकन्नूर में स्थित नीलामी केंद्रों पर बोर्ड द्वारा आयोजित की गई ई-नीलामी के माध्यम से कुल 19,373 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई। इस अवधि के दौरान इन केंद्रों में कुल 12 नीलामीकर्ताओं ने ई-नीलामी के द्वारा बिक्री की।

ii) ब्रैंड नाम का पंजीकरण

कार्यक्रम का उद्देश्य उन निर्यातकों के ब्रैंड नाम को पंजीकृत करना है जो मसाले/मसाला उत्पादों का निर्यात ब्रैंड उपभोक्ता पैक में करते हैं। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) द्वारा पैकेज के परीक्षण सहित विशिष्ट मानकों के अनुपालन की पुष्टि किए जाने के बाद, तीन साल की अवधि के लिए ब्रैंड नाम के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया जाता है।

iii) इलायची की नीलामी

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड ने केरल के इडुक्की जिले के पुट्टुडी और तमिलनाडु के बोडिनायकन्नूर में स्थित मसाला पार्क में (छोटी) इलायची की ई-नीलामी की सुविधा जारी रखी। ब्लॉक अवधि 2017-20 के लिए पुट्टुडी और बोडिनायकन्नूर में स्थित ई-नीलामी केंद्रों पर नीलामी आयोजित करने के लिए कुल 12 नीलामकर्ता लाइसेंस जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में (छोटी) इलायची और सिक्किम के सिंगतम में (बड़ी) इलायची के लिए मैनुअल नीलामी आयोजित की गई थी।

iv) मसालों के सीमा शुल्क नमूनों का परीक्षण

बोर्ड ने 2020-2021 के दौरान सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों के आयात-परेषण के 460 नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।

अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत आयात के संबंध में तेल और तैलीराल, कालीमिर्च में तैलीराल/पिपेरीन, हल्दी में करक्यूमिन, तेल और तैलीराल के निष्कर्षण के लिए सामग्री के परीक्षण के बाद परिणाम जारी किए गए थे।

बोर्ड के 8वें क्यूईएल ने फरवरी 2020 में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न पणधारियों की गुणवत्ता विश्लेषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोलकाता में काम करना शुरू किया। स्पाइसेस बोर्ड ने कोच्ची, मुंबई, चेन्नई, गुंटूर, तूतिकोरिन, दिल्ली और कांडला में स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में वर्ष के दौरान एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंजकों, कीटनाशक अवशेषों, साल्मोनेला के लिए मसालों के नमूनों के 86,447 पैरामीटरों का विश्लेषण किया। सऊदी अरब को इलायची के निर्यात के लिए कीटनाशकों का अनिवार्य परीक्षण शुरू किया था। वर्ष के दौरान निर्यातकों को कुल 21,364 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और 2,705 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से प्राप्त हल्दी के नमूनों का भारी धातुओं और करक्यूमिन की मात्रा के लिए विश्लेषण किया गया था।

(v) मसालों का जीआई पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड को मलबार पेप्पर, एलेप्पी ग्रीन कार्डमम, कुर्ग ग्रीन कार्डमम, गुंटूर सन्नम चिल्ली और ब्यादगी मिर्च के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ है। बोर्ड जीआई पंजीकृत मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बना रहा है।

(vi) सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड निर्यात स्थलों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए और भारत के मसाला निर्यात के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के एकीकृत विकास के लिए फसल कटाई-पश्चात प्रबंधन, प्राथमिक प्रसंस्करण, निर्यात प्रक्रियाएं, आयात प्रलेखन पर मसाला क्षेत्र के पणधारियों के लिए सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कोविड-19 में उछाल के कारण, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया है। बोर्ड ने मसालों के पणधारियों और नबार्ड, एपीडा, एमओएफपीआई, एसएबीसी, डीजीएफटी, डीजीआरटी, एनआरसीएसएस, आरएसएएमबी, एमएसएमई, आदि

जैसे अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके 11 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	स्पाइसेस बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं पर मसाला पणधारियों की बैठक	21 सितंबर 2020
2	ऑनलाइन प्रशिक्षण-सह-संवादात्मक बैठक	15 अक्टूबर, 2020
3	प्रमुख पणधारियों के एक इंटरफेस-जोधपुर से बीज मसालों के निर्यात के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना	27 अक्टूबर, 2020
4	बागवानी छात्रों और स्नातक किसानों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम	30 अक्टूबर, 2020
5	उत्तर भारत में मसालों के उद्यमिता के अवसरों का दोहन	27 नवंबर, 2020
6	मसाला क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन और डंपिंग रोधी और व्यापार उपचार/तकनीकी बाधाएं	3 दिसंबर, 2020
7	मसालों के निर्यात, व्यापार उपचार/तकनीकी बाधाओं और निर्यात प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन/समर्थन पर वेबिनार	4 दिसंबर, 2020
8	निर्यात संभावनाओं और बीज मसालों की गुणवत्ता के मुद्दों पर वेबिनार और निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन/समर्थन।	15 दिसंबर, 2020
9	धनिया की दुनिया वेबिनार 'धनिया के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं, मूल्यवर्धन और भारत से निर्यात में तैजी लाना'	4 जनवरी, 2021
10	मेघालय के लिए मसालों के निर्यात पर ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	9-10 मार्च, 2021
11	दक्षिण त्रिपुरा के रामरायबाड़ी गांव में मुहुरी ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के बीच उद्यमिता विकास कार्यक्रम	25 मार्च, 2021

कार्यक्रमों में कुल 1,258 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से मसालों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बोर्ड ने निम्नलिखित वेबिनार आयोजित किए हैं:

स्पाइसेस बोर्ड

1. दिनांक 6 जुलाई 2020 को (आईसीसी के सहयोग से) स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य पर वेबिनार आयोजित हुआ।
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मसालों पर 20 नवंबर, 2020 को (फिक्की के सहयोग से) वेबिनार आयोजित हुआ। स्पॉन्सरशिप शुल्क के तौर पर कुल लागत 63,600/- रुपए हैं।

ख) क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम)

स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित कर रहा है ताकि बाजार के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच बातचीत का एक मंच प्रदान किया जा सके। बीएसएम उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को एक लाभकारी स्थिति प्रदान करते हैं, जिसमें उत्पादकों को लाभदायक पारिश्रमिक के साथ उनके उत्पाद के लिए एक बाजार मिलता है, जबकि निर्यातक इसे दीर्घकालिक बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने और गुणवत्ता वाले मसालों की प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग के मामले में फायदेमंद पाते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण, बोर्ड ने इस वर्ष बीएसएम का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड द्वारा 18 बीएसएम आयोजित किए गए, जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रमांक	नाम	दिनांक
1	असम और उत्तर पूर्व के मसाला क्षेत्र के प्रचार और पुनरुद्धार के लिए वर्चुअल बी2बी मीट	16 जुलाई, 2020
2	जायफल और जावित्री पर ध्यान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	07 अक्टूबर, 2020
3	भारतीय मसालों पर मिस्स पर ध्यान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	13 अक्टूबर, 2020
4	त्रिपुरा मसाला ई-सम्मेलन और बीएसएम	16 अक्टूबर, 2020
5	हल्दी पर ओडिशा (विशेषकर कंधमाल और कोरापुट जिलों) पर ध्यान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	11 नवंबर, 2020
6	नागालैंड और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	17 नवंबर, 2020

7	केसर पर ध्यान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	24 नवंबर, 2020
8	अदरक और कालीमिर्च के लिए कर्नाटक पर ध्यान केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक	09 दिसंबर, 2020
9	सिक्किम और उत्तर बंगाल क्षेत्र में मसालों पर ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक	11 दिसंबर, 2020
10	हल्दी पर ध्यान केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक	12 दिसंबर, 2020
11	मेघालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मसालों पर ध्यान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	17 दिसंबर, 2020
12	छोटी इलायची के निर्यात सोर्सिंग को मजबूत करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	22 जनवरी, 2021
13	आंध्रा प्रदेश पर ध्यान केन्द्रित मिर्च और हल्दी के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	29 जनवरी, 2021
14	तेलंगाना पर ध्यान केन्द्रित हल्दी के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	03 फरवरी, 2021
15	मध्य प्रदेश पर ध्यान केन्द्रित धनिया के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	05 मार्च, 2021
16	गुजरात पर ध्यान केन्द्रित बीज मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	16 मार्च, 2021
17	पूर्वी क्षेत्र के मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	19 मार्च, 2021
18	बर्ड्स आई चिली के प्रचार के लिए वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक	23 मार्च, 2021

देश भर में मसाला उद्योग के पणधारियों ने बीएसएम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और सक्रिय रूप से भाग लिया है, और बाजार में संपर्क बनाने के लिए मंच का सर्वोत्तम उपयोग किया है। कुल लगभग 2200 किसानों/किसान समूहों और 500 मसाला निर्यातकों ने बीएसएम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, बीएसएम आयोजित करने के लिए कुल 1,14,500/- रुपए का व्यय किया गया।

बीएसएम में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं (किसान / एफपीओ) और निर्यातकों के संपर्क विवरण समेकित किए

गए थे। निर्यातकों / आपूर्तिकर्ताओं / किसानों / एफपीओ के संपर्क-विवरण, प्राप्त पूछताछ के आधार पर विदेशी मिशनों / आयातकों / निर्यातकों / व्यापारियों को प्रसारित किए गए थे।

ई) अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी)

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के तत्वावधान में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है। समुदाय में अब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम स्थायी सदस्य के रूप में और पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस एक सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह समुदाय एक गैर-लाभकारी पेशेवर संगठन है जिसका गठन वैश्विक कालीमिर्च उद्योग के एक मंच के रूप में वैश्विक कालीमिर्च उद्योग की उन्नति के आम मुद्दों पर चर्चा करने और समझदारीपूर्ण समाधान तलाशने के लिए किया गया है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि क्रमावर्तन के आधार पर आईपीसी के अध्यक्ष का पद धारण करते हैं और प्रत्येक अध्यक्ष अपने पद पर कुल एक वर्ष की अवधि तक रहता है। श्री डी. सत्यन आईएफएस, अध्यक्ष और सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, वर्ष 2020 के दौरान, आईपीसी के अध्यक्ष थे।

आईपीसी ने वर्तमान और उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए कालीमिर्च के अनुसंधान एवं विकास, विपणन और गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में नीतियों और विशिष्ट तंत्रों को तैयार करने के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया है। प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं:

i) आईपीसी की अनुसंधान एवं विकास समिति

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी) की अनुसंधान एवं विकास समिति की 9वीं बैठक, 15 अक्टूबर, 2020 को, आईपीसी सचिवालय द्वारा संचालित, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी। डॉ. ए.बी. रमा श्री, निदेशक, (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को आईपीसी की अनुसंधान एवं विकास समिति की 9वीं बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, श्री एनएडी षेणार्ई, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड को प्रारूप समिति का सदस्य नामोद्दिष्ट किया गया था। इस बैठक

में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के अनुसंधान और विकास के विशेषज्ञों ने भाग लिया। समिति ने कालीमिर्च पर संशोधित आईपीसी बुक ऑन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (जीएपी) को अपनाने और प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

ii) आईपीसी विपणन समिति

आईपीसी विपणन समिति की छठी बैठक, 16 दिसम्बर 2020 को, आईपीसी सचिवालय द्वारा संचालित, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। श्री पी.एम. सुरेश कुमार, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड ने देश के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया और श्री बी.एन. झा, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक में भाग लेने के साथ ही साथ बैठक की प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

iii) गुणवत्ता पर आईपीसी समिति

आईपीसी गुणवत्ता समिति की 26वीं बैठक, 15 जुलाई 2020 को, आईपीसी सचिवालय द्वारा संचालित, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस ऑनलाइन बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम से आईपीसी गुणवत्ता समिति के सदस्यों ने भाग लिया। श्री डी. सत्यन आईएफएस, अध्यक्ष और सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, वर्ष 2020 के दौरान, आईपीसी गुणवत्ता समिति के अध्यक्ष थे।

इस बैठक में काली/सफेद कालीमिर्च (साबूत और पिंसी) और साबूत सूखी हरी कालीमिर्च के लिए वर्तमान आईपीसी मानक विशिष्टता एफ्लाटॉक्सिन टोटल को अपनाया गया तथा सदस्य देशों में कालीमिर्च में उपयोग किए जाने वाले वैकल्पिक जैव-कीटनाशकों की सूची, संकलन और प्रसार के लिए साझा करने का निर्णय लिया गया। ■

6

व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलामी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) और वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता द्वारा प्रदान किया गया निर्यात डेटा भारत से मसालों के अनुमानित निर्यात को संकलित करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह, सीमा शुल्क द्वारा जारी आयात की दैनिक सूची (डीएलआई) और वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात डेटा भारत में मसालों के आयात का अनुमान लगाने के स्रोत हैं। बोर्ड मसालों के निर्यात/आयात से सम्बंधित विवरण त्रैमासिक आधार पर संकलित कर रहा है और मसालों के निर्यात और आयात के आंकड़े वेबसाइट और मंत्रालय/विभागों के माध्यम से अपने पणधारियों को नियमित रूप से प्रसारित कर रहा है। इस उद्देश्य से, बोर्ड कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रापोल, मोहाधीपुर, रक्सुअल, अमृतसर, आदि जैसे सभी प्रमुख बंदरगाहों और डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता से डीएलई और डीएलआई दोनों नियमित रूप से एकत्र कर रहा है, और इस उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

बोर्ड अपनी वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से नियमित आधार पर भारत और विदेशों में स्थित प्रमुख बाजारों से सम्बंधित मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकलन और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक प्रसार कर रहा है। मूल्य विवरणों को एकत्र करने का प्रमुख स्रोत इंडिया पिपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन; एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी; मर्चेंट एसोसिएशन; इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिनेवा; और इंटरनेशनल पिपर कम्युनिटी, इंडोनेशिया जैसी एजेंसियां हैं। इन सभी सूचनाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की

सदस्यता के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

चूंकि स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन के विकास के लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड के फील्ड सेट अप के माध्यम से किए गए फील्ड सैंपल अध्ययन की सहायता से इन मसालों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता है। संकलन के लिए अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभागों/डीएएसडी से एकत्र किया जाता है। सभी मसालों के क्षेत्र और उत्पादन की जानकारी बोर्ड के प्रकाशनों के साथ-साथ वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को प्रसारित की जाती है।

निर्यातकों का पंजीकरण (विनियमों) के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपनी तिमाही निर्यात विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करनी होती है। व्यापार सूचना सेवा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक निर्यात विवरणियों को संकलित करती है और मसालों के निर्यातक-वार निर्यात के डेटाबेस का रखरखाव करती है। इस डेटाबेस का उपयोग करके, प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों का विवरण संकलित किया जाता है और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची के व्यापार के लिए बोडिनायकनूर और पुट्टुडी में बोर्ड द्वारा विकसित ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से ई-नीलामी आयोजित कर रहा है। इलायची की नीलामी की दैनिक मात्रा और कीमत का विवरण दैनिक आधार पर संकलित और हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। नीलामी बिक्री और औसत कीमतों का समेकित विवरण बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संकलित और प्रसारित किए जाते हैं।

उद्योग के पणधारियों के लाभ के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों में विभिन्न मसालों के साप्ताहिक घरेलू मूल्य साप्ताहिक आधार पर (वेबसाइट पर) बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संगृहीत, संकलित और प्रकाशित किए जाते हैं।

क) मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2019-20 की तुलना में, 2020-21 के लिए छोटी व बड़ी इलायची का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका-I और तालिका-II में दी गई है। अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका-III में दिए गए हैं।

तालिका - I

इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2020-21				2019-20			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
केरल	39,143	29,406	20,570	699.50	39,697	29,858	10,075	337.43
कर्नाटक	25,135	14,204	579	40.73	25,135	14,418	620	43.00
तमिल नाडु	4,912	2,786	1,372	492.28	5,162	2,876	540	187.76
कुल	69,190	46,396	22,520	485.38	69,994	47,152	11,235	238.27

स्रोत : क्षेत्र-नमूना अध्ययन के आधार पर अनुमान

तालिका - II

इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2020-21				2019-20			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
सिक्किम	23,312	17,105	4,970	286.88	23,312	15,963	4,779.2	299.39
पश्चिम बंगाल	3,305	3,159	1,100	347.89	3,305	3,159	1,086.1	343.81
कुल	26,617	20,264	6,070	296.39	26,617	19,122	5,865.3	306.73

स्रोत : स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

वर्ष 2020-21 में बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की इलायची (बड़ी) के क्षेत्र और उत्पादन ब्यौरे का अनुमान लगाया है जिसे तालिका II क में दर्शाया गया है:

तालिका - II क

इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2020-21				2019-20			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
अरुणाचल प्रदेश	11,403	6,749	1,662	246.31	10,909	6,395	1,614	252.38
नागालैंड	6,499	4,244	1,066	251.27	6,408	4,214	1,046	248.22
मणिपुर	182	40	4	110.03	148	29	4	146.55
कुल	18,084	11,033	2,733	247.73	17,465	10,638	2,664.25	250.45

स्रोत : स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

स्पाइसेस बोर्ड

तालिका - III

(प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन)

(क्षेत्र हेक्टेयर में उत्पादन टनों में)

मसाला	2019-20 (*)		2020-21 (अंतिम)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	2,59,148	61,000	2,59,008	65,000
मिर्च	6,23,446	18,41,800	7,32,213	19,88,304
अदरक(ताज़ा)	1,78,157	18,68,354	1,75,764	18,84,775
हल्दी (सूखा)	2,96,181	11,78,750	2,94,542	11,01,920
धनिया	5,28,970	7,00,815	6,28,624	8,22,210
जीरा	12,76,283	9,12,040	12,41,297	8,56,505
बड़ी सौंफ	82,731	1,39,760	79,842	1,28,497
मेथी	1,26,294	1,82,170	1,33,229	2,03,360
लहसुन	3,52,663	29,26,095	3,85,234	31,22,605

स्रोत : राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग। सुपासी व मसाले विकास निदेशालय, कोशिककोड (*): अंतिम। कालीमिर्च उत्पादन : व्यापार आकलन

ख) इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2020-21 (अगस्त 2020 - जुलाई 2021) और वर्ष 2019-20 (अगस्त 2019-जुलाई 2020) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारत औसत कीमतें तालिका IV में दी गई हैं:

तालिका - IV

इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और मूल्य

(मात्रा: टनों में, मूल्य : रुपए/कि.ग्रा. में)

राज्य	2020-21 (अगस्त-जुलाई)		2019-20 (अगस्त-जुलाई)	
	नीलामित मात्रा	भारत औसत नीलामित मूल्य	नीलामित मात्रा	भारत औसत नीलामित मूल्य
केरल और तमिलनाडु (इ-नीलामी)	21,252	1,477.21	13,753	2,904.71
कर्नाटक	5	913.92	4	2,021.31
महाराष्ट्र	62	1,612.31	64	2,843.79
कुल	21,319	1,477.47	13,821	2,904.17

स्रोत : लाइसेंसधारी नीलामीकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें

ग) इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2020-21 और 2019-20 के लिए गान्तोक और सिलिगुड़ी बाज़ारों में इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें तालिका-V में दी गई हैं:

तालिका - V

इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें

(मूल्य : रुपए/कि.ग्रा. में)

केंद्र	ग्रेड	2020-21	2019-20
गान्तोक	बड़ादाना	422.05	475.42
सिलिगुड़ी	बड़ादाना	505.55	579.86

स्रोत : बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय

घ) अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं। इन कीमतों को गौण, स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (आई पी एस टी ए), मर्चेंट्स एसोसिएशन आदि द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है। मुख्य बाज़ार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें नीचे तालिका VI में दी गई हैं।

तालिका - VI

मुख्य विपणन केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें

(मूल्य : रुपए/कि.ग्रा. में)

मसाला	विपणि	2019-20	2020-21
कालीमिर्च (एम जी- 1)	कोच्ची	378.21	342.31
मिर्च	गुंटूर	115.04	102.72
अदरक	कोच्ची	267.73	272.5
हल्दी	चेन्नई	79.48	118.39
धनिया	चेन्नई	88.23	97.07
जीरा	चेन्नई	171.89	147.75
बड़ी सौंफ	चेन्नई	98.29	94.23
मेथी	चेन्नई	63.57	72.59
लहसुन	चेन्नई	108.93	85.43
खसखस बीज	चेन्नई	794.45	753.14
अजोवन बीज	चेन्नई	133.86	134.69
सरसों	चेन्नई	47.41	59.92
इमली	चेन्नई	121.49	138.73
केसर	दिल्ली	1,11,090.90	79,500.00
लौंग	कोच्ची	611.81	543.91
जायफल (बिना छिलके के)	कोच्ची	383.27	448.15
जावित्री	कोच्ची	869.47	1,095.37

ड) भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

कोविड-19 महामारी के बावजूद, भारत से मसालों के निर्यात ने वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़त का रुख जारी रखा और 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया। वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के 22,062.80 करोड़ रुपए (3,110.63 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 12,08,400 टन मसालों के कुल निर्यात के खिलाफ भारत से 27,193.20 करोड़ रुपए (3,624.76 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 15,65,000 टन मसाले और मसाला उत्पादों का कुल निर्यात हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में मसालों के निर्यात ने पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में 30 प्रतिशत, मूल्य के तौर पर रुपए के हिसाब से 23 प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड प्राप्त किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान इलायची (छोटी और बड़ी), मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, सेलरी, सौंफ, मेथी, अन्य बीज जैसे सरसों, अजवायन, सौंफ, आदि, जायफल और जावित्री; और अन्य मसाले जैसे इमली, हींग, आदि के निर्यात में, वर्ष 2019-20 की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ोत्तरी हुई है।

मूल्य वर्द्धित उत्पादों के मामले में, मसाला तेल और तैलीराल के निर्यात में, मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है; पुदीना उत्पादों के निर्यात में मात्रा में वृद्धि हुई और करी पाउडर/पेस्ट के निर्यात में मूल्य के मामले में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान कालीमिर्च और लहसुन के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य और मात्रा दोनों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 1,106.75 करोड़ रुपए मूल्य की 6,500 टन इलायची (छोटी) की कुल मात्रा का निर्यात किया गया था, जबकि पिछले वर्ष के 1,850 टन मूल्य 425.37 करोड़ रुपए था, जिसमें मात्रा में 251 प्रतिशत और मूल्य में 160 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस अवधि के दौरान इलायची (बड़ी) का निर्यात, पिछले वर्ष के 70.90 करोड़ रुपए मूल्य के 1,310 टन के मुकाबले में, मात्रा में एक प्रतिशत और मूल्य में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 91.26 करोड़ रुपए मूल्य का 1,325 टन रहा।

वर्ष 2020-21 में, मात्रा में 21 प्रतिशत और निर्यात मूल्य में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 8,429.75 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 6,01,500 टन मिर्च की मात्रा का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल 6,710.40 करोड़

रुपए मूल्य के 4,96,000 टन का निर्यात किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान 756.65 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 1,25,700 टन अदरक का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष के 529.05 करोड़ रुपए मूल्य के 60,410 टन का निर्यात किया गया था। अदरक के निर्यात में हुई वृद्धि मात्रा में 108 प्रतिशत और मूल्य में 43 प्रतिशत की है।

वर्ष के दौरान हल्दी का निर्यात, पिछले वर्ष के 1,286.90 करोड़ रुपए के 1,37,650 टन के मुकाबले में 1,676.60 करोड़ रुपए मूल्य के 1,83,000 टन का हुआ, जो मात्रा में 33 प्रतिशत और मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 में 489.82 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 57,000 टन धनिया का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष 398.31 करोड़ रुपए मूल्य के 47,135 टन का निर्यात किया गया था। निर्यात में वृद्धि मात्रा में 21 प्रतिशत और मूल्य में 23 प्रतिशत रही।

वर्ष 2020-21 के दौरान, जीरा के निर्यात में मात्रा में 40 प्रतिशत और मूल्य में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें कुल निर्यात 2,99,000 टन था, जिसका मूल्य 4,253.10 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष के दौरान जीरे का निर्यात 2,14,190 टन था, जिसका मूल्य 3,328.06 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान बड़ी सौंफ का निर्यात, पिछले वर्ष के 231.62 करोड़ रुपए मूल्य के 24,220 टन के आंकड़े के मुकाबले में 276.30 करोड़ रुपए मूल्य का 31,800 टन रहा, जिसमें मात्रा में 31 प्रतिशत और मूल्य में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सेलरी के निर्यात में वर्ष के दौरान मात्रा में 23 प्रतिशत और मूल्य में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल निर्यात 7,650 टन तक पहुंच गया, जिसका मूल्य 99.84 करोड़ रुपए था; जबकि पिछले वर्ष का निर्यात 69.03 करोड़ रुपए मूल्य के 6,230 टन था। वर्ष 2020-21 के दौरान देश से 246.42 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 38,300 टन मेथी का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल के 156.90 करोड़ रुपए मूल्य के 26,570 टन, मात्रा में 44 प्रतिशत और मूल्य में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2020-21 में, पिछले साल के 132.80 करोड़ रुपए मूल्य के 2,900 टन का निर्यात के खिलाफ, मात्रा में 34 प्रतिशत और मूल्य में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 190.00 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 3,875 टन जायफल और जावित्री का निर्यात किया गया। वर्ष के दौरान, मात्रा में 27 प्रतिशत और मूल्य में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,306.75 करोड़ रुपए मूल्य के 16,450 टन मसाला तेल और तैलीराल का निर्यात किया गया। जबकि 2019-20 में

स्पाइसेस बोर्ड

2,446.83 करोड़ रुपए मूल्य के 13,000 टन मसाले के तेल और तैलीराल का निर्यात हुआ था। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान (मूल्य के अवरोही क्रम में)

भारत से मसालों के मद-वार अनुमानित निर्यात और 2021 में परिवर्तन का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण तालिका-VII में दिया गया है।


तालिका - VII वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

मद	2020-21(अ)		2019-20 (अं)		2020-21 में	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	% परिवर्तन	
	(टन)	(लाख रुपए में)	(टन)	(लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य
मिर्च	6,01,500	8,42,975.00	4,96,000	6,71,039.53	21%	26%
जीरा	2,99,000	4,25,310.00	2,14,190	3,32,806.00	40%	28%
पुदीना उत्पाद (3)	27,400	3,66,825.00	24,470	3,83,202.24	12%	-4%
मसाला तेल व तैलीराल	16,450	3,30,675.00	13,000	2,44,682.74	27%	35%
हल्दी	1,83,000	1,67,660.00	1,37,650	1,28,690.53	33%	30%
इलायची (छोटी)	6,500	1,10,675.00	1,850	42,537.15	251%	160%
करी पाउडर/पेस्ट	38,450	89,145.00	38,370	81,278.66	0%	10%
अदरक	1,25,700	75,665.00	60,410	52,905.00	108%	43%
अन्य मसाले (2)	44,000	70,942.50	37,235	66,545.96	18%	7%
कालीमिर्च	16,300	54,445.50	17,000	57,370.94	-4%	-5%
धनिया	57,000	48,982.50	47,135	39,831.38	21%	23%
अन्य बीज (1)	48,800	30,008.00	37,580	22,080.72	30%	36%
बड़ी सौंफ	31,800	27,630.00	24,220	23,162.14	31%	19%
मेथी	38,300	24,642.00	26,570	15,690.38	44%	57%
जायफल व जावित्री	3,875	19,000.00	2,900	13,280.00	34%	43%
लहसुन	17,950	15,630.00	22,280	17,182.52	-19%	-9%
सेलरी	7,650	9,983.50	6,230	6,903.85	23%	45%
इलायची (बड़ी)	1,325	9,126.25	1,310	7,090.17	1%	29%
कुल	15,65,000	27,19,320.25	12,08,400	22,06,279.9	30%	23%
मूल्य दशलक्ष अमरीकी डॉलर में		3,624.76		3,110.63		17%
(अ) अनुमान, (अं) अंतिम						
(1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।						
(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।						
(3) में पुदीना तेल, मेंथोल और मेंथाल क्रिस्टल शामिल हैं।						
स्रोत: सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट, और पिछले वर्ष के निर्यात रुख आदि पर आधारित अनुमान।						


2020-21

वार्षिक रिपोर्ट

भारत से मसालों का देश-वार निर्यात	
देश	मूल्य (लाख रुपए में)
चीन	6,27,155.48
यूएसए	4,65,000.00
बांगलादेश	2,51,280.47
यूईई	1,65,298.53
थाईलैंड	1,17,309.88
यूके	83,983.34
मलेशिया	83,834.62
इंडोनेशिया	78,756.02
श्रीलंका	77,949.48
नेपाल	67,870.05
सऊदी अरब	55,538.85
मोरोक्को	50,336.56
ऑस्ट्रेलिया	44,656.16
जर्मनी	43,739.05
कनाडा	41,911.99
नेथरलैंड	41,584.26
अन्य	4,23,115.51




मद	मूल्य
मिर्च	8,42,975.00
जीरा	4,25,310.00
पुदीना उत्पाद	3,66,825.00
मसाला तेल व तैलीराल	3,30,675.00
हल्दी	1,67,660.00
इलायची (छोटी)	1,10,675.00
करी पाउडर/पेस्ट	89,145.00
अदरक	75,665.00
कालीमिर्च	54,445.50
धनिया	48,982.50
बड़ी सौंफ	27,630.00
मेथी	24,642.00
अन्य	1,54,690.35



स्पाइसेस बोर्ड

मद	मूल्य
मिर्च	6,01,500
जीरा	2,99,000
हल्दी	1,83,000
अदरक	1,25,700
धनिया	57,000
करी पाउडर/पेस्ट	38,450
मेथी	38,300
बड़ी सौंफ	31,800
पुदीना उत्पाद	27,400
लहसुन	17,950
मसाला तेल व तैलीरल	16,450
कालीमिर्च	16,300
अन्य	1,12,150



बोर्ड ने निर्यात की निगरानी की है और मंत्रालय को मसालों और मसालों के उत्पादों के निर्यात निष्पादन की सूचना दी है। व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने में दूतावासों/मिशनो/नियामक प्राधिकारियों के साथ भी समन्वय किया।

स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालयों ने निर्यातक संघ के समन्वय से उद्योग से इनपुट संगृहीत किया और व्यापार नीतियों, व्यापार वार्ता और समझौतों को तैयार करने के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट किया।

7

प्रचार एवं संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे संवर्धन तंत्र तैयार करना महत्वपूर्ण है। मसालों, इसके विभिन्न मूल्य वर्द्धित उत्पादों, उपयोगों और लाभों आदि के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार के हर अवसर का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान विभिन्न चैनलों का उपयोग करके स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी का भी प्रचार-प्रसार किया गया।

वैश्विक महामारी, कोविड-19 द्वारा प्रस्तुत अभूतपूर्व चुनौतियों ने प्रचार और संवर्धन के नए दृष्टिकोण और तंत्रों को अपनाना आवश्यक बना दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने दुनिया भर में भारतीय मसालों की ब्रैंडिंग के लिए अपनी योजनाओं और गतिविधियों को लोकप्रिय बनाना जारी रखा। भारतीय मसालों, मसाला उद्योग और बोर्ड की गतिविधियों के प्रचार और प्रसार के लिए रणनीतियां तैयार की गईं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की प्रमुख विशेषताएँ, वर्चुअल व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भागीदारी, विज्ञापन अभियानों, ऑनलाइन प्रचार अभियानों और पत्रिकाओं, ब्रोशर आदि के मुद्रण और प्रकाशन रहीं।

बहु-विषयक प्रचार गतिविधियां बोर्ड और मसाला उद्योग को समर्थन देती हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मसालों की मांग में वृद्धि होती है।

अ) प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी

व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी मसाला उद्योग के विभिन्न पणधारियों तक पहुंचने का एक बेहतरीन उपकरण है। वित्तीय वर्ष के दौरान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, सामाजिक समारोहों आदि में प्रतिबंधों के कारण, व्यापार मेलों को बोर्ड आभासी मंचों पर आयोजित किया। बोर्ड ने मुख्य मसाला उत्पादन और विपणन केंद्रों को कवर करने के उद्देश्य से प्रमुख आभासी व्यापार मेलों और भौतिक व्यापार मेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

व्यापार मेलों में भागीदारी ने बोर्ड को मसाला उद्योग के विभिन्न पणधारियों जैसे किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों, वैज्ञानिकों, अन्य निर्यात प्रचार एजेंसियों/संगठनों के साथ संपर्क और आदान-प्रदान करने का एक मंच प्रदान किया, जिससे भारतीय मसाला उद्योग के साथ भारतीय मसालों को भी बढ़ावा देने में सक्षम परियोजनाओं/गतिविधियों को बनाने में मदद मिली। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मेलों में भाग लेने से मसाले की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने और अखिल भारतीय स्तर पर बोर्ड की गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिली। प्रमुख व्यापार मेलों में स्पाइसेस बोर्ड के साथ सह-भागीदारी का अवसर निर्यातकों को भी प्रदान किया गया। सह-भागीदारी की सुविधा के परिणामस्वरूप अन्य पणधारियों के साथ निर्यातकों की सीधी बातचीत हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने कुल नौ घरेलू व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लिया, और इनमें से अधिकांश कार्यक्रम आभासी थे।

क्रमांक	ईवेंट का नाम	स्थान/माध्यम	दिनांक
1.	बायोफैक इंडिया 2020 डिजिटल संस्करण	आभासी	24-31 अक्टूबर, 2020
2.	सिक्स्थ इंडिया सीएमएल बीसिनस कॉन्क्लेव	वर्चुअल	03-04 दिसंबर, 2020
3.	फिक्की एनुअल वार्षिक वर्चुअल एक्सपो 2020	वर्चुअल	11 दिसंबर, 2020 - 11 फरवरी, 2021
4.	कृषि एवं पशुधन मेला	रोंगपो गोली ग्राउंड, गान्तोक	24 दिसंबर, 2020
5.	भारत का भौगोलिक संकेत महोत्सव (जीआईएफआई)	वर्चुअल	09 जनवरी - 08 फरवरी, 2021
6.	सिम्सैक एक्स	वर्चुअल	09-12 फरवरी, 2021
7.	वैगा 2021	त्रिशूर, केरल	10-14 फरवरी, 2021
8.	जीआई उत्सव	एलबीएसएनएए, मसूरी	04-05 मार्च, 2021
9.	इंडस फूड 2021	इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर	20-21 मार्च, 2021

आ) प्रचार अभियान

कोविड-19 महामारी और जनता के बीच प्रतिरक्षा और स्वस्थ खाद्य के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण, मसालों के मात्रा स्वादवर्धक होने की लोकप्रिय अवधारणा में बदलाव आया है। उन्हें उनके नीरोग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुणों के लिए भी जाना जाता था। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए, स्पाइसेस बोर्ड ने टाइम्स ग्रुप के साथ मिलकर जून 2020 में 'फ्लेवर्स ऑफ़ केरल' नाम से एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में जनता से मसालों के साथ खाना पकाने का एक वीडियो भेजने के लिए कहा गया, जिसमें इस्तेमाल किए गए मसालों के उपयोग और लाभों का विवरण दिया गया हो। इन सभी वीडियो को उसके व्यापक प्रसार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था।

इ) ऑनलाइन प्रचार अभियान

स्पाइसेस बोर्ड ने भारतीय मसालों और स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब और गूगल विज्ञापनों जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए, सोशल मीडिया अभियानों ने मसालों के बारे में इनकी वानस्पतिक और भौगोलिक जानकारी, व्यापारिक डेटा, चिकित्सकीय और रसोई सम्बंधित पहलुओं आदि सहित, जागरूकता पैदा की।

ई) पत्रिकाएं

(i) स्पाइस इंडिया

आवधिक प्रकाशन, स्पाइस इंडिया (मासिक) जो पांच अलग-अलग भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल में प्रकाशित होता है,

समय पर निकाली गई। तेलुगु भाषा में त्रैमासिक अंक भी अनुसूची के अनुसार जारी किए गए थे।

(ii) विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन

स्पाइसेस बोर्ड मसालों के निर्यात की सुविधा के लिए विदेशी व्यापार मेलों से, इ-मेइल के द्वारा और बोर्ड के कार्यालयों में सीधे प्राप्त होने वाले सभी व्यापारिक पूछताछ को, फॉरेन ट्रेड इंक्वायरी बुलेटिन (एफटीईबी) नाम के एक पाक्षिक बुलेटिन में संकलित और प्रकाशित करता है। यह प्रकाशन इसके ग्राहकों को इ-मेइल के माध्यम से भेजा जाता है।

(iii) अन्य प्रकाशन

वर्ष 2020-21 के दौरान छपी पुस्तिकाएं और ब्रोशर निम्नलिखित हैं:

क) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया पर सामान्य ब्रोशर।

ख) जीआई प्रमाणीकरण वाले भारतीय मसालों पर सामान्य ब्रोशर।

उ) विज्ञापनों को जारी किया गया

वर्ष के दौरान स्पाइसेस बोर्ड में रिक्तियों, निविदाओं आदि के बारे में विज्ञापन जारी किए गए। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड के बारे में सामान्य जानकारी और इलायची के प्रचार के लिए भी विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए थे।

ऊ) प्रेस विज्ञप्तियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निर्यात आंकड़ों और रुझानों, स्पाइसेस बोर्ड की पहलों और गतिविधियों आदि का विवरण देने वाली प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गईं। ■

8

कोडेक्स सेल

अ) मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच)

स्पाइसेस बोर्ड सीसीएससीएच समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और भारत की ओर से सीसीएससीएच के सत्र का आयोजन करता है। समिति को 2013 में कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसकी शुरुआत के बाद से अब तक चार सत्रों का आयोजन किया गया है। सीसीएससीएच के चौथे सत्र के सफल आयोजन के बाद, चरण पांच में, पांच मसौदा मानकों अर्थात् सूखी ओरगेनो, सूखे या निर्जलित अदरक, केसर, सूखी तुलसी और सूखी लौंग को विकसित करने के कार्य को अपनाया गया, और दो प्रस्तावित मसौदा मानक अर्थात् सूखी या निर्जलित मिर्च और लाल पैप्रिका, सूखे या निर्जलित जायफल पर दूसरे चरण में कार्य चल रहा है। बोर्ड के वैज्ञानिक इन मानकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजीएस) में सदस्य के रूप में अध्यक्षता/सह-अध्यक्षता कर रहे हैं और इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

आ) आगामी सत्र (सीसीएससीएच 5)

सीसीएससीएच का पाँचवाँ सत्र अप्रैल 2021 में आभासी रूप से आयोजित होने वाला है। सीसीएससीएच 5 कोडेक्स कमोडिटी कमेटी की ऑनलाइन आयोजित की जानेवाली पहली बैठक है। सितंबर 2020 के दौरान आयोजित होने वाला समिति का भौतिक सत्र, दुनिया भर में चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण रद्द कर दिया गया था। स्पाइसेस बोर्ड का कोडेक्स प्रकोष्ठ आयोजन सचिवालय के रूप में कार्य करता है तथा आगामी सत्र की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। कोडेक्स प्रकोष्ठ आगामी आभासी सत्र के आयोजन के लिए कोडेक्स सचिवालय, रोम और राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी), एफएसएसएआई, नई दिल्ली के साथ गतिविधियों के समन्वय के अलावा, समिति के मानकों के प्रारूपण से संबंधित तकनीकी कार्यों में भी सहायता कर रहा है। स्पाइसेस बोर्ड को आभासी पांचवें सत्र के आयोजन के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से

सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं।

इ) अन्य कोडेक्स बैठकें

क) कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन (सीएसी 43)

कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन (सीएसी 43) का 43वां सत्र सितंबर-नवंबर 2020 में आभासी रूप में आयोजित किया गया था। बोर्ड के अधिकारियों ने सत्र में ऑनलाइन के ज़रिए भाग लिया।

ख) सामान्य सिद्धांत पर कोडेक्स समिति (सीसीजीपी 32)

सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति का 32वां सत्र फरवरी 2021 में आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। फ्रेंच गणराज्य की सरकार के निमंत्रण पर, स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिकों ने बैठक और चर्चा में भाग लिया।

ई) आईएसओ टीसी 34/एससी7

मसालों के मानकों का मसौदा तैयार करने के लिए आईएसओ समिति, अर्थात् तकनीकी समिति 34/उपसमिति 7, निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्षता में बनी है। आईएसओ टीसी34/एससी7 का 30वां सत्र जून 2020 में आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। कोडेक्स प्रकोष्ठ इस समिति के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली के मेजबान सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और इस समिति के अंतर्गत मानकों की समीक्षा/संशोधन के लिए टिप्पणियां भी करता है।

उ) मसाले, पाक शाकों और मसालों की अनुभागीय समिति, एफएडी 9

मसालों, और पाक मसालों की अनुभागीय समिति, एफएडी 09 की 17वीं बैठक मई 2020 में आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस बैठक में स्पाइसेस बोर्ड के पदाधिकारियों ने भाग लिया। स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों

स्पाइसेस बोर्ड



ने मसालों के कई भारतीय मानकों के लिए टिप्पणियां प्रदान कीं, जो मानकों में उपयुक्त संशोधनकरने के लिए इस समिति में समीक्षाधीन हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली इस समिति के लिए मेजबान सचिवालय है और कोडेक्स प्रकोष्ठ, बीआईएस के साथ मिलकर काम करता है।

ऊ) खाद्य एवं कृषि प्रभाग परिषद, (एफएडीसी) की बैठक खाद्य एवं कृषि प्रभाग परिषद (एफएडीसी) की 25वीं बैठक मार्च 2021 में आभासी रूप में आयोजित की गई थी। बैठक में स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया। ■

9

गुणवत्ता सुधार

कोच्ची में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) को वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में स्थापित की गई थी किया गया था। क्यूईएल, कोच्ची को 1997 से आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, 1999 से आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश मानक संस्थान, यू.के. द्वारा प्रमाणित किया गया है और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सितंबर 2004 से परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार से आईएसओ/आईईसी: 17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भी मान्यता प्राप्त है। गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता माना जा रहा है, क्यूईएल, कोच्ची ने गुणवत्ता प्रणालियों को उन्नत करके अपनी साख हमेशा बनाए रखी है और ऐसा करना जारी है। प्रयोगशाला को नवीनतम उन्नत प्रणालियों के अंतर्गत; 2018 में ब्रिटिश मानक संस्थान, यूके द्वारा आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 की मान्यता मिली है, जो 06 अगस्त, 2021 तक वैध है और 2019 में एनएबीएल द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 की मान्यता मिली है, जो 12 अप्रैल, 2022 तक वैध है।

स्पाइसेस बोर्ड ने भारत से निर्यात किए गए मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों और ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम प्रदान करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। अब प्रमुख उत्पादक/निर्यात केंद्रों, अर्थात् चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतिकोरिन, कांडला और कोलकाता में सात क्षेत्रीय क्यूईएल प्रवृत्त हैं। कोलकाता में स्थापित सातवें क्षेत्रीय क्यूईएल का उद्घाटन 5 फरवरी, 2021 को हुआ। रायबरेली में आठवें क्षेत्रीय क्यूईएल के शीघ्र ही प्रचालन आरंभ करने की आशा है। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, दिल्ली और तूतिकोरिन की प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और अन्य प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

क्यूईएल स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अंतर्गत माल के नमूनों का विश्लेषण करते हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करते हैं। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए ये प्रयोगशालाएं परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, वर्कशीट के निर्माण और विश्लेषणात्मक परिणामों को प्रस्तुत करने सहित, 'क्वाडमास' नामक एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं और इसे लगातार अद्यतन किया जाता है।

क) विश्लेषणात्मक सेवाएं

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रयोगशाला ने मिर्च, मिर्च उत्पादों, हल्दी पाउडर और अन्य खाद्य उत्पादों की खेप के अनिवार्य नमूने के अंतर्गत सूडान डाई I-IV और एफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति के लिए मिर्च और मिर्च उत्पादों के अनिवार्य नमूनों का विश्लेषण जारी रखा। इसके अलावा, चीनी लेपित सौंफ के बीज (सनसेट येल्लो के लिए), करी पत्ते (यूरोपीय संघ का कीटनाशकों, जैसे प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस और एंडोसल्फान के लिए), जीरा (बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों के लिए) और मिर्च, जीरा और मसाले के निर्यात परेषण का (अमेरिका के साल्मोनेला के लिए) बोर्ड द्वारा लागू अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के अनुसार विश्लेषण किया।

इस अवधि के दौरान मिर्च, जीरा, हल्दी, कालीमिर्च, मेथी और छोटी इलायची जैसे मसालों और मसाला उत्पादों का साबुत और पीसे रूप में परीक्षण, भारत से जापान (तेल और तैलीराल को छोड़कर) कीटनाशक अवशेषों जैसे आईप्रोबेनफोस, प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस, एथियन, फोरेट के लिए आयातित कालीमिर्च की खेपों में पैराथियान, क्लोरपाइरीफोस और मिथाइल पैराथियान और पिपेरीन और तैलीराल सामग्री का विश्लेषण भी किया गया।

स्पाइसेस बोर्ड

मसाले और मसाला उत्पादों में सामान्य भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के अलावा, अन्य अवैध रंगों (अर्थात् पैरा रेड, रोडामाइन बी, बटर येलो, सूडान रेड 7बी और सूडान ऑरेंज जी), ओक्राटॉक्सिन ए, कालीमिर्च में खनिज तेल का पता लगाने, इलायची में अवैध रंगद्रव्य तथा कैसिया/दालचीनी, आदि क्युमोरिन सामग्री जैसे विभिन्न मापदंडों के लिए भी विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान की गईं।

क्यूईएल अपने ग्राहकों को वेबसाइट पर इस परीक्षण का दायरा उपलब्ध कराते हैं और इसे और अधिक सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों सहित संशोधित किया गया, जो स्वचालित, तेज, मान्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, क्यूईएल ने कुल 86,467 पैरामीटरों का विश्लेषण किया, जिसमें एफ्लाटाॉक्सिन, अवैध रंजक, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला एसपी आदि शामिल हैं।

क्यूईएल	संख्या				संगृहीत शुल्क (₹.)
	प्राप्त नमूने	परीक्षित पैरामीटर	आवश्यक परीक्षित पैरामीटर	अस्वीकृत आवश्यक नमूने	
कोच्ची	8,511	15,641	13,280	135	2,97,02,560
तूतिकोरन	2,858	4,379	2,408	29	1,00,51,700
चेन्नई	11,113	13,274	10,910	236	3,39,99,550
गुंटूर	5,123	8,250	7,225	16	1,80,75,719
मुंबई	9,565	17,684	16,221	234	3,73,68,314
नरेला	3,052	5,480	2,807	33	94,84,855
कांडला	11,199	21,656	21,366	197	1,94,43,797
कोलकाता	103	103	103	0	3,01,307
	51,524	86,467	74,320	880	15,84,27,802

अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के दायरे के विस्तार की आवश्यकता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, आदि जैसे विभिन्न आयातक देशों को किए गए निर्यात की अस्वीकृति की लगातार समीक्षा की जाती है।

ख) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार लाने और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को अद्यतन करने के एक भाग के रूप में, तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लिया।

1) रसायन, इंजीनियरिंग और नैदानिक माप में अनिश्चितता का अनुमान-ऑनलाइन (6-7 अगस्त, 2020)।

2) क्यू-इंडिया कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन आयोजित 'प्रयोगशालाओं और कार्य स्टेशनों में सुरक्षा प्रथाओं' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 अगस्त, 2020)।

3) माइक्रोबायोलॉजिकल मापन में अनिश्चितता का अनुमान - क्यू-इंडिया कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया (14 अगस्त, 2020)।

4) खाद्य सुरक्षा-मानव भोजन में योग्य व्यक्तियों के लिए निवारक नियंत्रण पर प्रशिक्षण-स्पाइसेस बोर्ड आरओ/क्यूईएल कोलकाता के माध्यम से ऑनलाइन बैठक (14-18 सितंबर, 2020)।

5) आईएसओ 17025:2017 - बीआईएस(ऑनलाइन) के अनुसार एलक्यूएमएस और आंतरिक ऑडिट (09-12 मार्च, 2021)।

ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम**अ) क्यूईएल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

- क्यूईएल, गुंटूर ने 22 सितंबर, 2020 को डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय के बागवानी छात्रों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- क्यूईएल, गुंटूर ने 24 सितंबर, 2020 को ग्राम बागवानी सहायक (वीएचए) और ग्राम कृषि सहायक (वीएए) के लिए मिर्च और हल्दी के उत्पादन और प्रसंस्करण में हालिया प्रगति पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

आ) छात्र इंटरनशिप/शैक्षणिक परियोजना कार्य

क्यूईएल, कोच्ची और क्यूईएल, चेन्नई ने स्नातकोत्तर के 9 छात्रों को मार्गदर्शन और शोध प्रबंध की सुविधा प्रदान की। क्यूईएल, तूतिकोरिन ने विभिन्न कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों के पांच छात्रों को इंटरनशिप प्रदान की।

घ) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी

- अ) 15 जुलाई, 2020 को आभासी तौर पर में गुणवत्ता पर आईपीसी समिति की 26वीं बैठक।
- आ) कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन 43वां सत्र-आभासी (24 सितंबर - 06 नवंबर, 2020)।
- इ) 13 दिसंबर, 2020 को 'निर्यात प्रोत्साहन और एंटी-डंपिंग और व्यापार उपचार/मसाला क्षेत्र के लिए तकनीकी बाधाओं' पर आभासी ओपन हाउस पैनल चर्चा।
- ई) सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति का 32वां सत्र-आभासी (08-17 फरवरी, 2021)।
- उ) सीसीएससीएच पर भारत के राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु-सीसीजी के संबंध में बैठक (26 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पूर्व बैठक) और सीसीएफएल (खाद्य लेबल पर कोडेक्स समिति) सीसीजी में 19 मार्च, 2021 को बैठक।

ड) आईएसओ सिस्टम संबंधित गतिविधियां

1. यूईएल, तूतिकोरिन ने आईएसओ/आईईसी: 17025:2017 के लिए एनएबीएल ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया और अक्टूबर, 2020 में जीरा, साल्मोनेला में एफ्लाटाॉक्सिन, सूडान डाई, करक्यूमिन, बाहरी और अन्य बीजों के मापदंडों के लिए प्रत्यायन प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
2. क्यूईएल, चेन्नई ने मार्च, 2021 में ऑन-साइट सर्विलांस ऑडिट पूरा किया था।

च) स्पाइसेस बोर्ड नमूना जांच कार्यक्रम/प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम

अ) सितंबर, 2020 में, क्यूईएल, चेन्नई ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट मापदंडों के लिए अंतर-प्रयोगशाला नमूना जांच कार्यक्रम आयोजित किया। क्यूईएल, कोच्ची ने अक्टूबर, 2020 में सिंथाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित आईएलसी कार्यक्रम में भाग लिया। परिणाम 'जेड' स्कोर की सीमा के भीतर थे और जहां भी विचलन देखा गया था, सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

आ) एफएपीएस और आश्वी पीटी प्रोवाइडर्स जैसी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्यूईएल, कोच्ची, तूतिकोरिन, चेन्नई, नरेला, गुंटूर, मुंबई और कांडला ने बाहरी पदार्थ, अन्य बीज, मोल्ड वृद्धि, जीवित/मृत कीट, पिन हेड, कीट के टुकड़े, कीट क्षतिग्रस्त पदार्थ, हल्के जामुन, पिपेरिन, कैप्सेइसिन, करक्यूमिन, नमी, कुल राख, एसिड अघुलनशील राख, क्रोमेट, रंग मूल्य, एनवीईई, वाष्पशील तेल, कच्चा फाइबर, कुल स्टार्च, सूडान I, सूडान II, सूडान III, सूडान IV, सुडान लाल 7ए, एफ्लाटाॉक्सिन बी1, कुल एफ्लाटाॉक्सिन, आक्राटाॉक्सिन क, कुल एंडोसल्फान, एथियन, बीएचसी आइसोमर्स, डीडीटी आइसोमर्स, प्रोफेनोफोस, साल्मोनेला, कुल प्लेट काउंट, यीस्ट और मोल्ड, एंटरोबैक्टीरियासी, ई.कोली, और कोलीफॉर्म जैसे विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजीव-विज्ञानी मापदंडों में भाग लिया था। परिणाम संतोषजनक



थे और 'जेड' स्कोर की सीमा के भीतर थे।

छ) परियोजनाएं/मानकीकरण कार्य आरंभ किया गया

क्यूईएल, कोलकाता ने मिर्च में एफ्लाटॉक्सिन, जीरा में बाहरी/विदेशी पदार्थ और मिर्च में सूडान I-IV रंगों के संबंध में मानकीकरण कार्य किया था।

ज) प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण, अवसंरचना और उपकरणों की खरीद

1. क्यूईएल, कोलकाता ने एलसी-एमएस/एमएस, 12 पोजीशन पंप, हाई स्पीड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर,

हॉट एयर ओवन, हॉट प्लेट, माइक्रोपिपेट, डिजिट बैलेंस, साइक्लोक्सिमीटर, डीप फ्रीजर, कोल्ड टेम्परेचर कैबिनेट, सोनिकेटर, सेंट्रीफ्यूज, वजन का मास्टर सेट, मोबाइल चरण की तैयारी के लिए निस्संदन असेंबली, नाइट्रोजन बाष्पीकरण जैसे कुछ उपकरण खरीदे थे।

2. क्यूईएल, चेन्नई ने वाटर्स यूपीएलसी/एमएस, नाइट्रोजन जेनरेटर, सेंट्रीफ्यूज, कोल्ड स्टोरेज कैबिनेट्स, नाइट्रोजन इवैपोरेटर्स, साइक्लोमिक्सर और अल्ट्रा सोनिकेटर जैसे उपकरण खरीदे।

10

निर्यातोन्मुख अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने मुख्य रूप से फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, पोषक तत्व प्रबंधन और मिट्टी विश्लेषण पर आधारित फसल उत्पादन अध्ययन, फसल के बाद के अध्ययन, कीटनाशक अवशेषों की निगरानी, छोटी और बड़ी इलायची में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर आधारित फसल संरक्षण अध्ययन पर केंद्रित अनुसंधान कार्यक्रमों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अन्य मसालों पर और अनुकूली परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में किसानों और लक्षित समूहों के लिए मुख्य रूप से वेबिनार, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विस्तार किया गया। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों का फोकस एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत रोग प्रबंधन (आईडीएम), एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) के अभ्यास के साथ-साथ कटाई के बाद के तरीकों में सुधार के माध्यम से इलायची में अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को अपनाने को प्रोत्साहित करना था।

अ) फसल सुधार

क) छोटी इलायची

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में जीन बैंक में छोटी इलायची के तीन अद्वितीय संग्रह एकत्रित, गुणित और संरक्षित किए गए थे। सकलेशपुर में, छोटी इलायची के चार अद्वितीय अंश एकत्रित और गुणित किए गए।

आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में इलायची जर्मप्लाज्म की राष्ट्रीय संरक्षिका में वर्तमान में छोटी इलायची और 12 संबद्ध प्रजातियों की 540 प्राप्तियाँ हैं और आईसीआरआई, आरएस, सकलेशपुर में, जीन बैंक में छोटी इलायची और 10 संबद्ध प्रजातियों की 264 प्राप्तियाँ हैं। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में जीन बैंक में छोटी इलायची के प्रवेश का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और 100 प्राप्तियों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया है। जर्मप्लाज्म संरक्षिका में छोटी इलायची के 50 प्राप्तियों का मूल्यांकन आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण (पीईटी) के भाग के रूप में

किया गया था और आईसीआरआई, आरएस, सकलेशपुर में जर्मप्लाज्म रिपॉजिटरी में छोटी इलायची 150 प्रविष्टियों की गई थीं। छोटी इलायची की जारी किस्मों और भूमि प्रजातियों का जैव रासायनिक लक्षण वर्णन आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में शुरू किया गया था। मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में घरेलू उद्यान/संरक्षित खेती के अंतर्गत इलायची की खेती के विस्तार के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान, आईसीआरआई, मैलाडुंपारा से छोटी इलायची की जारी/उन्नत लाइनों के 6,445 पौधों का उत्पादन और आपूर्ति की गई और छोटी इलायची की चयनित पंक्तियों की 7,605 रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया और आईसीआरआई, आरएस, सकलेशपुर से जरूरतमंद किसानों को इनकी आपूर्ति की गई। कर्नाटक में गैर-पारंपरिक क्षेत्रों (हासन, अरासिकेरे, सुब्रमण्य और पुत्तूर जिले) के किसानों को आईसीआरआई, आरएस, सकलेशपुर से इलायची के पौधे (800 पौधे) वितरित किए और विकास का प्रदर्शन अच्छा रहा।

मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में छोटी इलायची पर संकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। आईसीआरआई फार्म, मैलाडुंपारा में तीन संभावना युक्त संकरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान छोटी इलायची और संकर बीजों की चयनित भूमि प्रजातियों के साथ नए संकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में खेत की स्थिति के अंतर्गत एफ1 संकर पौधे का मूल्यांकन किया जा रहा है। मैलाडुंपारा में स्वस्थानी स्थिति में किसानों के खेत में छोटी इलायची पर एक नया सहभागी प्रजनन कार्यक्रम (पीबीपी) शुरू किया गया।

आईसीआरआई के अंतर्गत प्रयोग - स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग से परियोजना; मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीएस) और पीपीवी और एफआर अधिनियम, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रायोजित विशिष्टता, विशिष्टता और स्थिरता (डीयूएस) परीक्षण सुविधा जारी रखी जा रही है।



ख) बड़ी इलायची

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बड़ी इलायची के पांच अद्वितीय परिग्रहणों को लक्षण वर्णन के लिए आईसीआरआई, आरएस, सिविकम के जीन बैंक में एकत्रित और गुणित किया गया। इस अवधि के दौरान, उपज विशेषताओं के आधार पर 25 प्राप्तियों का मूल्यांकन किया गया। संकरण कार्यक्रम शुरू किया गया और पौध उगाने के लिए नर्सरी में एफ1 संकर के बीज बोए गए।

आईसीएआर-आईआईएसआर के अंतर्गत, मसाले पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना (एआईसीआरपीएस) के अंतर्गत मूल्यांकन परीक्षण जारी रखा गया था और तीन प्राप्तियाँ एकत्रित की गई थीं और लक्षण वर्णन प्रक्रिया प्रगति पर है। आईसीएआर-आईआईएसआर, कोषिकोड के सहयोग से बड़ी इलायची के दस नमूनों की तेल प्रोफाइलिंग पूरी की गई और दो प्रमुख वाष्पशील यौगिकों की पहचान की गई। उच्च करक्यूमिन सामग्री के साथ मेघा हल्दी-1 किस्म की प्रदर्शन सह केंद्रक बीज उत्पादन इकाई की स्थापना की गई।

आ) जैव प्रौद्योगिकी

क) छोटी इलायची

आणविक मार्करों का उपयोग करके जीन बैंक और चयनित भूमि प्रजातियों से छोटी इलायची की विभिन्न प्राप्तियों के बीच आनुवंशिक विविधता और अंतर-संबंधों की पहचान का कार्य पूरा किया गया। सभी प्राप्तियों का पासपोर्ट डेटा संकलन के अधीन है।

इलायची प्रतिलेख परियोजना में, कैप्सूल सड़न रोग संबंधी प्रतिलेख विश्लेषण प्रगति पर है। चयनित विभेदक रूप से व्यक्त जीनों के डेटा सत्यापन के लिए विभिन्न नमूनों के अनुक्रम का डेटा विश्लेषण किया गया था। डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न कालीमिर्च जीनोटाइप कार्य के आणविक और रूपात्मक लक्षण वर्णन को पूरा कर इसे संकलित किया गया।

इडुक्की जिले के विभिन्न स्थानों से फुसैरियम संक्रमित इलायची के पौधे के नमूनों का रूपात्मक लक्षण वर्णन किया गया और इन्हें आणविक लक्षण वर्णन के लिए आगे संसाधित किया गया। आइसोलेट्स की पहचान फुसैरियम एसपी के रूप में की गई। आकृति विज्ञान और धब्बों के पैटर्न का

अध्ययन करके इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग का काम प्रगति पर है।

छोटी इलायची, बड़ी इलायची, वैनिला, अदरक और शाकीय मसालों के ऊतक संवर्धित पौधे तैयार किए गए। लागत प्रभावी विश्वसनीय प्रोटोकॉल तैयार किए गए और सभी मूल कल्चरों को बनाए रखा गया। विभिन्न कॉलेजों के परियोजना छात्रों के लिए आणविक और ऊतक संवर्धन तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

ख) बड़ी इलायची

जारी की गई किस्मों और बड़ी इलायची की प्राकृतिक किस्मों के विविधता-विश्लेषण से उच्च बहुरूपता का पता चला। बड़ी इलायची जर्मप्लाज्म की 65 प्राप्तियों के लिए आणविक प्रोफाइल विकसित किए गए थे। प्राकृतिक किस्मों के रूपात्मक और आणविक लक्षण वर्णन के आधार पर बड़ी इलायची डिस्क्रिप्टर का काम शुरू किया गया था। प्रत्येक प्राकृतिक किस्म के अंतर के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध विशिष्ट विशेषताओं और महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताओं को तैयार किया।

बड़ी इलायची के न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन प्रोटोकॉल के साथ-साथ वायरस इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया गया। कोट प्रोटीन के संरक्षित क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किए गए प्राइमरों का उपयोग करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) के माध्यम से बड़ी इलायची के चिरके वायरस (एलसीसीवी) का पता लगाने का मानकीकरण किया गया था। बड़ी इलायची में रोग संबंधी मार्करों पर जानकारी उत्पन्न करने के लिए चिरके संक्रमित बड़ी इलायची के ट्रांसक्रिप्टोम डेटा पर जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण जारी रखा गया था। कई अलग-अलग व्यक्त जीनों की पहचान की गई और इसके मान्यकरण का कार्य चल रहा है।

इ) कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

क) छोटी इलायची

कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान प्रभाग की अनुसंधान परियोजनाओं ने केरल और तमिलनाडु में निरंतर आधार पर इलायची के क्षेत्रों की मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन जैसे विषय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया और मिट्टी; जल प्रबंधन, जैविक खेती, कीटनाशक अवशेषों की निगरानी, जलवायु परिवर्तन

पर अध्ययन और फसल कटाई पश्चात के प्रसंस्करण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान कीं।

रबड़ बोर्ड और केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय (डीयूके-जिसे पहले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान-आईआईआईटीएमके, केरल के नाम से जाना जाता था) के सहयोग से 'इलायची क्षेत्र के जीआईएस आधारित मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन और जलवायु लचीली इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक सिफारिश' पर एक शोध परियोजना शुरू की गई थी। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (स्पाइसेस बोर्ड), भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (रबड़ बोर्ड) और डीयूके (आईआईआईटीएमके, केरल सरकार) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और इडुक्की जिले के इलायची हिल रिजर्व से 350 भू-संदर्भित मिट्टी के नमूनों का संग्रह पूरा किया गया। इलायची में एक अनुकूलित पोषक तत्व तैयार करने के लिए निरंतर शोध जारी है।

इलायची के बागानों से प्राप्त कुल 1324 मिट्टी के नमूनों का सभी पोषक तत्वों और पीएच स्तर के लिए विश्लेषण किया गया। मृदा परीक्षण रिपोर्ट में इलायची उगाने वाले क्षेत्रों (60 प्रतिशत) में मिट्टी के अम्लीकरण को एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाया गया है, जिससे मिट्टी में संशोधन कारकों (चूना या डोलोमाइट) का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। लगभग 50 प्रतिशत मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाई गई, जिसके लिए फॉस्फेटिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता थी। द्वितीयक पोषक तत्वों के लिए, विश्लेषण किए गए मिट्टी के नमूनों में से 65 प्रतिशत में सल्फर की कमी देखी गई। आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से, इडुक्की जिले में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक फास्फोरस के स्तर की घटनाओं में 10 प्रतिशत और सल्फर की कमी की घटना में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

केरल सरकार के भूजल विभाग के सहयोग से कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान प्रभाग, आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में 'इडुक्की जिले के इलायची की खेती वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन' नामक एक सहयोगी परियोजना शुरू की गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इडुक्की जिले के इलायची उगाने वाले इलाकों में विभिन्न स्थानों से 118 पानी के नमूनों का ऑर्गेनो-फॉस्फोरस और ऑर्गेनो-क्लोरीन कीटनाशकों के लिए विश्लेषण किया।

मसालों में कटाई पश्चात के अध्ययन के लिए बुनियादी

सुविधाओं का निर्माण शुरू किया और छह स्नातकोत्तर छात्रों ने मसाला प्रसंस्करण में अपना शोध प्रबंध कार्य पूरा कर लिया है। बेहतर हरा रंग बनाए रखने के लिए इलायची के पूर्व-उपचार चरण में सोडियम बाइ-कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की खुराक को मानकीकृत किया। छोटी इलायची में मूल्यवर्धन के लिए कोमल इलायची के अचार में प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया गया। कालीमिर्च में गुणवत्ता विशेषताओं पर सुखाने के विभिन्न तरीकों का मूल्यांकन किया। इडुक्की जिले के उडुंबंचोला तालुक में इलायची पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जल स्रोतों से भौतिक और रासायनिक मापदंडों के संदर्भ में पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया।

ख) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची की वृद्धि और उपज पर बोरोन की भूमिका का आकलन करने के लिए किए गए पोषक परीक्षण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्तों पर बोरेक्स 0.5 प्रतिशत की दर के साथ 2.5 किग्रा/हेक्टेयर बोरेक्स की दर पर अनुप्रयोग से 561.0 किग्रा/हेक्टेयर की उच्चतम शुष्क उपज दर्ज की गई, जिसमें लाभ लागत अनुपात 2.49:1 था।

बड़ी इलायची में मिट्टी की नमी की अलग-अलग संरक्षण प्रथाओं और उपज पर उनके प्रभाव से पता चला कि ढलान के पार खाई में बायोमास से नमी संरक्षण ने 2.89:1 के उच्चतम लागत अनुपात लाभ के साथ 317.94 किलोग्राम/हेक्टेयर की उच्चतम शुष्क उपज दर्ज की।

ई) पादप रोगविज्ञान

गहरे मानसून के मौसम में इडुक्की जिले के विभिन्न स्थानों से छोटी इलायची की प्राकृतिक सड़न से बचने वाली तीस किस्में एकत्रित की गईं और उन्हें आईसीआरआई में संरक्षित रखा गया। प्रकंद सड़न और संपुटिका सड़न की घटनाओं को दर्ज किया गया। प्रकंद सड़न की न्यूनतम घटना देखी गई और इनमें 2.00 से 3.5 प्रतिशत तक भिन्नता थी और सभी बचावों में संपुटिका सड़न की घटना नहीं देखी गई थी।

ताजा इलायची से कीटनाशकों के अवशेषों को हटाने के लिए ओजोन के प्रभाव पर अध्ययन किया गया था। परिणामों से पता चला कि छोटी इलायची की पूर्व-उपचार प्रक्रिया के दौरान ओजोन उपचार का उपयोग करके 86.84 प्रतिशत डाइथियोकार्बामेट्स अवशेषों को हटाया गया था। यह भी दर्ज किया गया था कि छोटी इलायची की पूर्व-उपचार

स्पाइसेस बोर्ड

प्रक्रिया के दौरान 30 मिनट के लिए 200 मिलीग्राम/एच की खुराक पर ओजोन से उपचार करने पर एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला प्रजातियों जैसे खाद्य रोगजनक बैक्टीरिया पूरी तरह से समाप्त हो गए थे (चित्र 1 और 2)।



चित्र.1 ओजोन से उपचारित



चित्र. 2 नियंत्रण (ओजोन उपचार के बिना)

कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोसेटाइल एल्युमिनियम और डाय-फेंथियूरोन (सीआईबी और आरसी के अंतर्गत पंजीकृत) जैसे कीटनाशक टैंक मिक्स में यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे उर्वरकों के अनुकूल पाए गए। परिणामी घोल ने इलायची के पत्तों पर कोई फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं दिखाई। छोटी इलायची के फाइटोपथोरा मेडी, फुसैरियम ऑक्सीस्पोरम, राइजोक्टोनिया सोलानी, कोलेटोट्रिचम ग्लियोस्पोरियोइडस जैसे प्रमुख सड़ांध रोगजनकों के खिलाफ कवकनाशी के नए अणुओं का परीक्षण किया गया। यह अध्ययन उन्हीं रसायनों के बार-बार उपयोग से बचने में उपयोगी हो सकता है जो उत्पाद में कीटनाशक अवशेषों के पाए जाने कारणों में से एक है।

उ) कीट विज्ञान

क) छोटी इलायची

छोटी इलायची में प्रमुख कीटों के प्रबंधन के लिए नए कीट नाशक अणुओं का मूल्यांकन किया गया। परीक्षित कीट नाशकों में, फिप्रोनिल 5 प्रतिशत एससी ने थ्रिप्स को कम किया और स्पिनोसैड 45 प्रतिशत एससी ने थ्रिप्स और बोरर के नुकसान को कम किया। छोटी इलायची के मिट्टी के कीटों पर ईपीएन संक्रमित गैलेरिया शवों का मूल्यांकन किया, उनमें से ईपीएन के 4 लाख संक्रमित किशोर (आईजेएस) ने मूल भृंगक पर शत-प्रतिशत क्षति और मूल गांठ सूत्रकृमि (आरकेएन) पर 40-45 प्रतिशत क्षति दर्ज की।



क. थ्रिप्स संक्रमित इलायची के कैपसूल



ख. ईपीएन संक्रमित गैलेरिया कैडावर

ख) बड़ी इलायची

इस अवधि के दौरान निगरानी के माध्यम से कीट और उसके प्राकृतिक शत्रु के प्रकोप का जायजा लिया गया। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में अलग-अलग ऊंचाई पर बड़ी इलायची के कैप्सूल बेधक और कीटों के लिए हॉट स्पॉट की पहचान से संबंधित अध्ययन शुरू हुआ और इसमें 0.8 से 3.5 प्रतिशत तक संक्रमण पाया गया। बड़ी इलायची की मिट्टी से जुड़ी पांच नई सूत्रकृमि प्रजातियों की पहचान की।

ऊ) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

क) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड ने छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्री आदित्यचुचनागिरी विमेन्स कॉलेज, कम्बम, तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16-17 फरवरी, 2021 को श्री आदित्यचुचनागिरी विमेन्स कॉलेज, कम्बम के 'छोटी इलायची और बायोकंट्रोल एजेंटों के उत्पादन' या बीएससी, (बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री) के छात्रों के लिए 'उन्नत कृषि तकनीक' पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 250 छात्रों ने भाग लिया और वे लाभान्वित हुए।

ख) जैव एजेंट उत्पादन

संस्थान ने मसालों में विभिन्न कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए जैव एजेंटों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया है। आईसीआरआई जरूरतमंद किसानों के लिए बहुत ही उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बायो-एजेंट की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मसालों पर विभिन्न रोगों के प्रबंधन के लिए वर्ष 2020-2021 में मसाला किसानों को ट्राइकोडर्मा हर्जियानम (1382 लीटर) और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस (1678 लीटर) जैसे जैव-एजेंटों का उत्पादन और आपूर्ति की गई थी।

ग) मसाला किसानों के लिए वेबिनार आयोजित

1) छोटी इलायची

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, आईसीआरआई क्षेत्र के स्तर पर मसाला क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सका। हालांकि, विभिन्न मसालों की उन्नत खेती के तरीकों पर 24 वेबिनार आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों से 1634 किसान लाभान्वित हुए। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा द्वारा प्रबंधित दो व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से 490 किसानों को सलाहकार सेवाएं दी गईं।

2) बड़ी इलायची

कोविड-19 के कारण सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'आईसीआरआई फार्मर्स इंटरफेस' बनाया गया था, जो तकनीकी रूप से आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों के 257 मसाला किसानों को संबोधित कर सकता था। इस मंच का उपयोग करके सलाहकार सेवाएं प्रदान की गईं। इस अवधि में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी इलायची के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सिक्किम क्षेत्र में 157 किसानों को शामिल करते हुए किसानों के खेत में चार मसाला क्लिनिकों का संचालन किया। चौवालीस किसानों के खेत का दौरा किया गया और बड़ी इलायची की खेती के विभिन्न पहलुओं पर स्थान विशिष्ट सलाह प्रदान की गई।

अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और 140 बड़ी इलायची उत्पादकों को शामिल करते हुए 'अरुणाचल प्रदेश में बड़ी इलायची की खरीद पर एनईआरएएमएसी के सामने चुनौती' पर एक अध्ययन किया गया और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

आईसीआरआई-आरएस, तादोंग द्वारा 4-6 मार्च, 2021 को 'बदलती जलवायु परिस्थितियों में बड़ी इलायची की खेती' पर एआईसीआरपीएस द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ऋ सामान्य

छोटी इलायची के लिए 32वीं वार्षिक अनुसंधान परिषद (एआरसी) 19 नवंबर, 2020 को आईसीआरआई मैलाडुंपारा में आयोजित की गई थी और बड़ी इलायची के लिए 28वीं एआरसी 16 जून, 2020 को सिक्किम के तादोंग में आयोजित की गई थी, जिनमें अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। दोनों बैठकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित की गईं।

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में बरसात के कुल 145 दिनों के साथ कुल वार्षिक वर्षा 3010.4 मिमी दर्ज की गई थी। औसत वार्षिक तापमान 19.83 डिग्री सेल्सियस था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध दस्तावेज प्रकाशित किए गए, किताबें, लोकप्रिय प्रकाशन और विभिन्न संगोष्ठियों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में शोध प्रस्तुतियां दी गईं।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत 'मसालों की खेती में लगे किसानों के सशक्तिकरण के लिए पूर्व शिक्षा (आरपीएल) की मान्यता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम' शीर्षक से आरपीएल परियोजना पर 'ई-बुक' प्रकाशित की गई और उसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को प्रस्तुत किया गया।

'मिट्टी परीक्षण के लिए इलायची के बागान से मिट्टी के नमूने एकत्र करने की विधि' पर वीडियो तैयार किया गया।

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान- अनुसंधान फार्म, मैलाडुंपारा (सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा

इडुक्की जिले में एकमात्र मान्यता प्राप्त कालीमिर्च नर्सरी) मसाला उत्पादकों के लिए कालीमिर्च की 22 जारी उच्च उपज वाली किस्मों की रोपण सामग्री का रखरखाव और वितरण कर रहा है।

आईसीआरआई अनुसंधान फार्म, मैलाडुंपारा ने उच्च उपज देने वाली किस्मों के एक लाख इलायची चारों के उत्पादन लक्ष्य के साथ इलायची पौधशाला शुरू की है।

ए) बाहरी रूप से वित्त पोषित और सहयोगात्मक परियोजनाएं

आईसीआरआई ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को निष्पादित किया।

क. मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना- आईसीआरआई, नई दिल्ली: आईसीआरआई-मैलाडुंपारा, आईसीआरआई-आरएस- सकलेशपुर और आईसीआरआई-आरएस-गान्तोक एआईसीआरपीएस के मान्यता प्राप्त सह-चयन केंद्र हैं।

ख. डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता) - पीपीवी और एफआर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय: आईसीआरआई-मैलाडुंपारा को छोटी इलायची के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ग. जेएनटीबीजीआरआई, तिरुवनंतपुरम (केएससीएसटीई, केरल सरकार) के साथ इलायची प्रतिलेख अनुसंधान पर सहयोगात्मक परियोजना।

घ. रैलीज इंडिया, बेंगलूर द्वारा वित्त पोषित सहयोगात्मक अनुसंधान और कीटनाशक परीक्षण।

ङ. इडुक्की जिले के इलायची हिल रिजर्व (सीएचआर) में जल की गुणवत्ता और कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए केरल राज्य भूजल विभाग के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान।

च. भारत के रबड अनुसंधान संस्थान और केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय (आईआईटीएमके) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इलायची क्षेत्र के जीआईएस आधारित मिट्टी उर्वरता मूल्यांकन और ऐप आधारित उर्वरक सिफारिश पर सहयोगात्मक परियोजना। ■

11

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालन को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया है जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम करता है और उनके संचालन के समय को कम करता है। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को तेज और अधिक उत्पादी बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियां

- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह देना, उनका मार्गदर्शन और सहायता करना।
- मौजूदा एप्लिकेशन, मैसेजिंग समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन।
- हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरण जैसे संगठन के व्यापक आईटी संसाधनों का प्रशासन।
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।
- आईटी अवसंरचना का उन्नयन।
- आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारू कामकाज के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वित करना।
- डेटा प्रासेसिंग।
- नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन) की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना।
- सूचना प्रणाली और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।
- बोर्ड की वेबसाइट indianspices.com, spiceboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com और ccsch.in का रखरखाव और अद्यतन।

- कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार और संचालित करना।

2020-21 की प्रमुख उपलब्धियां

- क) एसएसएल का उपयोग करते हुए विपणन विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस (सीआरईएस) और एक्सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम (ईएसएस) एप्लिकेशन के रूप में पंजीकरण के प्रमाणीकरण को 'https' में स्थानांतरित कर दिया गया।
- ख) व्यापार करने में आसानी के भाग के रूप में निर्यातकों के लिए एक पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, भुगतान गेटवे के साथ पंजीकरण की शुरुआत की गई; अब इसे सीआरईएस बोर्ड के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जारी किया जाता है।
- ग) विकास विभाग के उपयोग के लिए एनआईसी के सर्विस प्लस एप्लिकेशन का कार्यान्वयन शुरू किया।
- घ) उमंग प्लेटफॉर्म में विभिन्न सेवाओं को एकीकृत किया गया है।
- ङ) विपणन विभाग के लिए एनएसडब्ल्यूएस (राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली) अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन शुरू किया गया।
- च) किसानों की सहायता करने और विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किसान मोबाइल ऐप विकसित किया गया था।
- छ) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया था।
- ज) ब्यौहारी और नीलामकर्ता पंजीकरण फॉर्म और रिपोर्ट अद्यतन बनाए गए।
- झ) एपीएआर एप्लिकेशन को नई कार्यक्षमताओं के साथ बढ़ाया गया था।
- ञ) एनओसी जारी करने और नमूनों के लिए उपक्रमों का समर्थन करने के लिए निर्यात सहायता प्रणाली को संशोधित किया गया था।
- ट) वेबसाइट indianspices.com और spiceboard.in को नवीनतम जानकारी और नए डिजाइन के साथ अद्यतन बनाया गया।

12

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन की जानकारी सुरक्षित रूप से प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सूचना के अधिकार का एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित कुछ सूचना को छोड़कर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नागरिक, बोर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के प्रसारण के समायोजन हेतु उप-निदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। मुख्यालय में एक सहायक समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रसारण के लिए बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत मुख्यालय में सात केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अनुसंधान स्टेशन, मैलाडुपारा, इडुक्की में एक केंद्रीय

सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को पदनामित किया गया है। निदेशक (प्रशासन), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलिय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-निदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के 'पारदर्शिता अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, को स्वप्रेरणा से, ऐसे प्ररूप और रीति में बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए आवश्यक जानकारी का ऐसे प्रकार और रूप में प्रकट किया है, जो [सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)] जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भौतिक रूप से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 96 सूचना का अधिकार आवेदन और 16 अपीलें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सूचना का प्रसार किया गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। आरटीई पंजीकरण शुल्क के रूप में रु 220/- और फोटोकॉपी शुल्क के रूप में 724 रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित क्रम के अनुसार त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) का अद्यतनीकरण किया गया।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के वार्षिक लेखे की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए उत्तर

	सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 2020-21 के पैरा	उत्तर /प्रस्तावित कार्रवाई
अ	तुलन पत्र	
1	समग्र/पूँजी निधि व देनदारियां	
	चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7) : 241.82 करोड़ रुपए	
	उपर्युक्त को, अग्रिमों, गुजरात सरकार से जिसकी वसूली, जो वर्ष 2010-11 से लेकर लंबित है, के लिए तथा अग्रिमों, जिसके विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं हैं, के लिए प्रावधान न करने के कारण 4.85 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटे में 4.85 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	राशि की वापसी के लिए मामले को, इसके लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, पहले ही गुजरात राज्य सरकार के साथ उठाया जा चुका है। गुजरात सरकार से यह प्राप्त होने के बाद, इसे लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन को अच्छी तरह से नोट किया गया है, आवश्यक सुधार वर्ष 2021-22 के दौरान शामिल किया जाएगा।
2	चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 11): 193.43 करोड़ रुपए	
	उपर्युक्त को, अल्पावधि जमा के दोहरी लेखांकन के कारण 1.34 करोड़ रुपए बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय और घाटे में 1.34 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	यह सिस्टम त्रुटि के कारण हुआ है और इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहचाना जा सका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आवश्यक सुधार शामिल किया जाएगा।
आ	आय और व्यय लेखा	
	व्यय	
	वर्ष 2015-16 में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान, सेवानिवृत्ति/पेंशन और संचित छुट्टी नकदीकरण से संबंधित 226.23 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। हालांकि, 31 मार्च 2021 तक की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इन मदों से संबंधित कुल देयता 348.72 करोड़ रुपए की राशि रही। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के विभिन्न खर्चों से संबंधित कुल 0.53 करोड़ रुपए का लेखा-जोखा वर्ष 2021-22 में शामिल किया गया था, जिसके लिए वर्ष 2020-21 के लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय और चालू देनदारियों और प्रावधानों में 123.02 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है।	हमने लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन की तैयारी के लिए समय पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच कोविड महामारी की दूसरी लहर की स्थिति के कारण, हमें 2020-2021 के वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वर्तमान बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा। बोर्ड के पास प्रत्येक फील्ड इकाई के लिए लेखांकन की अग्रदाय प्रणाली है। उनके दैनंदिन कार्यों के लिए उनके अग्रदाय से व्यय की गई राशि व्यय वार विभाजन के साथ मुख्यालय को भेजी जाती है। लेखांकन सॉफ्टवेयर में व्यय-शीर्षवार वाउचर प्रविष्टि करने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित फील्ड इकाई को की जाएगी। मार्च के महीने से संबंधित वाउचर के मामले में, जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, अप्रैल के महीने में क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त होने पर इसकी वसूली की जाती है। लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आवश्यक प्रावधान प्रदान किए जाएंगे।

स्पाइसेस बोर्ड



इ	सामान्य	
	बोर्ड ने बोर्ड के वित्तीय विवरणों में सामान्य भविष्य निधि के आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र को शामिल नहीं किया है, लेकिन उसी के केवल समेकित आंकड़े शामिल किए हैं। बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ़) के लिए एक अलग आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र तैयार कर रहा है। इसलिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ़) के अंशदान, निकासी, सेवांत भुगतान और प्रशासनिक खर्च आदि का विवरण बोर्ड के वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया गया है।	कृपया ध्यान दें कि बोर्ड अपने लेखा बहियों में सामान्य भविष्य निधि की समेकित स्थिति दिखाने के लिए उपयोग करता है। लेकिन जीपीएफ़ के लिए एक अलग तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा और कच्चा मिलान बनाए रखा जाता है जिससे समेकित स्थिति ली जाती है और अंतिम लेखा अनुसूची में दिखाया जाता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विस्तृत जीपीएफ़ विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया है।
	संलग्नक -1	
1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	
	वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग ने बोर्ड के 84 कार्यालयों (मुख्यालय सहित) में से केवल 10 की लेखापरीक्षा चलाई थी। बोर्ड ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण परिकल्पित आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई जा सकी।	कोविड की स्थिति और यात्रा पर प्रतिबंध के कारण, बोर्ड का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग केवल 10 कार्यालयों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा चलाने में सक्षम हुआ है। कृपया यह भी ध्यान दें कि, बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या उसकी स्वीकृत संख्या से काफी कम है। जैसे ही कोविड की स्थिति कम होगी और रिक्तियों को भरा जाएगा, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत और बढ़ाया जाएगा।
2	आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता	
	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और बोर्ड के आकार और प्रकृति से मेल खाती नहीं है।	कृपया यह नोट किया जाए कि बोर्ड के 100 से अधिक बाहरी कार्यालय हैं। स्वीकृत शक्ति के नीचे स्टाफ की कमी और प्रधान पदों से हर महीने स्टाफ लगातार सेवानिवृत्त होने और रिक्त पदों की भरवाई न होने, जिसके लिए मंत्रालय से अनुमोदन की आवश्यकता है, के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रभावित है। यह तभी मजबूत किया जा सकता है जब बोर्ड में कम-से-कम स्टाफ की स्वीकृत शक्ति हो।
2.1	बोर्ड ने अपने दो बैंक खातों के लिए बैंक मिलान विवरणी तैयार नहीं की है।	विश्व मसाला कॉंग्रेस एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो निर्यातकों के बजट समर्थन के साथ आयोजित किया जाता है। इसलिए यह बोर्ड के खातों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके लिए बोर्ड की किसी भी योजना निधि का उपयोग नहीं किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि पिछला कार्यक्रम 2016 के दौरान आयोजित किया गया था। लेकिन जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है, बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर एओपी के रूप में इस कार्यक्रम को पंजीकृत किया है और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया पत्र भी है। इसलिए, कृपया यह भी नोट करें कि इसके लिए अलग बैंक खाता खोला गया है और लेखा परीक्षा द्वारा सुझाए गए अनुसार अलग-अलग लेखा बहियों का रखरखाव किया जाएगा।

		<p>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड का खाता: बोर्ड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए कई पत्राचार किए हैं। चूंकि खाते में कोई लेन-देन नहीं हुआ था, इसलिए बैंक द्वारा राशि को ड्रेफ्ट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। यद्यपि हमने इस मामले का लगातार अनुसरण किया है, हमें विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, जिसने बोर्ड को विवरण का समाधान तैयार करने में बाधा उत्पन्न की। हमें अगस्त 2021 के महीने के दौरान बैंक विवरण प्राप्त हुआ है और अब उसका समाधान किया गया है।</p>															
2.2	<p>पिछले लेखा सॉफ्टवेयर से, डाटा के गैर-अंतरण के परिणामस्वरूप विवरण अनुपलब्ध हैं और इसने लेखों को अविश्वसनीय बना दिया है।</p>	<p>आइडेंपाइर (लेखा सॉफ्टवेयर) अगले वर्ष के लिए आय, व्यय, परिसंपत्ति और देयता कोड आदि सहित सभी लेखा शीर्षों के प्रारंभिक शेष को आगे ले जाएगा, जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सिस्टम को आय और व्यय कोड के इति शेष को आगे ले जाने से रोकना संभव नहीं है। फिर दूसरा तरीका यह है कि एक वित्तीय वर्ष पूरा करने के बाद सभी आय और व्यय कोड को समंजन करने के लिए एक जर्नल प्रविष्टि पास की जाए। यदि ऐसा किया जाता है जैसा कि उन्होंने कहा है, एक और मुद्दा है - पिछले वर्ष की व्यय रिपोर्ट, जिसके लिए हमने प्रविष्टि का सेट पारित किया है, शून्य होगा। जैसा कि हमें मंत्रालय/लेखापरीक्षा से भविष्य की किसी भी आवश्यकता के लिए पिछले वर्षों के व्यय विवरण को अपने पास रखना है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। इसके कारण बोर्ड पिछले वर्ष की अंतिम शेष राशि को पिछले वर्ष के तुलन-पत्र से मैन्युअल रूप से तैयार करने के लिए उपयोग करता है और इति शेष की गणना के लिए चालू वर्ष के लेनदेन को जोड़ता है और तदनुसार कार्यक्रम तैयार करता है।</p>															
2.3	<p>सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 229 (xi) के अनुसार, प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपए से अधिक की बजट सहायता वाले स्वायत्त संगठनों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ समझौता ज्ञापन करना आवश्यक होना चाहिए जिसमें आनुपातिक निवेश अपेक्षाओं के साथ-साथ कार्यनिष्पादन मानदंडों, कार्य के विस्तृत कार्यक्रम के संदर्भ में उत्पादन लक्ष्यों और उत्पादन में गुणात्मक सुधार का स्पष्ट वर्णन हो। कार्य निष्पादन की परिमेय इकाइयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य, इन संगठनों को दी जानेवाली बजट सहायता का आधार बनें। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ बेहतर कार्यनिष्पादन की रूपरेखा इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होना चाहिए। बोर्ड ने सामान्य वित्तीय नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अपेक्षितानुसार वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।</p>	<p>बोर्ड के अनुमोदित योजना-बजट और एमटीएफ योजना-अवधि के दौरान निर्मोचित निधि का विवरण नीचे दिया गया है:</p> <table border="1" data-bbox="852 1476 1404 1757"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>अनुमोदित बजट (करोड़ रुपए में)</th> <th>निर्मोचित निधि (करोड़ रुपए में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-18</td> <td>172.25</td> <td>97.01</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>151.00</td> <td>90.93</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>168.53</td> <td>105.00</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>120.00</td> <td>100.65</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	अनुमोदित बजट (करोड़ रुपए में)	निर्मोचित निधि (करोड़ रुपए में)	2017-18	172.25	97.01	2018-19	151.00	90.93	2019-20	168.53	105.00	2020-21	120.00	100.65
वर्ष	अनुमोदित बजट (करोड़ रुपए में)	निर्मोचित निधि (करोड़ रुपए में)															
2017-18	172.25	97.01															
2018-19	151.00	90.93															
2019-20	168.53	105.00															
2020-21	120.00	100.65															



		<p>चूंकि स्वीकृत बजट और प्रत्येक वर्ष जारी किए गए वास्तविक निधि में अंतर होता है, इसलिए स्वीकृत बजट आवंटन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना यथार्थवादी नहीं हो सकता है। इसे देखते हुए बोर्ड के प्रशासनिक मंत्रालय ने एमटीएफ़ योजना अवधि के दौरान एक समझौता ज्ञापन के लिए जोर नहीं दिया था। इसलिए, बोर्ड ने उपरोक्त अवधि के दौरान मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।</p>
3	<p>परिसंपत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली</p> <p>वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने स्थिर परिसंपत्तियों एवं मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।</p>	<p>मालसूची - बोर्ड आईसीआरआई मैलाडुंपारा से इलायची, कालीमिर्च और कॉफी का स्टॉक और हमारी सभी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में रसायनों के मूल्य को एकत्र करता था और यह हर वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान वस्तुओं के स्टॉक के रूप में दिखा रहा है। इस साल भी बोर्ड ने यही दिखाया है।</p> <p>अचल संपत्ति - कृपया ध्यान दें कि बोर्ड के सभी बाहरी कार्यालय संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव कर रहे हैं और जब भी कर्मचारी बोर्ड कार्यालयों में स्थानांतरित हो/सेवानिवृत्त हो/कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, तो इसे अद्यतन कर रहे हैं, सौंप रहे हैं और ले रहे हैं। समय-समय पर संपत्तियों का सत्यापन उनके अंत में ही किया जाता है। मौजूदा कोविड महामारी की स्थिति और यात्रा पर प्रतिबंधों के कारण, बोर्ड को अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने में मुश्किल हुई है।</p> <p>हालांकि, बोर्ड वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा।</p>



Delegates from Egypt attending the International Buyer Seller Meet for Indian spices



Review meeting of the project 'Strengthening spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative interventions'.



Presentation of award for special efforts in Official Language Implementation to Shri D. M. Burman, Assistant Director by Shri D. Sathyan IFS, Secretary, Spices Board



Online Hindi Workshop for Group A officials and officer-in-charge of outstation offices



Deputy Director, Spices Board Regional Office, Unjha and Field Coordinator conducting group meeting with farmers at STDF project area



Test checking of water storage tank of Mr P J Babu, Chinnahalli village, Alur Taluk by officials of Spices Board.



Advisory service extended to the tribal farmers under the project for Rejuvenation of Small Cardamom in Arunamala Tribal Area, Wayanad District, Kerala



Advisory service extended to the farmers on post-harvest handling, processing, value-addition and marketing of vanilla at Bodi North Hills, Tamil Nadu



Quality Improvement Training Programme on Cardamom organized at Arunamala Tribal Colony



Quality Improvement Training Programme for Dalle Chilli conducted at Tinkitam, Sikkim



Supply of Pepper Thresher under the scheme for Post-harvest Improvement of Spices



Inspection of Turmeric Polisher by officials of Spices Board Regional Office, Nizamabad



Inspection of mint fields at Suratganj Block, Barabanki by officials of Spices Board Regional Office, Barabanki



Spices Board in collaboration with FSSAI inspected cardamom drier units and created awareness against artificial colouring in Cardamom



Spice Clinic conducted at Hee Gyatang, Lower Dzongu in Sikkim



Students from TNAU visited cardamom e-auction center at Bodinayakanur to learn the activities and functions of Spices Board



Cardamom suckers ready for sales at Spices Board Departmental Nursery, Yeslur, Karnataka



Shri Agus P Saptono, Consul General of the Republic of Indonesia visited Spices Board Head Office at Cochin on 8th February, 2021



Dr A.B. Rema Shree, Director, Spices Board attending the inaugural session of International Symposium on Spices and Aromatic Crops (SYM SAC X)



Inspection of the primary processing facility at Green Life Spices Producer Society, Anakkara, Idukki under the scheme for Promotion of Spices Producers' Society subsidized by Spices Board.



Spice Clinic conducted at South Regu, East Sikkim



Spices Board officials explaining the activities of the Board to Shri Prem Singh Tamang, Hon'ble Chief Minister of Sikkim at the Board's stall in the Krishi & Pashu Dhan Mela held at Rangpo



Spices Board's stall at Krishi and Pashu Dhan Mela at Legship, West Sikkim

BOARD MEMBERS



Shri D. Sathiyam
Secretary & Chairman i/c



Shri Stany Joseph Pothan
Vice Chairman



Adv. Dean Kuriakose
Hon'ble MP, Member



Shri B.Y. Raghavendra
Hon'ble MP, Member



Shri G.V.L. Narasimha Rao
Hon'ble MP, Member



Dr Varghese Sebastian Moolan
Member



Ms Annu Shree Poonia
Member



Shri P. Vikram Reddy
Member



Dr Dasam Umamaheswara Raju
Member



Shri Bhojraj Saraswat
Member



Shri Rajendra Kasat
Member



Shri T.T. Jose
Member



Shri Nandyala Satyanarayana
Member



Shri Sen Thabah
Member



Shri S.G. Medappa
Member



Shri Ajit Pai
OSD, Nithi Aayog,
Member

The Horticulture Commissioner
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Government of India

The Economic Adviser
Ministry of Commerce & Industry
Government of India

Ms. Anita Tripathi
Deputy Secretary
Ministry of Labour & Employment
Government of India

The Director
Indian Institute of Spices Research ICAR

The Director
Indian Institute of Packaging

The Director
Central Food Technological
Research Institute (CFTRI), CSIR

The Pricipal Secretary to Government
Horticulture & Sericulture Department
Govt. of Karnataka

Farmer Welfare & Co-operation Department
Govt. of Gujarat

The Special Chief Secretary
Agriculture & Co-operation
Govt. of Andhra Pradesh

Number of vacant positions - 5



Quality Evaluation Laboratory established at Kolkata was inaugurated on 5th February, 2021.



Interactive meeting with chilly stakeholders on 02nd December, 2020 at Warangal.



Exposure visit cum training programme conducted for the Spice Extension Trainees and Senior Research Fellows of Gangtok region



Entrepreneurship Development Training Programme for Horticulture/Agriculture Diploma students at Spices Park, Jodhpur



Kisan Mela on Fenugreek at Zhunzhunu organised by Spice Board Regional Office, Jodhpur



Inspection of Large Cardamom Certified Nursery of Mr Medovile at Khonoma, Kohima, Nagaland



RPL certificate distribution at Goalpara, Assam



Presentation of IPC award for the best Black Pepper farmer to Padma Shri Nanandra B. Marak by the Chief Minister of Meghalaya



Skill development training on cardamom fiber craft organised by Spices Board Regional Office, Guwahati at Pfutsero, Phek



Field inspection under Cardamom Replanting Scheme at Elappara, Idukki, Kerala



Inspection of water storage structure constructed at Rajakkad, Idukki under the scheme for Construction of Rainwater Harvesting Structure



Saffron field visit at Dussu Pampore as part of the Field Demo Programme conducted by the District Chief Agricultural officer, Pulwama and the Director, NHM, M/o Agriculture.

BSM with focus on Nagaland & NER



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary & Chairman i/c, Spices Board; Smt. Mercy Epao, Director, MSME, New Delhi; Shri Rajiv Palicha Chairman, AISEF; and Shri P.M. Suresh Kumar, Director (Marketing & Administration), Spices Board addressing the participants during BSM with focus on Nagaland & NER



The 26th meeting of the IPC Committee on Quality by virtual mode




Virtual Buyer Seller Meet for Spices grown in Sikkim and West Bengal



Webinar on Export Potential of Spices in Telangana organised by Spices Board in Association FIEO, NABARD and MSME Hyderabad



34th Spices Board day celebration and launch of Spices Board Farmers' App



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

SPICES BOARD



ANNUAL REPORT 2020-21

SPICES BOARD

Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India

Sugandha Bhavan, P.B. No. 2277, N.H. Bypass,
Palarivattom P.O., Kochi - 682025, Kerala, India.
Phone: 91-484-2333610 - 616, Email: mail.sboard@gov.in
Website: www.indianspices.com

Compiled and Edited by

Dr Joji Mathew

Deputy Director

Shri Nithin Joe

Deputy Director

Shri T. P. Prathyush

Deputy Director

Shri Biju D. Shenoy

Senior Hindi Translator

Ms Aneenamol P. S.

Editor

Technical Support

Shri R. Jayachandran

EDP Assistant

CONTENTS

Executive Summary	5
1 Constitution and Functions	8
2 Administration	11
3 Finance and Accounts	17
4 Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices	18
5 Export Development and Promotion	27
6 Trade Information Service	34
7 Publicity and Promotion	41
8 Codex Cell and Interventions	43
9 Quality Improvement	45
10 Export Oriented Research	49
11 Information Technology and Electronic Data Processing	55
12 Implementation of Right to Information Act, 2005	56
Appendix	
1 Paras in Statutory Audit Report 2020-21	





Executive Summary

Spices Board, the statutory organization constituted on 26th February 1987, under the Spices Board Act, 1986 with the merger of the erstwhile Cardamom Board and Spices Export Promotion Council under the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, is responsible for the export promotion of the 52 scheduled spices and development of Cardamom (Small and Large). Spices Board is the flagship organization for the development and worldwide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for the excellence of Indian spices, so as to help the Indian spice industry in attaining the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market.

The mandate of the Board is primarily development of Cardamom (Small and Large), promotion of export of spices and regulating the quality of spices for export. During 2020-21, despite the continuance of COVID-19 pandemic and the consequent recession in the global economy, spices export from India continued its upward trend and crossed the milestone of **US \$ 3.6 billion** mark for the first time in the history of spices export. The estimated export during 2020-21 has been 15,65,000 tonnes valued Rs 27,193.20 crores (US \$3624.76 million) against 12,08,400 tonnes valued Rs 22,062.80 crores (US \$3110.20 million) achieved during the previous financial year. The spices export during 2020-21 attained an all-time record in terms of both volume and value. Compared to 2019-20, the export has shown an increase of 30 per cent in quantity and 23 per cent in value. In dollar terms, the increase is 17 per cent.

Indian spices and spice products were exported to 180 destinations globally in 2020-21. The leading destinations among them were China, the USA,

Bangladesh, Thailand, the UAE, Sri Lanka, Malaysia, the UK, Indonesia, and Germany. These nine destinations contributed more than 70 per cent of the total export earnings during 2020-21.

During 2020-21, chilli is the single largest spice exported from the country followed by mint products, cumin, spice oils and oleoresins, and turmeric constituting 80 per cent of the total spices export from the country.

Spices Board issued 1512 Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) during 2020-21. A fully online application system for exporters' registration along with payment gateway, as part of ease of doing business, was introduced during the period; now CRES is issued through the eight Regional Offices of the Board.

The Board organized 18 virtual Buyer Seller Meets (BSMs) during 2020-21 which include 17 BSMs in major spice producing states and one international BSM (Egypt). The BSMs covered NEER, Jammu and Kashmir, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Sikkim, West Bengal, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu & Kerala focussing turmeric, chilli, nutmeg & mace, seed spices, saffron, ginger, pepper, and cardamom (Small & Large). Around 2200 farmers/farmers' groups and 500 spice exporters actively participated in the BSMs. These BSMs helped to establish direct market linkage between farmers & their groups and institutional buyers/exporters resulting in direct sourcing of spices for export by eliminating the middlemen in the supply chain.

The Board's offices also conducted 12 online programmes/webinars for new entrepreneurs, exporters and other stakeholders of spices with the objective of bringing more entrepreneurs into spices export business, establishing integrated value chain in spices trade and creating awareness on challenges and opportunities in spices exports. The

online programmes were conducted in association with NABARD, APEDA, MoFPI, SABC, DGFT, DGRT, NRCSS, RSAMB, MSME, ICC, FICCI, etc. More than 1258 participants benefitted from these online programmes.

The Board issued 50 Cardamom Dealer Licences during the year. A total quantity of 19,373 MT of Cardamom (Small) was sold through the Board's e-auctions during April 2020- March 2021.

During the period, the Board participated in nine domestic exhibitions including five virtual exhibitions.

The project for establishing Sikkim Spices Complex at Gangtok was approved under TIES. An amount of Rs 8.87 crore has been released by the Ministry as first instalment under TIES for establishment of the Spices Complex.

Production of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) during the year 2020-21 was 22,520 MT and 8803 MT respectively.

The scheme viz. "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices & Research and Development of Cardamom" submitted by the Board was approved under the Medium Term Framework (MTF) Plan (2017-18 to 2019-20) by the Standing Finance Committee (SFC) for a total outlay of Rs 491.78 crore. Implementation of MTF continued in 2020-21 against the approved outlay of Rs 120 crore. The Board was granted an amount of Rs 100.65 crore and the total expenditure incurred was Rs 106.12 crore.

The 88th and 89th Board meetings of Spices Board were held at Kochi, through online on 3rd September, 2020 and 5th November, 2020 respectively.

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realization and wider markets for their produce, has established eight crop specific

Spices Parks in major production/market centres. The objective of the Park is to have an integrated operation for processing, value-addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization, etc., will help the farmers to improve quality of the produce and fetch better price.

All the Spices Parks established have been designated as Food Parks/Mega Food Parks by the Ministry of Food Processing Industries.

The Quality Evaluation Laboratories (QEL) of the Board at Kochi, Mumbai, Delhi, Chennai, Guntur, Tuticorin, and Kandla continued providing analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices during the year. Establishment of Quality Evaluation Lab at Kolkata was completed and it is being equipped with analytical devices such as LC-MS/MS, 12 position pumps, High Speed Blender, Mixer Grinder, Hot Air Oven, etc., to cater to the quality analysis needs of the various stakeholders from Eastern and North Eastern Region. During 2020-21, the Quality Evaluation Laboratories analysed a total of 86,467 parameters including Aflatoxin, Illegal dyes, Pesticide residues and *Salmonella*.

Spices Board introduced mandatory testing of pesticides for export of Cardamom (Small) to Saudi Arabia. A total of 21,364 analytical reports and 2,705 health certificates were issued to the exporters during the year. The Board monitored import alerts and took follow-up actions. The Board also analysed heavy metals and curcumin in turmeric samples from various growing regions.

Scope of testing in QELs has been revised including more microbiological parameters, which are automated, fast validated and internationally accepted.

Under the programme for "Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices", financial

assistance was provided to farmers of Cardamom (Small) for replanting 1,935.20 ha & rejuvenating 98.80 ha. A total of 1,865.71 ha of Cardamom Large has been brought under replanting/new planting. The departmental nurseries of the Board produced 3.71 lakh planting materials of Small Cardamom and distributed to the farmers. Under the certified nursery scheme, financial assistance was provided to the farmers for production of 26.75 lakh Small Cardamom seedlings and 17.85 lakh Large Cardamom seedlings/suckers. Assistance was provided to farmers for 42 numbers of improved curing houses for Small Cardamom and 62 Modified Bhattis for Large Cardamom.

Under post-harvest and quality improvement programme, assistance was provided to spice farmers for installing 85 seed spice threshers, 242 pepper threshers, 100 turmeric steam boiling units, 70 turmeric polishing units, 92 nutmeg driers, and 20 mint distillation units. For promotion of organic farming, assistance was given for establishment of six organic seed banks and 542 vermicomposting units.

Since extension network of the Board functioning in the field could not conduct any physical training programmes, 313 virtual webinars/conferences were organized for dissemination of information on Good Agricultural Practices (GAP), quality improvement, etc.

Spices Board functions as the Secretariat of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) and organizes its sessions on behalf of India. The fifth session of the CCSCH is scheduled to be held virtually during April 2021. The committee, which was initially scheduled to be held during September 2020, was postponed due to the ongoing COVID-19 pandemic situation worldwide. The Codex cell of Spices Board works as the organizing secretariat and the preparatory

works for the upcoming session were undertaken. In addition to coordinating the activities with Codex Secretariat, Rome and National Codex Contact Point (NCCP), FSSAI New Delhi, for organizing the upcoming virtual session, the Codex cell is also assisting the technical works related to the drafting of standards under the committee presently.

Due to COVID-19 pandemic, the Board could not conduct Spice Clinic programmes at field and it was conducted online as webinars. Twenty four webinars were conducted on improved cultivation practices of different spices and 490 farmers were given advisory services through two WhatsApp groups managed by the Indian Cardamom Research Institute (ICRI).

Spices Board has formulated and carried out programmes to promote the use of Hindi as Official Language (OL) and also guided and monitored the implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with regard to the progressive use of Hindi as Official Language, the Board continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2020-21.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has disclosed every information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act, 2005] through the Board's official website. During 2020-21, a total of 96 RTI applications, through physical and online portal, and 16 appeals were received under the RTI Act and information was disseminated to all the cases within the stipulated time.

1

CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act, 1986; (No.10 of 1986) enacted by the Parliament provides for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26 February, 1987.

B. The Spices Board consists of:

- a) A Chairman to be appointed by the Central Government
- b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
- c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance;
- d) Six members to represent the growers of spices*;
- e) Ten members to represent the exporters of spices;
- f) Three members to represent major spice producing states;
- g) Four members one each to represent:
 - (i) The Planning Commission (now NITI Aayog);
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;
 - (iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;
- h) One member to represent spices labour interests

C. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986-has assigned the following functions to the Board.

a) The Board may:

- (i) Develop, promote and regulate export of spices;
- (ii) Grant certificate for export of spices;
- (iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
- (iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;
- (v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;
- (vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through 'quality marking' of spices for export;
- (vii) Control quality of spices for export;
- (viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
- (ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;
- (x) Provide warehousing facilities abroad for spices;
- (xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;
- (xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and
- (xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

b) The Board may also:

- (i) Promote cooperative efforts among growers of cardamom;
- (ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;
- (iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;
- (iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;
- (v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;
- (vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;
- (vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;
- (viii) Improve the marketing of cardamom;
- (ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;
- (x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
- (xi) Undertake, assist or encourage scientific, technological and economic research.


c) Spices under the purview of the Board

The following 52 spices (table below) are listed in the schedule of the Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	All-Spice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishop's weed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horseradish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]

ORGANOGRAM OF SPICES BOARD



2

ADMINISTRATION

A. Administration

During 2020-21, Shri Subhash Vasu continued as the Chairman, Spices Board upto 11th September, 2020. Shri D. Sathiyam IFS continued to serve as the Secretary, Spices Board and also held the charge as Chairman, Spices Board w.e.f 28th September, 2020.

Ms A. Shainamol IAS continued as Director (Finance) upto 22nd February, 2021. Shri P.M. Suresh Kumar continued as Director (Administration) and held the additional charge of Director (Marketing) during the period under report.

Dr Rema Shree A.B. continued as Director (Research) and held additional charge of Director (Development) during this period and Director (Finance) w.e.f 23rd February, 2021.

Spices Board has already achieved the targeted staff strength approved in the restructuring proposal. Against the sanctioned strength of 379, as on 31st March, 2021, the staff strength of Spices Board is 296 consisting of 81 Group A, 107 Group B, and 108 Group C including four Departmental Canteen Employees.

The Board has granted promotion to 140 employees and granted MACP to 26 eligible employees during the period under report. The Board has engaged three marketing consultants to support export promotion activities.

The Board engaged over 55 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/postgraduate level as trainees for analytical services in the Quality Evaluation Laboratories, agricultural extension service in the field offices and research stations, IT support and official works in the publicity department and library.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard are also strictly adhered to. As on 31st March, 2021 there were 163 (OBC-87, SC-43 and ST-33) employees belonging to SC/ST and OBC categories. No appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce *due to pending approval of the Recruitment Regulation of Spices Board.*

b) Welfare of women

As on 31st March, 2021, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 81. The grievances of women employees are timely and properly attended to. A Group-A level woman officer of the Board has been appointed as 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/problems, if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board had constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC/ST/OBC.

d) Welfare of persons with disabilities

Spices Board had constituted Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters related to persons with disabilities. The Board has also implemented reservation in promotion to the persons with disabilities as per the instructions from the Government.

e) Offices of the Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has 90 offices across the country which include 25 Export Promotion Offices, 45 Development Offices for Small and Large Cardamom, eight Quality Evaluation Laboratories (QEL), four Research Stations and eight Spices Parks.

The following offices of the Board functioned during 2020-21.

i) Export Promotion Offices

Sl. No	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Warangal	Andhra Pradesh
3	Guntur	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdalpur	Chhattisgarh
7	New Delhi	Delhi
8	Ponda	Goa
9	Ahmedabad	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Una	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Bengaluru	Karnataka
14	Mumbai	Maharashtra
15	Shillong	Meghalaya
16	Aizawl	Mizoram
17	Koraput	Odisha
18	Jodhpur	Rajasthan
19	Chennai	Tamil Nadu
20	Nagercoil	Tamil Nadu
21	Nizamabad	Telangana
22	Hyderabad	Telangana
23	Agartala	Tripura
24	Barabanki	Uttar Pradesh
25	Kolkata	West Bengal

(ii) Development Offices/Farms

Development of Small Cardamom		
Sl. No.	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elapara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala
4	Kattappana	Kerala
5	Kumily	Kerala
6	Nedumkandam	Kerala
7	Pampadumpara	Kerala
8	Peermade	Kerala
9	Puttady	Kerala
10	Rajakkad	Kerala
11	Rajakumari	Kerala
12	Santhanpara	Kerala
13	Udumbanchola	Kerala
14	Bodinayakanur	Tamil Nadu
15	Erode	Tamil Nadu
16	Batlagundu	Tamil Nadu
17	Aigoor (farm)	Karnataka
18	Belagola (farm)	Karnataka
19	Beligeri (farm)	Karnataka
20	Bettadamane (farm)	Karnataka
21	Sakleshpur	Karnataka
22	Haveri	Karnataka
23	Koppa	Karnataka
24	Madikeri	Karnataka
25	Mudigere	Karnataka
26	Shivamogga	Karnataka
27	Sirsi	Karnataka
28	Somwarpet	Karnataka
29	Vanagoor	Karnataka
30	Yeslur (farm)	Karnataka

Development of Large Cardamom		
Sl. No.	Location	State
1	Itanagar	Arunachal Pradesh
2	Namsai	Arunachal Pradesh
3	Pasighat	Arunachal Pradesh
4	Roing	Arunachal Pradesh
5	Ziro	Arunachal Pradesh
6	Dimapur	Nagaland
7	Kohima	Nagaland
8	Gangtok	Sikkim
9	Geyzing	Sikkim
10	Jorethang	Sikkim
11	Kabi (farm)	Sikkim
12	Mangan	Sikkim
13	Pangthang (farm)	Sikkim
14	Kalimpong	West Bengal
15	Sukhiapokhri	West Bengal

(iii) Research Stations

Sl. No.	Location	State
1	Myladumpara	Kerala
2	Donigal-Sakleshpur	Karnataka
3	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
4	Tadong	Sikkim

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QELs)

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu
8	Kolkata	West Bengal

(v) Spices Parks

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

Activities during 2020-21

(i) Procurement of goods and services

All the outsourced services like Security, Housekeeping, Electrician, etc., were procured through Government-e-Marketplace (GeM). Products like computers, printers, stationery, etc., were also procured through GeM (More than 70 per cent of the total purchase was done through GeM).

(ii) Implementation of Swachh Bharat Mission activities

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission have successfully been implemented in Spices Board and reports including photos were forwarded to the Ministry. Following activities were carried out during 2020-21:-

- One-day awareness programme (2 sessions, one for housekeeping staff and one for officials of the Board) at Spices Board HO, Kochi.
- Celebration of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi for a period of two years from 2nd October, 2018 to 2nd October, 2020.
- Observance of 'Swachhta Hi Seva' campaign from 11th September, 2020 to 2nd October, 2020.
- A special cleaning drive was conducted at the office premises on Gandhi Jayanthi.

(iii) Observance of Days of National Importance

Days of national importance notified by the Government of India have been observed in Spices Board. Following such days were observed during the year 2020-21:-

- a) Anti-Terrorism Day
- b) World no Tobacco Day
- c) Yoga Day
- d) All other days of national importance like Independence Day, Republic Day, Constitution day, etc.

g) Measures to control the spread of COVID-19

The following measures were ensured to check the spread of COVID-19 in the office;

- a) Checking temperature at the office entrance.
- b) Facility for hand sanitizing at office premises.
- c) Distribution of sanitizer to all the staff members.
- d) Sanitizing office premises when COVID positive cases were detected in the office.
- e) Sanitizing office vehicles after journeys.
- f) Adherence to all the regulations and directions from the Ministry regarding COVID-19 pandemic.

h) Board Meetings during 2020-21

Two Board meetings were conducted during the year as detailed below;

- a) 88th Board Meeting at Spices Board, Head Office, Kochi on 3rd September, 2020.
- b) 89th Board Meeting at Vijayawada, Andhra Pradesh on 5th November, 2020.

i) Maintenance of Outstation Offices

Maintenance of the Head Office of Spices Board located at Kochi and 90 offices across the country

which include 25 Export Promotion Offices, 45 Development Offices for small and Large Cardamom, 8 Quality Evaluation Laboratories (QEL), 4 Research Stations and 8 Spices Parks was attended.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as Official Language and also to monitor and guide implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs with regard to use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2020-21.

Major activities and achievements**(i) Translation**

Major translation work [English to Hindi and Vice versa] of the following were undertaken;

- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report & Audit Report 2019-20 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.
- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- Materials such as banners, backdrops, invitation cards, programme sheets, etc., for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL Policy

1) OLIC meetings

Four OLIC meetings, to the tune of one in each quarter, were convened on 26th June, 2020 (April-June 2020), 30th September, 2020 (July-September 2020), 18th December, 2020 (October-December 2020), and 16th March, 2021 (January-March 2021) respectively. All the meetings were presided over by the Secretary, Spices Board.

2) Hindi workshop

An online workshop for the Officials of the Board was organized on 4th December, 2020. Dr. P.R. Hareendra Sarma, Assistant Director (OL), Doordarshan Kendra, Thiruvananthapuram, Kerala led the workshop. Around 60 officials from HO as well as outstation offices participated in the workshop. An orientation programme for the Officer-in-charge of all the outstation offices was also arranged on 10th March, 2021 by the Official Language section. They were made aware of the OL policy as well as the Boards' activities to implement the OL policy with a thrust on ensuring compliance of check-points effectively

3) Subscription to Hindi newspaper/ magazines

Subscription to Hindi newspaper *Daily Hindi Milap* and Hindi magazines namely *Sarita* and *Vanita* were continued.

4) Official Language inspection

An online inspection of Spices Board Divisional Office Aizawl was conducted by Shri Badri Yadav, Assistant Director (Impl.), Regional Implementation Office (NER), Guwahati on 9th September, 2020. The Officer-in-charge, Divisional Office Aizawl briefed about the activities on implementation of Official Language policy in the office, which was followed by an interaction with the officers and staff. The Official Language Inspection of Barabanki Regional Office was conducted by Shri Ajay Malik, Dy. Director(Impl.), Regional Implementation Office (North Region-2), Ghaziabad via online on 8th February, 2021.

5) Hindi Day/Fortnight celebrations 2020

The 'Hindi Day' was observed on 14th September, 2020. The inaugural session of Hindi Fortnight Celebrations (HFC) from 14-28 September, 2020 was held on the same day through video conferencing (VC). All the staff members in HO as well as outstation offices all over India participated in the VC. The HFC 2020 was formally inaugurated by Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board. Smt. A. Shainamol IAS, Director (Finance), Shri P.M. Suresh Kumar, Director (Administration & Marketing), Dr. A.B. Rema Shree, Director (Research & Development) delivered the felicitation address. Various online competitions for staff members were also conducted across the country in connection with the HFC 2020. A very good response from the officials of the Board through active participation made it a grand success.

As per the guidelines from the Ministry of Home Affairs, in connection with Hindi Diwas/Week/ Fortnight/Month Celebrations in September, 2020, all the Central Government Offices were asked to make at least ten posters/banners/standees or one-two digital displays for displaying important quotations in Hindi. Accordingly, the Board prepared ten posters containing the quotations of eminent personalities and displayed the same in prominent locations to remind the Board's officials about the constitutional and statutory obligations towards Hindi; inspire and motivate the officials to transact more and more of their official work in Hindi.

The valedictory function of the HFC 2020 was arranged through video conferencing on 4th February, 2021. Trophies/cash awards/certificates for the prize winners of the various Hindi competitions conducted for the staff members of the Board, commendable work done by the staff in Hindi, *Rajbhasha Pratibha Puraskar*, *Rajbhasha* Rolling/Runner up trophy for sections in Head Office, Award for the Special Effort in implementing OL Policy for the year 2020, etc., were distributed during the function.

6) Participation in the programmes arranged by TOLIC

A state level inter TOLIC technical seminar was organized by Thiruvananthapuram Town Official Language Implementation Committee (Undertakings) on 15th January, 2021 through online. Aim of this programme was to familiarize the various E - tools such as *Kantasth*, *Pravachak*, *Pravaah*, *Manthra* etc., developed in the joint auspices of CDAC & Department of Official Language. Shri Rajesh Kumar Srivasthav, Deputy Director (OL & Technical) and Shri Deepak Kumar, Inspector, Technical Wing, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs were the faculty members. The programme was attended by the Senior Hindi Translator of the Board.

iii) Spice India (Hindi)

Attended the work related to release of the Board's monthly Hindi magazine *Spice India* (Hindi).

C. Library and Documentation Service

The Board's library has a good collection of books and periodicals with computerized bibliographic data base. The process of strengthening the library and documentation unit was continued by addition of new books and periodicals. During 2020 - 21, 177 new books were added and the subscription of about 160 periodicals was continued. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, current awareness services, daily information services, e- paper reading and accessing open access journals and commenced the 'spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 10 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information was compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, and oils and oleoresins.



3

FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of the Board are financed through grants and subsidies from the Government of India. The expenditure on Administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2020-21 was Rs 10,065.00 lakh. An amount of Rs 6,440.00 lakh against grants, Rs 2,285.00 lakh against subsidies, Rs 690.00 lakh towards provision for North Eastern Region, Rs 300.00 lakh towards provision for SC sub plan and Rs 350.00 lakh towards provision for Tribal sub plan have been received by the Board from the Govt. of India during 2020-21. The Board has generated IEBR of Rs 1,423.20 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the quality evaluation laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2020-21. The total expenditure of the Board during 2020-21 was Rs 10,611.88 lakh, the break-up of which is given below:

Head of Account	Expenditure (Rs Lakh)
Export Oriented Production	3646.14
Export Development & Promotion	1886.22
Export Oriented Research	758.69
Quality Improvement	1289.32
HRD & Works	58.86
Establishment	2972.65
Total	10611.88

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and National agencies such as ICAR, ASIDE and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2020-21 are given below:

Programmes	Grants Received (Rs lakh)	Expenditure (Rs lakh)(*)
ASIDE	887.00	37.04
ASIDE IIPM	0.00	11.87
ICAR- AICRPS	33.24	22.50
E-Spice Bazaar Project	0.00	9.59
Centre for excellence in Microbiology	0.00	1.28
WTO-STDF	22.37	0.19
Arunamala Tribal Settlement Project	11.71	7.43
Women Scientist Scheme	5.75	4.69
DUS Test Centre	0.00	1.56
MIDH	0.00	21.94
Total	960.07	118.09

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilized in FY 2020-21, as well

The paras in the statutory Audit Report 2020-21 on Spices Board are placed as Appendix I.

4

EXPORT ORIENTED PRODUCTION AND POST-HARVEST IMPROVEMENT OF SPICES

Spices Board is responsible for the overall development of Cardamom (Small and Large) in terms of improving production, productivity and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. The various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included under the head 'Export Oriented Production'.

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials of the spice growers.

Spice Development Agencies (SDAs) and Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA)

Spices Board has established following 11 Spice Development Agencies (SDAs) to promote development and marketing of spices and to enable better coordination with various state, central and allied agencies/institutions for implementing programmes for research, production, marketing, quality improvement and export of spices grown in the country.

1. Guwahati SDA	7. Uttar Pradesh SDA
2. Unjha SDA	8. Mumbai SDA
3. Haveri SDA	9. Warangal SDA
4. Gangtok SDA	10. Guna SDA
5. Jodhpur SDA	11. Guntur SDA
6. Erode SDA	12. Srinagar SPEDA

The Chief Secretary of the concerned state is the Chairperson of the SDA with 17 members representing spice growers, exporters, traders, state horticulture/ agriculture department, state agriculture university, Joint Director General of Foreign Trade (JDGFT), Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce, etc. The

respective regional officer of the Board is the Member Secretary of the SDA. The SDAs have conducted meetings and actions are being taken as per the decisions of the SDA.

In addition to the 11 SDAs, Spices Board has established Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar for promoting development, marketing, quality, export and domestic consumption of saffron in Jammu & Kashmir. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry and the Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir.

The various programmes implemented under the scheme 'Export Oriented Production of Spices' during the year 2020-21 are detailed below:

A. Cardamom (Small)

Small Cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under Small Cardamom during 2020-21 was 69,190 hectares (ha) with an estimated production of 22,520 metric tonnes. The programmes implemented for the development of Small Cardamom are given below:

a) Replanting

The objective of this programme is to address the issue of old, senile and uneconomic plantations of Small Cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka by encouraging marginal growers and providing them financial assistance for replantation. The growers are offered a subsidy of Rs 70,000/- for General and Rs 1,57,500/- for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu, and Rs 50,000/- for General and Rs 1,12,500/- for SC and ST farmers per ha in Karnataka, towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable

in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to 8 ha are eligible for benefit under this scheme.

During 2020-21, the Development Department through implementation of this programme has provided assistance for replanting 1935.2 ha of Small Cardamom (which includes 1st instalment of 675.15 ha and backlog cases i.e., 1st and 2nd instalments of 2017-18, 2018-19 and 2019-20 viz 1260.45 ha). Under the scheme, financial assistance of Rs 648.39 lakh (which includes 1st instalment of Rs 222.5 lakh and backlog payments i.e., 1st and 2nd instalments of 2017-18, 2018-19 and 2019-20 viz., Rs 425.89 lakh) has been provided as subsidy, benefitting 5163 growers (1772 beneficiaries for 1st instalment and 3391 farmers for backlog payments).

b) Rejuvenation

The objective of the scheme is to address the issue of damages due to natural calamities and to motivate the growers to carry out rejuvenating operations in their cardamom plantations by way of systematic gap filling in the affected area of the cardamom plantations. Individual cardamom growers having a landholding of 0.10 ha to 8 ha who rejuvenates upto 40 per cent of the plant population are eligible to benefit under the programme. The rate of subsidy proposed is 25 per cent of the total cost of rejuvenation and maintenance subject to a maximum of Rs 32,500/- per ha for Kerala and Rs 23,000/- per ha for Karnataka payable in one single instalment.

During 2020-21, the Development Department, through implementation of this programme, has made payment of backlog cases of 2019-20 for rejuvenating 98.8 ha of Small Cardamom benefitting 235 beneficiaries for Rs 32.11 lakh.

c) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were taken up by

the Board's departmental nurseries. The planting materials produced in the five departmental nurseries were distributed at a nominal rate to growers. During 2020-21, a total of 3,71,389 cardamom planting materials, 2,63,769 rooted pepper cuttings, 12,628 pepper nucleus planting materials, 859 bush pepper planting materials and 104 vanilla planting materials were produced and distributed to 983 growers from five departmental nurseries in the Karnataka region.

d) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field. Planting materials produced in the certified nurseries will be used for replanting / gap filling by the applicants (not more than 50 per cent) and the balance will be supplied to the neighbouring/needful farmers at an optimum price not exceeding the market price. During 2020-21, under this programme 267.75 units (i.e., 26,77,500 planting materials) were established covering 641 beneficiary farmers with the financial assistance of Rs 59.07 lakh.

e) Irrigation and land development

Irrigation during summer months is essential in cardamom plantations for getting higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water resources by constructing irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting devices, installation of irrigation equipment and soil conservation works. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for



availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50 per cent of the actual cost or Rs 20,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or Rs 30,000/- to SC/ST category whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having landholding of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail subsidy under the scheme under IP set/gravity irrigation equipment. In the case of sprinkler/drip/micro irrigation, registered cardamom growers having landholding of 1.00 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy. The scale of assistance offered is 25 per cent of the actual cost or Rs 2500/- for gravity irrigation; Rs 10,000/- for irrigation pump set; Rs 21,175/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or Rs 7500/- for gravity irrigation; Rs 30,000/- for irrigation pump set; Rs 63,525/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to SC/ST category.

(iii) Construction of rainwater harvesting structure

Registered cardamom growers having a landholding of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to Rs 12,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost limited to Rs 27,000/- to SC/ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2020–21, a total number of 99 water storage structures and 75 rainwater harvesting structures were constructed and 105 irrigation pumpsets and 18 micro irrigation systems were installed benefitting 297 farmers with the financial assistance of Rs 38.27 lakh (including backlog of 22 units of water storage structures covering 22 beneficiaries for Rs 4.39 lakh, 16 units of rainwater harvesting structures covering 16 beneficiaries for Rs 1.43 lakh, 31 irrigation pumpsets

covering 31 beneficiaries for Rs 1.80 lakh, 5 micro irrigation systems covering 5 beneficiaries for Rs 0.80 lakh).

B. Development Programmes for North East

Cardamom (Large)

Large Cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under Large Cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal and Sikkim during 2020–21 was 26,617 ha with an estimated production of 6,070 tonnes. The total Large Cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in 2020–21 was 18,084 ha with a production of 2,733 tonnes. Non availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting Large Cardamom production. Keeping this in view, the Board is implementing the following programmes for Large Cardamom:

a) Large Cardamom: replanting/new planting

Large Cardamom is mainly grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The scheme provides an assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (1st and 2nd years) as subsidy subject to a maximum of Rs 28,000/- and Rs 63,000/- per hectare respectively, payable in two equal annual instalments.

During 2020–21, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for replanting / new planting 1865.71 ha (which includes 1st instalment of 843.21 ha and backlog cases, i.e., 1st and 2nd instalment of 2018–19

and 2019-20 viz 1022.5 ha) of Large Cardamom and Rs 541.72 lakh (which includes 1st instalment of 254.44 lakh and backlog payments i.e., 1st and 2nd instalment of 2018-19 and 2019-20 viz Rs 287.28 lakh) was arranged as subsidy, benefitting 5605 growers.

b) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field. During 2020-21 under this programme, 178.5 units (i.e., 17,85,000 planting materials) were established covering 332 beneficiary farmers with the financial assistance of Rs 65.33 lakh.

c) Irrigation schemes

Large Cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect the production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely affecting production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipment in Large Cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months and to increase the productivity and quality, the Board is implementing the programmes in the North Eastern Region and Darjeeling district of West Bengal.

d) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having landholding of 0.10 to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50 per cent of the actual cost or Rs 20,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or Rs 30,000/- to SC/ST category whichever is less.

(i) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having landholding of 0.10 to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy under the scheme under IP set/gravity irrigation equipment. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one unit. The scale of assistance under irrigation equipment/gravity irrigation equipment is 50 per cent of actual cost or Rs 10,000/- to General category and 75 per cent of actual cost or Rs 15,000/- to SC/ ST category whichever is less.

(ii) Construction of rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a landholding of 0.10 to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33 per cent of the actual cost, limited to Rs 12,000/- for General category and 75 per cent of actual cost or Rs 27,000/- to SC/ST category is allowed for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2020-21, a total number of six water storage structures and six rainwater harvesting structures were constructed and six irrigation pumpsets were installed for Large Cardamom benefitting 18 farmers with the financial assistance of Rs 3.92 lakh (including backlog of one unit of rainwater harvesting structures covering one beneficiary for Rs 0.27 lakh).

C. Post-harvest Improvement of Spices

a) Supply of improved cardamom curing devices for Small Cardamom

The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The scheme provides an assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs 1,00,000/- for General and Rs 2,25,000/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2020-21, 42 improved cardamom curing devices were set up at a total subsidy of Rs 37.93 lakh, benefitting 42 growers (including backlog case of one unit covering one beneficiary for Rs 0.84 lakh).

b) Construction of Modified Bhatti (improved curing houses) for drying Large Cardamom

The objective of the scheme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of Large Cardamom. The total cost of construction for a 'Modified Bhatti' (ICRI model) of 200kg and 400kg capacity are Rs 27,000/- and Rs 37,500/- respectively. Also, the total cost of sawo drier/equivalent drier is estimated at Rs 25,000/-. The scheme provides subsidy at the rate of 75 per cent of total cost or Rs 22,500/- whichever is less for construction of Modified Bhatti (ICRI model) or for purchase of sawo/equivalent drier.

During 2020-21, a total of 62 Modified Bhatti units were constructed at a financial assistance of Rs 11.735 lakh, benefitting 62 growers (including backlog case of one unit covering one beneficiary for Rs 0.19 lakh).

c) Supply of seed spice threshers

The harvesting and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are generally unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, Spices Board popularizes the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board is providing 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher as subsidy subject to a maximum of Rs 60,000/- and Rs 90,000/- respectively for General and SC/ST farmers.

During 2020-21, the department extended assistance for installing 85 power operated threshers in the

farmers' fields and a total subsidy of Rs 53.76 lakh was given, benefitting 85 growers.

d) Supply of pepper threshers

The objective of the scheme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs 15,000/- for General and Rs 22,500/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2020-21, 242 threshers were set up at a total subsidy of Rs 35.50 lakh, benefitting 242 growers (including backlog cases of three units covering three beneficiaries for Rs 0.45 lakh).

e) Supply of turmeric steam boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularizes the use of large scale turmeric boiling units among the growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE region, SC and ST farmers for the actual cost of the boiling unit or Rs1,50,000/- for General and Rs 2,25,000/- for SC and ST farmers respectively whichever is less.

During 2020-21, a total no. of 100 turmeric steam boiling units were supplied at a financial assistance of Rs 173.65 lakh, benefitting 100 growers (including backlog cases of two units covering two beneficiaries for Rs 3.75 lakh).

f) Supply of turmeric polisher

The programme aims at motivating and assisting the turmeric growers, growers' group, spice producer societies / spice farmer producer company and so on, to adopt polishing of turmeric by supplying improved polishers at subsidized rates to produce quality turmeric suitable for exports. The subsidy provided under this

programme is 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the actual cost of the boiling unit or Rs 75,000/- for General and Rs 1,12,500/- for NE region, SC and ST farmers respectively, whichever is less.

During 2020-21, 70 turmeric polishing units were supplied a financial assistance of Rs 59.54 lakh, benefitting 70 growers (including backlog cases of seven units covering seven beneficiaries for Rs 7.53 lakh).

g) Nutmeg dryer

The objective of the scheme is to popularize mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg and mace. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs 30,000/- for General and Rs 45,000/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2020-21, assistance was given for setting up of 92 nutmeg dryers to the tune of Rs 16.15 lakh, thereby benefitting 92 growers (including backlog case of one unit covering one beneficiary for Rs 0.195 lakh).

h) Supply of mint distillation unit

The objective of the scheme is to motivate the mint growers to set up modern field distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation unit as well as to improve the quality of oil for exports. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs 1,50,000/- for General and Rs 2,25,000/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2020-21, 20 mint distillation units were set up at a total subsidy of Rs 20.86 lakh, benefitting 20 growers.

D. Organic Farming

In order to promote organic production of spices, support for setting up vermicompost units, and promoting organic seed bank of spices were implemented in 2019-20.

a) Setting up of vermicompost units

It is necessary to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility in organic production. In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermicompost, Rs 3000/- as subsidy at the rate of 33.33 per cent of financial assistance to the General category growers and Rs 6750/- at the rate of 75 per cent subsidy to the SC/ST farmers is offered to set up a unit having a capacity of one tonne output of vermicompost.

During 2020-21, a total no. of 542 vermicompost units were set up benefitting 279 growers at a total subsidy of Rs 34.54 lakh (including backlog of 12 units covering eight beneficiaries for Rs 1.01 lakh).

b) Establishing organic seed banks for spices

Indigenous varieties viz., Cochin ginger in Kerala, Nadia Ginger in NE states, Alleppey finger turmeric in Kerala, Rajapori turmeric in Maharashtra, Lakadong/ Megha Turmeric in Meghalaya, and herbal spices in Tamil Nadu are identified for coverage under organic seed bank. Individual growers of any of these varieties of spices having holding size from 0.10 to 8 ha and organic certification are eligible to avail benefits under the scheme. A grower can avail subsidy under the scheme for a maximum of three years.

During 2020-21, the payment for three organic seed banks with regard to ginger has been effected in Guwahati region with the financial assistance of Rs 9.00 lakh under ST category.

E. Social Security Programme

a) Spice producer society

The objective of the programme is for spices producers to form a producer society exclusively for spices in the spice growing tracts for helping themselves mutually in increasing the production, improving the quality and enhancing the marketability of the spices.

The Board extends 50 per cent of the actual cost subject to a maximum of Rs 6.00 lakh for the General

category growers and 90 per cent of the actual cost subject to a maximum of Rs 10.80 lakh under SC/ST category.

During 2020-21, one such spice producer society was given a financial assistance of Rs 5.47 lakh under General Category for Small Cardamom in Idukki district of Kerala. An assistance of Rs 5.93 lakhs for one more unit under saffron from Jammu and Kashmir is also under processing.

F. Training Programme for Quality Improvement of Spices (Physical Meetings and Virtual Conferences)

The Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of state agriculture/horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices. Ongoing COVID-19 pandemic had put restrictions for physical meetings and training activities. Extension Officials made use of the new age technologies to deliver service. A total of 5972 personnel were trained by physical meetings and 4497 personnel were trained by virtual means with 313 numbers of training programmes across the country.

G. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post-harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post-harvest management through personal contact, field visits, group meetings and through distribution of literature for Small Cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka) and for Large Cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post-harvest programmes of the Board under the scheme 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2020-21, a total of 19,640 extension visits were made and 1861 group meetings/campaigns were

organized for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was Rs 1296 lakh during 2020-21.

H. GI Status to Ramnathapuram Mundu Chilli

With regard to fulfilment of the assurance given in the reply to Lok Sabha Starred Question No. 243 dated 10 July, 2019, Spices Board has taken up the matter with Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) for applying for GI registration by the University offering required support from the Board. Accordingly, TNAU filed the application with GI Registry for obtaining the GI certification for Ramnathapuram Mundu Chilli on 16th November, 2020 and the application is in pre-examination stage.

I. Doubling of Exports of Spices in line with AEP and Increasing Farmers' Income by INDGAP Certification

The Director & Head, Project Analysis & Documentation (PAD) Division, Quality Council of India (QCI), had forwarded a proposal to certify projects on spices in INDGAP, in order to enhance competitiveness of Indian spices in the international market.

The project is conceived with multiple objectives such as, Quality assurance, Agro biodiversity, Traceability, GAP certification, Mapping of sustainable development goals, Ensuring social security, and Export promotion and Sustainable exports.

The Spices Board and QCI have executed an MoU for implementation of the project titled 'Doubling of exports of spices in line with Agricultural Export Policy (AEP) and increasing farmers' income by INDGAP certification'. The crops considered under the project are chilli in Warangal; cumin in two districts of Rajasthan, Barmer and Jalore; Cardamom (Small) in Idukki; black pepper in Chikkamagaluru; and turmeric in Karimnagar, Telangana.

J. Project for Rejuvenation of Small Cardamom in Arunamala Tribal Area, Wayanad District, Kerala.

Spices Board had submitted a project titled 'Integrated Development of Small Cardamom in Arunamala Tribal Settlement of Wayanad district in Kerala, to the Department of Tribal Development, Government of Kerala. The project was proposed with the financial outlay of Rs14.71 lakh for rejuvenation of the plantations in an area of 18 ha, benefitting 32 tribal families and capacity building of tribal farmers in the settlement. Duration of the project is one year. The components proposed under the project are rejuvenation of existing cardamom plantation, supply of organic manure and bio inputs, capacity building programmes, and supply and installation of cardamom driers.

The project has been approved and an amount of Rs 11.71 lakhs was sanctioned by the Government of Kerala. Under the project, cardamom suckers were provided to the cardamom farmers in the tribal settlement for rejuvenation of the cardamom plantation and inputs for maintaining the plants, such as organic manure and bio agents, were also distributed besides conducting quality improvement training programme. The order for purchase of two cardamom driers and generators has been placed, delivery and installation of the same is expected to be completed once the restriction laid by the State Government for curbing the COVID-19 pandemic is relaxed.

K. 'Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access through Capacity Building and Innovative Interventions' – STDF Project

A project submitted by Spices Board to the Standards and Trade Development Facility (STDF) under World Trade Organization (WTO), titled '*Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access Through Capacity Building*' was approved earlier. Implementation of the project was approved by the Ministry of Commerce and the project aims at addressing sanitary and phytosanitary (SPS)

issues in four project locations viz: (1) Cumin/ Fennel in Mehsana district of Gujarat, (2) Cumin/Fennel in Jodhpur in Rajasthan, (3) Coriander in Guna district of Madhya Pradesh and (4) Black pepper in Paderu, Andhra Pradesh. The goal of the project is to expand exports of safe and high-quality spices from India to overseas markets. The project is funded by STDF, Food and Agricultural Organization (FAO) and Spices Board. FAO is the international implementation partner. The FAO Regional Office for Asia and the Pacific through its country office in India is responsible for the implementation. Spices Board is the local partner of the project and will ensure implementation of all local activities and their coordination. The project is expected to directly benefit up to 1200 smallholder farmers, who rely on farming as their only source of income. The project aims to scale up the standards of practices in farming, production and post-harvest to meet food safety standards and expand market access and thus help to boost income of small-scale farmers, empower women and other marginalized (tribal) communities, and support efforts to reduce poverty.

To mark the commencement of the activities under the project, Spices Board in collaboration with FAO, India organized a virtual inception workshop for the project on 22nd October, 2020. The workshop was inaugurated and chaired by the Secretary, Spices Board. The inaugural session was followed by a technical session which deliberated on the activities in the project. Around 100 stakeholders from the spice value chain, including representatives from government departments, research organizations, progressive farmers and exporters' associations attended the inception workshop. Also, representatives from the Standards and Trade Development Facility of the WTO and FAO Regional Office for Asia and the Pacific attended.

The project is being implemented based on a collaborative, public-private partnership model, with

the expectation that the spices training programme developed would be scaled up in other parts of India by the private sector and government agencies after the end of the project.

The baseline survey of the selected farmers in targeted project area is under progress and crop specific Good Agricultural Practices (GAP) and Good Horticultural Practices (GHP) are under review. On finalization of the GAP and GHP, the training programmes for trainers will be rolled out and the trainers will conduct capacity building programmes for the spices farmers in targeted villages and encourage the farmers to adopt GAP and GHP in their farms.

L. Chilli Task Force Committee

In order to study the issues in the chilli sector and to derive programmes for overall development and production of exportable surplus of chilli, task force was constituted by including representatives of MoC&I, MoA&FW, line organizations/departments/ institutions in the major chilli producing states such as Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Telangana, and representatives of chilli exporter/ trades/ farmers. The Hon'ble MP and Spices Board Member Shri GVL Narasimha Rao is the Chairperson of the CTFC and Dr A. B. Rema Shree, Director (Development), Spices Board is the Vice chairman of the committee.

The task force deliberated on the issues faced by various stakeholders in supply chain of chilli and recorded different types export potential varieties of chilli, its intrinsic value, issues in production, harvest, post-harvest and export of chilli. The report of the chilli task force committee is in the final stage and will be submitted to the Secretary, Spices Board by June 2021.

M. MoU Executed with NCDC

The Board has executed an MoU with National Cooperative Development Corporation (NCDC), who

has agreed to assist the Board in development of cooperatives in spices through capacity development in spices value chains focused on exports; facilitation of export promotion of spices by cooperatives; efforts to invite national or international institutions for building activities, training activities, research activities, studies, fairs, exhibitions, conferences, workshops, remote video based activities, etc., focused on spices value chains and exports; facilitation of formation and promotion of spice FPOs and skilling of youth in cooperation related to spices value chains and exports.

N. MoU Executed with AFC India Limited

The Board has executed an agreement with AFC India Limited (formerly Agricultural Finance Corporation Ltd.) for mutual cooperation in strengthening and enabling integration of FPOs into agricultural value chains and making meaningful contributions to build, nurture and sustain the FPO ecosystem.

O. National Sustainable Spice Programme

The project titled 'National Sustainable Spice Networking Programme', is being implemented in collaboration with World Spice Organisation (WSO, the technical wing of All India Spices Exporters Forum), International agencies - IDH (which supports the sustainable trade initiative) and GIZ, Germany (which works on Bio-diversity and trade) and Spices Board for ensuring food safety to bring in traceability and achieve sustainability with due concern for biodiversity, in the spice sector. The focus spices under the programme are chilli, black pepper, turmeric, cumin and Small Cardamom and the spices produced in NE region, so as to give a boost on the production & export of spices from the region.

The NSSP programme was launched in Guntur on 6th November, 2019; Hyderabad on 11th November, 2019; Siddpur, Gujarat on 12th December, 2019; and Madikeri, Karnataka on 4th February, 2020. Launch of the programme in NE region and Idukki, Kerala was conducted as webinar on 15th June, 2020 and 29th September, 2020 respectively. ■

5

EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

The various programmes being implemented under the scheme 'Export Development and Promotion' intend to support the exporters to meet the changing food safety standards in the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on quality and food safety in the whole supply chain of spices. The major thrust areas are trade promotion, product development & research, infrastructure development, Promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, promotion of organic spices/GI spices, organizing Buyer Seller Meets, etc. Special programmes are also undertaken for spices sector of the North Eastern region.

A. Infrastructure Development

a) Setting up of spices processing units in NE region

The Board proposes to assist in establishment of primary processing facilities for spices in the NE region. The grant- in- aid offered under the scheme will be 33 per cent of the cost of processing facilities/equipment subject to a maximum of Rs 50 lakhs for exporters and 50 per cent of the cost of all type of processing facilities subject to a maximum of Rs 50 lakhs for Farmers' groups/Farmer Producer Companies having

valid CRES. For SC/ST exporters, Farmers' groups and Farmer Producer Companies (for groups / FPCs the members should be from SC/ST Community) having valid CRES, the assistance will be 75 per cent of the cost of processing facilities/equipment subject to a maximum of Rs 112.50 lakhs. The Board is creating awareness among the exporters to establish primary processing facilities in the NE region.

b) Setting up and maintenance of infrastructure for common processing (Spices Parks)

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realization and wider markets for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centres. The objective of the park is to have an integrated operation for cultivation, post-harvesting, processing, value-addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization, etc., will help the farmers to improve the quality of the produce and thus result in a higher price realization

All the Spices Parks established have been designated as Food Parks / Mega Food Parks by the Ministry of Food Processing Industries.

The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centres, are as below:

Sl. No.	Location/State	Spices Covered	Land Area (Acre)
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Chilli & Garlic	10.00
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	12.50
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	60.00
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	100.00
5	Sivaganga, Tamil Nadu	Chilli & Turmeric	75.00
6	Guntur, Andhra Pradesh	Chilli	125.00
7	Kota, Rajasthan	Coriander	30.00
8	Raebareli, Uttar Pradesh	Mint	11.79

The Parks at Raebareli, Uttar Pradesh & Ramganj Mandi (Kota), Rajasthan were inaugurated by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation, on 22nd February, 2019. Spices Park Raebareli, established in 11.79 acres of land at Harchandpur, Raebareli is envisaged to develop as a full-fledged infrastructure facility for primary processing and higher-end value addition of mint. The park at Ramganj Mandi, Rajasthan, Asia's largest market centre for Coriander, is established in 30 acres of land with full-fledged facilities for processing, value addition and storage of coriander.

The Parks at Jodhpur, Rajasthan; Guna, Madhya Pradesh and Guntur, Andhra Pradesh have well established common processing units for processing, value addition and storage of spices and spice products. All the Parks except Chhindwara, has land earmarked for allotting to prospective private entrepreneurs for developing their own processing units for value addition and higher end processing of spices. The private entrepreneurs may develop their processing units by availing the common facilities in the Spices Park. The grower community can make use of these facilities for selling their produce directly to the exporters so that they can avail premium price for their produces. The Board has allotted the land for setting up of processing units.

During the year 2020-21, the Board has invited EoI for leasing of vacant plots and allotted four plots in the Spices Park, Raebareli. Allotment of rest of the vacant plots in different Spices Parks are under process. Also, the Board is in the process of finding out operator for common processing unit in Spices Park at Sivaganga, Raebareli and Chhindwara.

During 2020-21, a total of 14,131.49 MT of spices were processed through the common processing units established at various Spices Parks and exported 649 MT of spices valued Rs 743.42 lakhs. A total of 407.40 MT of spices valued Rs 381.87 lakhs of spices were processed in the colour sortex system established at Spices Park Guna.

The Board has allotted plots available in the Spices Parks to entrepreneurs for developing their own processing units for value addition of spices. A total of 4316.42 MT spices were processed through these units established in the Parks during 2020-2021.

A total of 12,920.18 MT spices were stored in the common storage facilities set up in the Spices Parks and a total of 42,542 MT spices and 250 MT other agri products were stored in the warehouses / cold storages units established by the private entrepreneurs in the Spices Parks during 2020-2021.

During 2020-21, the Spices Parks provided direct services to a total of 1605 farmers and other stakeholders besides providing employment to 104 permanent workers and 253 contract/ casual workers (including 181 women workers). An expenditure of Rs 227.75 lakhs have been incurred for maintenance/ undertaking works in the Spices Parks.

c) Spice Complex Sikkim

Considering the importance of spices in the state of Sikkim and the scope & opportunities for export of spices from the state, Spices Board submitted a project proposal to the States Cell, MoC to set up a Spice Complex in Sikkim seeking financial assistance under TIES to facilitate and demonstrate common processing and value addition in spices for the benefit of farmers and other stakeholders in the state. The Sikkim Spice Complex is envisaged as a self-contained facility with appropriate physical and common infrastructure and amenities. The components of Spice Complex in Sikkim include common processing & value-addition unit, R&D facilities for Large Cardamom & post-harvest management including quality testing facilities, training centre, bio-input production and admin building to house the Board's Research, Development & Marketing offices in a single location. The Government of Sikkim has allotted 10 acres of land at Namcheybong in East District of Sikkim. The total cost of the project is Rs 26.51 crore. The project is approved under TIES and an amount of Rs 8.87 crore has been released

by the Ministry as first instalment for establishment of the Spice Complex at Sikkim.

B. Trade Promotion

a) Sending business samples abroad

The Board assists exporters who wish to finalize business transactions on the basis of samples requested by buyers and reimburses the courier charges for sending business samples abroad. Sending business samples enable better and speedy conversion of prospective buyers to actual customers in the spices export scenario. All exporters whose first registration with Spices Board is within three years are eligible for availing benefit under this programme. During 2020-21 the assistance provided under the scheme was Rs 2.72 lakhs to five eligible exporters.

b) Packaging development & barcoding

The program envisages improvement and modernization of export packaging for increasing shelf life and reducing storage space, establishing traceability and better presentation of Indian spices in the markets abroad. Registered exporters can avail assistance to the tune of 50 per cent of the cost of packaging development and barcoding registration subject to a ceiling of Rs1.00 lakh per exporter.

c) Product development & research

There is ample scope for deriving new end uses and tapping unconventional applications from the spices produced in the country. The scheme aims at scientific validation of nutritional, nutraceutical, cosmeceutical, medicinal and intrinsic properties of the spices, with a view to enable further development of new spice based products. The returns from exports of such new products and formulations would be phenomenally higher than the value realized by exporting whole spices with minimal value addition. Development of new end products from spices involves scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for exports. The scheme

offers financial assistance for product research & development, clinical trials, validation of properties, and patenting & test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities will be eligible to avail assistance under the scheme, to the tune of 50 per cent of the cost of project subject to a maximum of Rs 25.00 lakh. If clinical trials and patenting are involved, the ceiling will be Rs 100 lakhs. During 2020-21, the Board provided an assistance of Rs 47.15 lakh under the component for product development & research to four beneficiaries.

d) Promotion of Indian spice brands abroad

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, through a series of promotional programmes. Under this programme, exporters who have registered their brand with the Board can avail the financial assistance towards interest free loan of upto Rs 100 lakhs per brand. Assistance under the programme will cover 100 percent of slotting / listing fee & promotional expenditure and 50 per cent of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad.

During 2020-21, the Board released an amount of Rs 99.66 lakhs towards first instalment of loan to three exporters.

e) Participation in international trade fairs/ exhibitions/ meetings and trainings

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board used to participate in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. During the reporting period, due to restrictions imposed by the government in domestic as well as international travel, social gatherings, etc., there were no international fairs. However, the Board participated in nine domestic exhibitions including five virtual exhibitions.



The Board also encourages exporters to participate in international fairs/exhibitions to generate/ develop business. The registered exporters of the Board are eligible to avail assistance for participation in international trade fairs/exhibitions as per MDA guidelines. During 2020-21 the applications of last financial year were processed and extended assistance to 11 exporters for participation in international trade fairs, exhibitions, etc., at a total expenditure of Rs 6.79 lakhs.

Implemented the Board's export development and promotion schemes with a financial assistance of around Rs 1.6 crores benefitting total 25 exporters.

C. Marketing and Auxiliary Services

a) Marketing services

Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and to strengthen the domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day to day basis to sort out various issues faced with regard to post-harvest management, marketing, processing, quality improvement, etc., of spices and provides advice and technical support to exporters, farmers and state governments.

(i) Registration & licensing

Licensing and registration is a part of the regulatory functions of the Board. The Board issues Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) and also the Auctioneer & Dealer licence for trading in cardamom (small & large). During 2020-21, Spices Board issued 1512 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES), of which 1495 certificates were in merchant category and 17 certificates were in manufacturer category. Also, 50 Small Cardamom dealer licences were issued during the year.

Spices Board has invited online applications from the exporters for issuance of CRES for the new period with effect from 1st April 2021, which will be valid for three years from the date of issue. The Board has also

introduced an online gateway system for the payment of CRES fee. The Board also received applications for registration as dealer and auctioneer for the ensuing period and is in the process of issuance of the same. The Board is coordinated with the Ministry in implementing National Single Window System (NSWS) and minimizing regulatory compliance in domestic marketing of cardamom and export promotion of spices.

The Board has issued 50 Cardamom Dealer Licences during the year. A total quantity of 19373 MT of Cardamom (Small) was sold through the Board's e-auctions conducted at Puttady and Bodinayakanur auction centres during April 2020-March 2021. During the period, 12 auctioneers conducted e-auctions in these centres.

ii) Registration of brand name

The objective of the programme is to register the brand names of exporters, who export spices/spice products in branded consumer packs. Registration of brand name is offered for a period of three years, after confirming compliance with specific parameters, including testing of the package by the Indian Institute of Packaging (IIP).

iii) Auction for cardamom

During 2020-21, the Board continued to facilitate the conduct of e-auction of Cardamom (Small) at Spices Park, Puttady in Idukki district of Kerala and at Bodinayakanur in Tamil Nadu. A total of 12 auctioneer licences have been issued for conducting auctions in the e-auction centres at Puttady and Bodinayakanur for the block period 2017-20. Manual auctions were conducted in other states, viz., Karnataka and Maharashtra for Cardamom (Small) and at Singtam in Sikkim for Cardamom (Large).

iv) Testing of customs samples of spices

During 2020-21, the Board has tested 460 samples of import consignments of spices received from Customs Department and test reports were issued. The results

were issued with regard to imports under Advance Authorization Scheme, after testing oleoresin/piperine in pepper, curcumin in turmeric, and content for extraction of oils and oleoresins.

The 8th QEL of the Board started functioning at Kolkata catering to the quality analysis needs of the various stakeholders from the Eastern and NE region in February 2020. Spices Board's Quality Evaluation Laboratories at Kochi, Mumbai, Chennai, Guntur, Tuticorin, Delhi, and Kandla have analysed 86,447 parameters of spice samples for Aflatoxin, Illegal dyes, Pesticide residues, *Salmonella*, etc., during the year. Mandatory testing of pesticides was introduced for export of cardamom to Saudi Arabia. A total of 21,364 analytical reports and 2,705 health certificates issued to the exporters during the year. Turmeric samples from various growing regions were analysed for heavy metals and curcumin content.

(v) GI Registration of spices

Spices Board obtained the GI registrations for Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilli and *Byadagi* Chilli. The Board is popularizing the GI registered spices in the international markets.

(vi) Seminars and training programmes

The Board has been conducting seminars and training programmes for the stakeholders of spices sector on post-harvest management, primary processing, export procedures, import documentation for the integrated development of various levels of value chain to ensure sustainable development of India's spice export in compliance with the quality and safety standards of export destinations. Due to the surge in COVID-19, the Board has organized the trainings through virtual platform during the financial year 2020-21. The Board has organized 11 entrepreneurship development training programmes by including stakeholders of spices and representatives from other organizations

such as NABARD, APEDA, MoFPI, SABC, DGFT, DGRT, NRCSS, RSAMB, MSME, etc. The details of the trainings conducted are enlisted below:

No.	Name of the Programme	Date
1	Spice stakeholders meeting on various schemes offered by Spices Board	21 September, 2020
2	Online training-cum-interactive meeting	15 October, 2020
3	Establishing integrated value chain for export of seed spices from Jodhpur-an interface with key stakeholders	27 October, 2020
4	Entrepreneurship development programme for horticulture students and graduate farmers	30 October, 2020
5	Harnessing entrepreneurship opportunity in spices in northern India	27 November, 2020
6	Export promotion and Anti-dumping & Trade remedies/ Technical barriers for spices sector	3 December, 2020
7	Webinar on 'export of spices, trade remedies/technical barriers and various incentives/supports for export promotion'	4 December, 2020
8	Webinar on 'export potentials and quality issues on seed spices and various incentives/supports for export promotion'	15 December, 2020
9	World of coriander webinar 'accelerating quality production, post-harvesting, value addition & export of coriander from India'	4 January, 2021
10	Online entrepreneurship development training programme for Meghalaya on spices export	9-10 March, 2021
11	Entrepreneurship development programme among the members of Muhuri Organic Farmers Producer Co. Ltd. at Ramraibari Village, South Tripura	25 March, 2021

A total of 1258 participants attended the programmes.

With special focus on the promotion of spices from the North East region, the Board conducted the following webinars:

1. Webinar on food for healthy life on 6th July, 2020 (in association with ICC).
2. Webinar on spices of North East Region on 20th November, 2020 (in association with FICCI). The total cost incurred is Rs 63,600/- towards the sponsorship charges.

b) Buyer Seller Meets (BSMs)

Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSMs) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. The BSMs offer a win-win situation to both the growers and exporters wherein the growers get a market for their produce along with remunerative returns, whereas the exporters find it beneficial in terms of establishing long term backward linkages and competitive sourcing of quality spices. Due to COVID-19 pandemic, the Board conducted BSMs on virtual platform this year. During FY 2020-21, 18 BSMs were conducted by the Board, details of which are given in the table below:

Sl No.	Name	Date
1	Virtual B2B meet for promotion and revival of spices sector of Assam & North East	16 July, 2020
2	Buyer seller meet with focus on Nutmeg and Mace	07 October, 2020
3	Buyer seller meet on Indian spices with focus on Egypt	13 October, 2020
4	Tripura spice e-conference and BSM	16 October, 2020
5	Buyer seller meet on turmeric with focus on Odisha (particularly Kandhamal & Koraput districts)	11 November, 2020
6	Buyer seller meet with focus on Nagaland and the NER	17 November, 2020
7	Buyer seller meet with focus on Saffron	24 November, 2020

8	Online buyer seller meet for Ginger and Black Pepper with focus on Karnataka	09 December, 2020
9	Online buyer seller meet on spices in Sikkim and West Bengal Region	11 December, 2020
10	Online buyer seller meet with focus on Turmeric	12 December, 2020
11	Buyer seller meet for spices of Meghalaya and the NER	17 December, 2020
12	Buyer seller meet for strengthening export sourcing of Small Cardamom	22 January, 2021
13	Buyer seller meet for Chilli and Turmeric with focus on Andhra Pradesh	29 January, 2021
14	Buyer seller meet for Turmeric with focus on Telangana	03 February, 2021
15	Buyer seller meet for Coriander with focus on Madhya Pradesh	05 March, 2021
16	Buyer seller meet for Seed Spices with focus on Gujarat	16 March, 2021
17	Buyer seller meet for Spices of the Eastern Region	19 March, 2021
18	Virtual BSM for promotion of Birds' Eye Chilli	23 March, 2021

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and actively participated in the BSMs, across the country, so as to make the best use of the platform to build market linkages. Around 2200 farmers/farmers' groups and 500 spice exporters had actively participated in the BSMs. During 2020-21, the total expenditure for conducting BSMs was Rs 114,500/-.

The contact details of suppliers (farmer/FPO) and exporters participated in the BSMs were consolidated. The contact details of exporters/suppliers/farmers/FPOs were disseminated to overseas missions/importers/exporters/traders based on enquiries received.

D. INTERNATIONAL PEPPER COMMUNITY (IPC)

The International Pepper Community is an intergovernmental organization under the auspices of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). The Community now includes India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members and Papua New Guinea, Philippines as an associate member. The Community is a non-profit professional Organization designed as a platform for the global pepper Industry to discuss the common issues and seek sensible solutions for the betterment of global pepper industry. Representative of the member countries hold the office of the Chairman of IPC on rotation basis and each Chairman hold office of the IPC for a period of one year. Shri D. Sathiyam IFS, Chairman & Secretary, Spices Board was the Chairman of IPC during 2020.

IPC has formed different Standing Committees to frame policies and specific strategies in respect of Research & Development, Marketing and Quality evaluation of Pepper for addressing current and emerging issues. The major committees are:

I) IPC Committee on Research & Development

The 9th Meeting of the International Pepper Community (IPC) Committee on Research & Development was held on 15th October, 2020 via an online platform hosted by the IPC Secretariat. Dr. A.B. Rema Shree, Director, Research, Spices Board was elected as the Chairperson of the 9th meeting of IPC Committee on R&D. Representing India, Shri NAD Shenoy, Deputy Director, Spices Board was nominated as member of the drafting committee. The meeting was attended by

experts of Research and Development in Pepper from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam. The committee decided to adopt and publish the Revised IPC Book on Good Agriculture Practices (GAP) on black pepper.

II) IPC Committee on Marketing

The 6th Meeting of the IPC Committee on Marketing was held on 16 December, 2020 via an online platform hosted by the IPC Secretariat. The meeting was attended by the delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam as well as Government officials from the member Countries. Shri P. M. Suresh Kumar, Director (Mktg), Spices Board attended the meeting as the Country delegate and Shri B. N. Jha, Deputy Director, Spices Board attend the meeting and functioned as the member of the drafting committee of the meeting.

III) IPC Committee on Quality

The 26th Meeting of the IPC Committee on Quality was held on 15 July, 2020 via an online platform which was hosted by the IPC Secretariat. The Online Meeting was attended by the members of the IPC Committee on Quality from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam. Shri D. Sathiyam IFS, Chairman & Secretary, Spices Board was the Chairman for the IPC Quality Committee for the year 2020.

The Meeting adopted the current IPC Standard Specification Aflatoxin Total for Black/White Pepper (whole and ground) and Whole Dehydrated Green Pepper and decided to share the list of alternative bio-pesticide used for pepper in member countries for compilation and dissemination. ■

6

TRADE INFORMATION SERVICE

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic and international prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export of spices from India is the Daily List of Exports (DLE) released by the Customs authority and the export data provided by the Directorate General Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata. Similarly, the Daily List of Imports (DLI) released by the Customs and the import data provided by Directorate General Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata are the source for estimating the import of spices into India. The Board is compiling the export/import details of spices on a quarterly basis and disseminating the export and import figures of spices to its stakeholders through website and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose, the Board is regularly collecting both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar, etc., and DGCI&S, Kolkata and the information is also collected through Regional Offices of the Board for this purpose.

The Board is compiling and disseminating both the domestic and international prices of spices for major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through its website and publications. The major source for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association; Agricultural Produce Marketing Committees; Merchants Associations; International Trade Centre, Geneva; and International Pepper Community, Indonesia. All these information is collected through the regional offices of the Board and through subscription to the international agencies.

Since Spices Board is responsible for the production development of Cardamom (Small & Large), the area, production and productivity of these spices are estimated by Trade Information Service by the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as through the website to the stakeholders and policy makers.

As per the Registration of exporters (Regulations), all the Registered Exporters of Spices have to submit their quarterly export returns to the Board. Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns submitted by the registered exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and published on the Board's website.

Spices Board is conducting e-auction for trading of cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and price of cardamom are compiled and published on a daily basis through the Board's website. The consolidated details on auction sale and average prices were compiled and disseminated through the Board's publication.

Weekly domestic price of different spices for different market centers including major overseas markets were collected, compiled and published through the publication of the Board namely, Spices Market, on a weekly basis (on website) for the benefit of stakeholders of the industry.

A. Area and production of spices

The area, production and productivity of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) for 2020-21 compared to 2019-20 are given in Table I & II. Area and production of other spices is given in Table-III.

Table-I

State wise area and production of Cardamom (Small)

(Area in Hect., Prodn in Tonnes., Yield in Kg/Hect)

State	2020-21				2019-20			
	Total Area	Yielding Area	Prodn	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn	Yield
Kerala	39143	29406	20570	699.50	39697	29858	10075	337.43
Karnataka	25135	14204	579	40.73	25135	14418	620	43.00
Tamil Nadu	4912	2786	1372	492.28	5162	2876	540	187.76
Total	69190	46396	22520	485.38	69994	47152	11235	238.27

Source:- Estimate based on field sample study.

Table-II

State wise area and production of Cardamom (Large)

(Area in Hect., Prodn in Tonnes, Yield in Kg/Hect)

State	2020-21				2019-20			
	Total Area	Yielding Area	Prodn	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn	Yield
Sikkim	23312	17105	4970	286.88	23312	15963	4779.2	299.39
West Bengal	3305	3159	1100	347.89	3305	3159	1086.1	343.81
Total	26617	20264	6070	296.39	26617	19122	5865.3	306.73

Source : Estimate by Spices Board

The estimated area and production details of Cardamom (Large) in Arunachal Pradesh and Nagaland and Manipur is given in Table IIA

Table-IIA

State wise area and production of Cardamom (Large)

(Area in Hect., Prodn in Tonnes, Yield in Kg/Hect)

State	2020-21				2019-20			
	Total Area	Yielding Area	Prodn	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn	Yield
Arunachal Pradesh	11403	6749	1662	246.31	10909	6395	1614	252.38
Nagaland	6499	4244	1066	251.27	6408	4214	1046	248.22
Manipur	182	40	4	110.03	148	29	4	146.55
Total	18084	11033	2733	247.73	17465	10638	2664.25	250.45

Source : Estimate by Spices Board

Table-III

Area and production of major spices

(Area in Hect., Production in Tonnes)

Spices	2019-20(*)		2020-21(A.E)	
	Area	Prodn	Area	Prodn
Pepper	259148	61000	259008	65000
Chilli	623446	1841800	732213	1988304
Ginger (Fresh)	178157	1868354	175764	1884775
Turmeric (Dry)	296181	1178750	294542	1101920
Coriander	528970	700815	628624	822210
Cumin	1276283	912040	1241297	856505
Fennel	82731	139760	79842	128497
Fenugreek	126294	182170	133229	203360
Garlic	352663	2926095	385234	3122605

Source: State Directorate of Eco. & Stat./ Agri./ Horti. Departments Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode (Adv. Est): Estimate (*): Provisional. Pepper Production: Trade Estimate

B. Auction sales and prices of Cardamom (Small)

The state-wise auction sales and weighted average price of cardamom (Small) for 2020-21 (August 2020 - July 2021) and 2019-20 (August 2019 - July 2020) are given in Table-IV.

Table-IV

Auction sales & prices of cardamom (small)

(Qty. in Tonnes, Price in Rs./kg.)

State	2020-21 (August-July)		2019-20 (August-July)	
	Quantity auctioned	Weighted average auction price	Quantity auctioned	Weighted average auction price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	21252	1477.21	13753	2904.71
Karnataka	5	913.92	4	2021.31
Maharashtra	62	1612.31	64	2843.79
Total / Weighted average	21319	1477.47	13821	2904.17

Source: Reports received from licenced auctioneers

C. Prices of Cardamom (Large)

The average wholesale prices of Cardamom (Large) at Gangtok and Siliguri market for 2020-21 and 2019-20 are given in Table V.

Table-V

Average wholesale prices of Cardamom (Large)

(Price in Rs./kg.)

Centre	Grade	2020-21	2019-20
Gangtok	Badadana	422.05	475.42
Siliguri	Badadana	505.55	579.86

Source: Regional office of the Board

D. Prices of other major spices

The average domestic prices of major spices are given below. These prices have been collected from secondary sources like Chamber of Commerce, Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc., Prices of major spices in important market centres are given in Table VI.

Table-VI

Prices of major spices in important market centers

(Price in Rs / Kg.)

Spice	Market	2019-20	2020-21
Black pepper(mg-1)	Kochi	378.21	342.31
Chillies	Guntur	115.04	102.72
Ginger	Kochi	267.73	272.5
Turmeric	Chennai	79.48	118.39
Coriander	Chennai	88.23	97.07
Cumin	Chennai	171.89	147.75
Fennel	Chennai	98.29	94.23
Fenugreek	Chennai	63.57	72.59
Garlic	Chennai	108.93	85.43
Poppy seed	Chennai	794.45	753.14
Ajwan seed	Chennai	133.86	134.69
Mustard	Chennai	47.41	59.92
Tamarind	Chennai	121.49	138.73
Saffron	Delhi	111090.90	79500.00
Clove	Kochi	611.81	543.91
Nutmeg (without shell)	Kochi	383.27	448.15
Mace	Kochi	869.47	1095.37

E. Export Performance of Spices from India

Despite the COVID-19 Pandemic, export of spices from India continued its upward trend during 2020-21 and crossed the 3.5 billion US \$ mark. Estimated export of spices/ spice products from the country during 2020-21 is 15,65,000 tonnes valued Rs 27,193.20 crores (US\$ 3624.76 million) against the 12,08,400 tonnes valued Rs 22,062.80 crores (US\$ 3110.63 million) of the previous financial year. Export of spices attained an all-time record in terms of both volume and value in the year registering an increase of 30 per cent in volume, 23 per cent in rupee terms and 17 per cent in dollar terms of value compared to the previous year.

During 2020-21, the export of Cardamom (Small & Large), chilli, ginger, turmeric, coriander, cumin, celery, fennel, fenugreek, other seeds such as mustard, ajwan seed, aniseed, etc., nutmeg & mace; and other spices such as tamarind, asafoetida, etc., increased both in volume and value as compared to 2019-20.

In the case of value-added products, export of spice oils & oleoresins increased both in terms of volume and value; export of mint products increased in terms of volume and export of curry powder/paste increased in terms of value. Export of pepper and garlic during the period showed a declining trend, both in value and volume, compared to last year.

During 2020-21, a total volume of 6,500 tonnes of Cardamom (Small) valued Rs1,106.75 crores was exported as against 1,850 tonnes valued Rs 425.37 crore of the previous year, registering an increase of 251 per cent in volume and 160 per cent in value. Export of Cardamom (Large) during the period was 1,325 tonnes valued Rs 91.26 crore as against 1,310 tonnes valued Rs 70.90 crore of last year, thereby recording an increase of one per cent (1per cent) in volume and 29 per cent in value.

Registering an increase of 21per cent in volume and 26 per cent in value of exports, a total volume of 6,01,500 tonnes of chilli valued Rs 8429.75 crore was exported in 2020-21 as against 4,96,000 tonnes valued Rs 6,710.40 crore of last year. A total of 1,25,700 tonnes

of ginger valued Rs 756.65 crore was exported during 2020-21 against the 60,410 tonnes valued Rs 529.05 crore of previous year. The increase in export of ginger is 108 per cent in volume and 43 per cent in value.

Export of turmeric during the year was 1,83,000 tonnes valued Rs 1676.60 crore as against 1,37,650 tonnes valued Rs 1286.90 crore of last year marking an increase of 33 per cent in volume and 30 per cent in value. A total of 57,000 tonnes of coriander valued Rs 489.82 crore was exported in 2020-21 against the 47,135 tonnes valued Rs 398.31 crore in previous year. The increase in exports is 21per cent in volume and 23 per cent in value.

During 2020-21, export of cumin registered an increase of 40 per cent in volume and 28 per cent in value with the total exports amounting to 2,99,000 tonnes valued Rs 4,253.10 crore. The export of cumin during the previous year was 2,14,190 tonnes valued Rs 3,328.06 crore. Export of fennel during the year was 31,800 tonnes valued Rs 276.30 crore with an increase of 31 per cent in volume and 19 per cent in value compared to last year's figures of 24,220 tonnes valued Rs 231.62 crore.

Exports of celery marked an increase of 23 per cent in volume and 45 per cent in value during the year with the total exports reaching up to 7,650 tonnes valued Rs 99.84 crore; whereas the previous year's export was 6,230 tonnes valued Rs 69.03 crore. A total of 38,300 tonnes of fenugreek valued Rs 246.42 crore was exported from the country during 2020-21, against the 26,570 tonnes valued Rs 156.90 crore of last year, with an increase of 44 per cent in volume and 57 per cent in value.

A total volume of 3,875 tonnes of nutmeg & mace valued Rs 190.00 crore was exported in 2020-21 as against 2,900 tonnes valued Rs 132.80 crore of last year registering an increase of 34 per cent in volume and 43 per cent in value. During the year, 16,450 tonnes of spice oil & oleoresin valued Rs 3306.75

crore was exported; with an upward growth of 27 per cent in volume and 35 per cent in value. Whereas in 2019-20, the export of spice oil & oleoresin amounted to 13,000 tonnes valued Rs 2,446.83 crore.


The statement showing item-wise estimated export of spices from India during 2020-21 (in descending order of value) compared with 2019-20 and percentage of change in 2021 is given in Table-VII.

Table – VII Export of spices from India during 2020-21 compared with 2019-20

ITEM	2020-21 (E)		2019-20 (F)		Change (%)	
	QTY	VALUE	QTY	VALUE	2020-21	
	(TONNES)	(Rs LAKHS)	(TONNES)	(Rs LAKHS)	QTY	VALUE
CHILLI	601500	842975.00	496000	671039.53	21%	26%
CUMIN	299000	425310.00	214190	332806.00	40%	28%
MINT PRODUCTS(3)	27400	366825.00	24470	383202.24	12%	-4%
SPICE OILS & OLEORESINS	16450	330675.00	13000	244682.74	27%	35%
TURMERIC	183000	167660.00	137650	128690.53	33%	30%
CARDAMOM(S)	6500	110675.00	1850	42537.15	251%	160%
CURRY POWDERS/PASTE	38450	89145.00	38370	81278.66	0%	10%
GINGER	125700	75665.00	60410	52905.00	108%	43%
OTHER SPICES(2)	44000	70942.50	37235	66545.96	18%	7%
PEPPER	16300	54445.50	17000	57370.94	-4%	-5%
CORIANDER	57000	48982.50	47135	39831.38	21%	23%
OTHER SEEDS (1)	48800	30008.00	37580	22080.72	30%	36%
FENNEL	31800	27630.00	24220	23162.14	31%	19%
FENUGREEK	38300	24642.00	26570	15690.38	44%	57%
NUTMEG & MACE	3875	19000.00	2900	13280.00	34%	43%
GARLIC	17950	15630.00	22280	17182.52	-19%	-9%
CELERY	7650	9983.50	6230	6903.85	23%	45%
CARDAMOM(L)	1325	9126.25	1310	7090.17	1%	29%
TOTAL	1565000	2719320.25	1208400	2206279.9	30%	23%
VALUE IN MILLION US \$		3624.76		3110.63		17%
(E) Estimate, (F) Final						
(1) INCLUDE MUSTARD, ANISEED, AJWANSEED, DILL SEED, POPPY SEED, ETC.						
(2) INCLUDE TAMARIND, ASAFOETIDA, CASSIA, SAFFRON, ETC.						
(3) INCLUDE MINT OILS, MENTHOL & MENTHOL CRYSTAL.						
SOURCE : Estimate based on DLE from customs, report from RO's and last year's export trend, etc.						


COUNTRY WISE EXPORT OF SPICES FROM INDIA

Country	Value (Rs.Lks)
China	627155.48
USA	465000.00
Bangladesh	251280.47
UAE	165298.53
Thailand	117309.88
UK	83983.34
Malaysia	83834.62
Indonesia	78756.02
Sri Lanka	77949.48
Nepal	67870.05
Saudi Arabia	55538.85
Morocco	50336.56
Australia	44656.16
Germany	43739.05
Canada	41911.99
Netherlands	41584.26
Others	423115.51



ITEM WISE EXPORT OF SPICES FROM INDIA


ITEM	Value (Rs.Lks)
Chilli	842975.00
Cumin	425310.00
Mint Products	366825.00
Spice Oils & Oleoresins	330675.00
Turmeric	167660.00
Cardamom(S)	110675.00
Curry Powder/Paste	89145.00
Ginger	75665.00
Pepper	54445.50
Coriander	48982.50
Fennel	27630.00
Fenugreek	24642.00
Others	154690.35



SPICES BOARD



ITEM WISE EXPORT OF SPICES FROM INDIA	
ITEM	VOLUME (Tonnes)
Chilli	601500
Cumin	299000
Turmeric	183000
Ginger	125700
Coriander	57000
Curry Powder/Paste	38450
Fenugreek	38300
Fennel	31800
Mint Products	27400
Garlic	17950
Spice Oils & Oleoresins	16450
Pepper	16300
Others	112150



The Board monitored exports and reported export performance of spices and spices products to the Ministry. Also coordinated with Embassies/Missions/Regulatory Authorities in sorting out trade related

issues. Spices Board's offices in coordination with exporters' association, collected inputs from the industry and reported to the Ministry for formulating trade policies, trade negotiations & agreements.

7

PUBLICITY AND PROMOTION

Designing a good promotional strategy is vital for enhancing the reputation of Spices Board and for promotion of spices export. Every promotional opportunity was made use of to enhance the public awareness on spices, its various value-added products, uses and benefits, etc. Information on the activities and schemes of Spices Board were also disseminated using various channels during the period 2020-21.

The unprecedented challenges presented by the global pandemic, COVID-19, necessitated new outlook and strategies for publicity and promotion. During the financial year 2020-21, the Board continued to popularize its schemes and activities for branding of Indian spices across the globe. Strategies were designed for publicizing and promoting Indian spices, spice industry and the activities of the Board.

The major highlights during FY 2020-21 include participation in virtual trade fairs / exhibitions, advertisement campaigns, online promotional campaigns, and printing and publication of magazines, brochures, etc.,

The multi-disciplinary promotional activities lend support to the Board and spice industry, boosting the demand of Indian spices both nationally and internationally.

A. Participation in Exhibitions/Trade Fairs

Participation in trade fairs and exhibitions is one of the finest tools for reaching out to the various stakeholders of the spice industry. During the financial year, due to restrictions in domestic and international travel, social gatherings, etc., trade fairs were organized on virtual platforms. The Board ensured its participation in major virtual trade fairs and physical trade fairs with an aim to cover main spice growing and marketing centers.

Participation in trade fairs provided a platform to the Board to interact with various stakeholders of spice industry like farmers, traders, exporters, scientists, other export promotional agency/ organizations, which helped in designing competent projects/activities to promote the Indian spice industry as well as Indian spices. Participation in fairs during FY 2020-21 also helped in tapping both domestic and international spice demands and to generate awareness on the activities of the Board on a pan India level. Opportunity for co-participation with Spices Board in major trade fairs was extended to the exporters also. The facility for co-participation resulted in direct interaction of the exporters with other stakeholders.

During FY 2020-21, Spices Board participated in nine domestic trade fairs/exhibitions, and majority of the events were virtual.

Sl No.	Event Name	Place/ Mode	Date
1.	Biofach India 2020 Digital Edition	Virtual	24-31 October, 2020
2.	6 th India CMLV Business Conclave	Virtual	03-04 December, 2020
3.	FICCI Annual Virtual Expo 2020	Virtual	11 December, 2020 - 11 February, 2021
4.	Krishi Avam Pashudhan Mela	Rongpo Goli Ground, Gangtok	24 December, 2020
5.	Geographical Indication Festival of India (GIFI)	Virtual	09 January - 08 February, 2021
6.	SYMSAC X	Virtual	09-12 February, 2021
7.	VAIGA 2021	Thrissur, Kerala	10-14 February, 2021
8.	GI Utsav	LBSNAA, Mussoorie	04-05 March, 2021
9.	Indus Food 2021	India Exposition Mart, Greater Noida, NCR	20-21 March, 2021



B. Promotional Campaigns

The COVID-19 pandemic and the increased awareness among the public on immunity and healthy food led to a change in the popular concept of spices as mere condiments. They were regarded for their wellness and health promoting properties also. Taking this as an opportunity, Spices Board in association with the Times Group organized an online contest named as 'Flavours of Kerala' in June 2020. The contest asked the public to send a video of their cooking with spices, detailing the uses and benefits of the spices used. These videos were shared on various social media platforms for wider reach.

C. Online Promotional Campaigns

Spices Board made use of the various social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube and Google ads link for promotion of Indian spices and Spices Board's activities in 2020-21. Designed to educate the online viewers, the social media campaigns created awareness on spices including its botanical and geographical information, trade data, therapeutic and culinary aspects, etc.

D. Periodicals

(i) Spice India

The periodical publication, Spice India (monthly) published in five different languages- English, Hindi, Malayalam, Kannada and Tamil-

were released on time. The quarterly issues in Telugu were also released as per the schedule.

(ii) Foreign Trade Enquiries Bulletin

Spices Board compiles and publishes trade enquiries received from overseas trade fairs, e-mail and direct enquires to the Board's offices as a fortnightly bulletin named as Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB) to facilitate export of spices. The publication is sent through email to the subscribers.

(iii) Other Publications

Booklets and brochures printed during 2020-21 were:

- a) General brochure on the Spices Board India.
- b) General brochure on Indian spices having GI certification.

E. Release of Advertisements

Advertisements on vacancies in Spices Board, tenders, etc., were released during the year. Besides this, advertisements on general information on Spices Board and for promotion of cardamom, and advertorials were also released through various newspapers and magazines.

F. Press Releases

Press releases detailing the export statistics and trends, initiatives and activities of Spices Board, etc., were released during FY 2020-21.

8

CODEX CELL

A. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

Spices Board functions as the Secretariat of the CCSCH committee and organizes the session of CCSCH on behalf of India. The committee approved by the Codex Alimentarius Commission in 2013, so far has organized four sessions since its commencement. After the successful conduct of the fourth session of CCSCH, the tasks of developing five draft standards, viz., dried oregano, dried or dehydrated ginger, saffron, dried basil, and dried cloves adopted at step five and two proposed draft standards, viz., dried or dehydrated chilli and paprika, dried or dehydrated nutmeg at step two are in progress. The scientists of the Board are chairing/co-chairing and also actively participating as members in the electronic Working Groups (eWGS) for these standards.

B. Upcoming Session (CCSCH5)

The fifth session of the CCSCH is scheduled to be held virtually during April 2021. CCSCH5 is the first Codex commodity committee meeting which is to be held online. The physical session of the committee, which was initially scheduled to be held during September 2020, was cancelled due to the ongoing COVID-19 pandemic situation worldwide. The Codex cell of Spices Board works as the organizing secretariat and the preparatory works for the upcoming session are in progress. In addition to coordinating the activities with the Codex Secretariat, Rome and National Codex contact point (NCCP), FSSAI, New Delhi, for organizing the upcoming virtual session, the Codex cell is also assisting the technical works related to the drafting of standards under the committee presently. Spices Board received all necessary approvals from

respective Ministries of the Government of India for conducting the fifth session virtually.

C. Other Codex Meetings

a) Codex Alimentarius Commission (CAC 43)

The 43rd session of the Codex Alimentarius Commission (CAC43) was held virtually during September-November 2020. The Board officials attended the session online.

b) Codex Committee on General Principle (CCGP 32)

The 32nd Session of the Codex Committee on General Principles held virtually during February 2021. At the kind invitation of the Government of the French Republic, Spices Board scientists attended the meeting and participated in the discussion.

D. ISO TC 34/SC7

The ISO committee for drafting standards for spices, viz. Technical Committee 34/Subcommittee 7, is chaired by the Director Research, Spices Board. The 30th session of ISO TC34/SC7 was held virtually during June 2020. The Codex cell works in close association with the host secretariat for this committee, Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi and also provides comments for the review/ revision of standards under this committee.

E. Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 9

The 17th meeting of the Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 09 was held virtually during May 2020. The Director Research, Spices Board is the Chairperson of this committee. Spices Board's officials participated in the meeting.



Spices Board officials provided comments for several Indian standards for spices that are under review in this committee, for amending the standards as appropriate. Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi is the host secretariat for this committee and the Codex cell works in close association with BIS.

F. Meeting of the Food & Agriculture Division Council, (FADC)

The 25th meeting of the Food & Agriculture Division Council, (FADC) was held virtually during March 2021. Spices Board officials participated in the meeting.



9

QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Boards' first of its kind laboratory in the year 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution, U.K and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology (DST), Government of India. Quality being considered the prime commitment, QEL, Kochi had always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab got its accreditation under the latest upgraded systems; ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by the British standard institution, U.K during 2018 which is valid upto 06 August, 2021 and ISO/IEC 17025:2017 by the NABL, during 2019 which is valid upto 12 April, 2022.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/international organizations and also to provide the customers timely, reliable and accurate test results, Spices Board expanded its reach by establishing regional Quality Evaluation Laboratories. Seven regional QELs are now in operation at major producing/exporting centers, viz., Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata. The seventh regional QEL established at Kolkata was inaugurated on 5th February, 2021. The eighth regional QEL at Raebareli is expected to be in operation shortly. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, Delhi and Tuticorin are accredited by NABL and the other laboratories are in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of consignment samples under the mandatory inspection of Spices Board, provide analytical services to the Indian spice industry and help to monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analyses as per the requirements of importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results are made online through a software system called 'QUADMAS' and the same is constantly updated.

A. Analytical Services

During the FY 2020-21, the Laboratory continued the analysis of mandatory samples of chilli and chilli products for the presence of Sudan dye I-IV and aflatoxin under the mandatory sampling of consignments of chillies, chilli products, turmeric powder and other food products containing chilli. In addition, analysis of export consignment of sugar coated fennel seeds (for sunset yellow), curry leaves (for pesticides namely profenofos, triazophos and endosulfan to the EU), cumin seeds (for extraneous matter and other seeds) and chilli, cumin and spice mixes (for *Salmonella* to the US) as per the mandatory inspection and testing implemented by the Board.

Testing of spices and spice products such as chilli, cumin, turmeric, black pepper, fenugreek and Small Cardamom in whole and ground form, from India to Japan (excluding oils and oleoresins) for pesticide residues like iprobenfos, profenofos, triazophos, ethion, phorate, parathion, chlorpyrifos and methyl parathion and the analysis of piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments were also done during the period.

Analytical services were also provided for various parameters like other illegal dyes (viz. Para Red,



Rhodamine B, Butter Yellow, Sudan Red 7B & Sudan Orange G), ochratoxin A, detection of mineral oil in black pepper, illegal colorants in cardamom, coumarin content in cassia/cinnamon, etc., apart from the general physical, chemical and microbiological parameters in spices and spice products.

QELs make available to its customers scope of its testing on the website and the same was revised

including more microbiological parameters, which are automated, fast, validated and internationally accepted.

During the financial year 2020-21, the QELs analysed a total of 86,467 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, *Salmonella sp.* and so on.

QEL	Number of				Fee collected (Rs)
	Samples received	Parameters tested	Mandatory parameters tested	Rejected mandatory samples	
Kochi	8511	15641	13280	135	29702560
Tuticorin	2858	4379	2408	29	10051700
Chennai	11113	13274	10910	236	33999550
Guntur	5123	8250	7225	16	18075719
Mumbai	9565	17684	16221	234	37368314
Narela	3052	5480	2807	33	9484855
Kandla	11199	21656	21366	197	19443797
Kolkata	103	103	103	0	301307
	51524	86467	74320	880	158427802

Monitoring of rejections of export to various importing countries like the USA, EU, Japan, Saudi Arabia, etc., are consistently reviewed for the need for expansion of scope of mandatory inspection and testing.

B. Human Resource Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and updating the requirements of various quality systems adopted by the laboratory, the following national/ international training programmes/workshops were attended by the technical staff.

- a) Estimation of uncertainty in chemical, engineering and clinical measurements– online (6-7 August, 2020).

- b) One-day training programme on ‘safety practises in laboratories and work stations’ conducted online by Q-India Consulting Services Private Limited (12th August, 2020).
- c) Estimation of uncertainty in microbiological measurements – conducted online by Q-India Consulting Services Private Limited (14th August, 2020).
- d) Food safety- training on preventive controls for qualified individuals in human food - online meeting through Spices Board RO/ QEL Kolkata (14-18 September, 2020).
- e) LQMS and internal audit as per ISO 17025:2017 - BIS (online) (09-12 March, 2021).

C. Training Programmes

a) Training programmes conducted by QEL

- QEL, Guntur conducted entrepreneurship training programme for horticulture students of Dr YSR Horticulture University on 22nd September, 2020.
- QEL, Guntur conducted a webinar on recent advances in production and processing of chilli and turmeric to *Village Horticulture Assistant (VHA) and Village Agriculture Assistant (VAA)* on 24th September, 2020.

b) Student internship/Academic project works

QEL, Kochi and QEL, Chennai provided guidance and dissertation facilities to 9 students of post-graduation. QEL, Tuticorin provided internship to five students from different colleges/universities.

D. Participation in National/International Events

- a) 26th meeting of the IPC Committee on Quality by virtual mode on 15 July, 2020.
- b) Codex Alimentarius Commission 43rd Session-Virtual (24 September - 06 November, 2020).
- c) Virtual open house panel discussion on 'export promotion and anti-dumping & trade remedies/technical barriers for spice sector' on 13 December, 2020.
- d) 32nd session of Codex Committee on General Principles - Virtual. (08-17 February, 2021).
- e) Meeting regarding National Codex Contact Point of India-CCG on CCSC (Indian delegation pre meet on 26 March, 2021 and in CCFL (Codex Committee on Food Label) CCG on 19 March, 2021).

E. ISO Systems Related Activities

- 1 QEL, Tuticorin successfully completed NABL audit for ISO/IEC: 17025:2017 and received the accreditation certificate for parameters; Aflatoxin, Sudan Dyes, Curcumin, Extraneous and other seeds in cumin, *Salmonella* in October, 2020.
- 2 QEL, Chennai had completed the on-site surveillance audit in March, 2021.

F. Spices Board Check Samples Programme/ Proficiency Testing Programme

- a) During September, 2020, QEL, Chennai conducted Inter-Laboratory Check Sample Programme for various physical, chemical, residual parameters. QEL, Kochi participated in ILC programme conducted by Synthite India Pvt Ltd, in October, 2020. The results were well within the limit of 'Z' score and corrective action was taken wherever deviation was observed.
- b) Under the proficiency-testing programme conducted by various international agencies like FAPAS and Aashvi PT Providers, QEL, Kochi, Tuticorin, Chennai, Narela, Guntur, Mumbai, and Kandla had participated in various physical, chemical, residual and microbiological parameters like; extraneous matter, other seeds, mould growth, living/dead insects, pin heads, insect fragments, insect damaged matter, light berries, piperine, capsaicin, curcumin, moisture, total ash, acid insoluble ash, chromate, colour value, NVEE, volatile oil, crude fiber, total starch, sudan I, sudan II, sudan III, sudan IV, sudan red 7B, aflatoxin B1, total aflatoxin, ochratoxin A, total endosulfan, ethion, BHC isomers, DDT isomers, profenophos, *Salmonella*, total plate



count, Yeast and mould, *Enterobacteriaceae*, *E.coli*, and *Coliforms*. The results were satisfactory and within the limit of 'Z' score.

G. Projects/Standardization Work Undertaken

QEL, Kolkata had undertaken standardization work with regard to aflatoxin in chillies, extraneous/foreign matter in cumin and sudan I-IV dyes in chillies.

H. Strengthening of Labs, Infrastructure and Purchase of Equipment

1. QEL, Kolkata had purchased some of the equipment like LC-MS/MS, 12 position pump,

high speed blender, mixer grinder, hot air oven, hot plate, micropipettes, digit balance, cycloxiometer, deep freezer, cold temperature cabinet, sonicator, centrifuge, master set of weights, filtration assembly for mobile phase preparation, nitrogen evaporator.

2. QEL, Chennai purchased equipment: Waters UPLC/MS, nitrogen generators, centrifuge, cold storage cabinets, nitrogen evaporators, cyclomixer and ultra sonicator.



10

EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused research programmes mainly on crop improvement, biotechnology, crop production studies based on nutrient management and soil analysis, post-harvest studies, monitoring of pesticide residues, crop protection studies based on Integrated Pest and Disease Management in Small and Large Cardamom and adaptive trials on other spices during the reporting period. Transfer of technology was extended to farmers and targeted groups mainly through webinars, WhatsApp groups and through other digital platforms in the background of COVID-19 pandemic during the reporting period. The focus of Training of Trainers (TOT) programmes was to encourage adoption of Good Agricultural Practices (GAP) in cardamom through the practice of Integrated Pest Management (IPM), Integrated Disease Management (IDM), Integrated Nutrient Management (INM) as well as improved post-harvest practices.

A. Crop Improvement

a) Small Cardamom

During the reporting period, three unique accessions of Small Cardamom were collected, multiplied and conserved in the gene bank at ICRI, Myladumpara. At Sakleshpur, four unique accessions of Small Cardamom were collected and multiplied.

The national conservatory of cardamom germplasm at ICRI, Myladumpara currently holds 540 accessions of Small Cardamom and 12 allied genera and in ICRI, RS, Sakleshpur, the gene bank holds 264 accessions of Small Cardamom and 10 allied genera. Digitalization of Small Cardamom accessions in the gene bank at ICRI, Myladumpara is being carried out and digitalization of 100 accessions were completed. Evaluation of 50 accessions of Small Cardamom in the germplasm repository was carried out as part of Preliminary

Evaluation Trial (PET) at ICRI, Myladumpara and 150 Small Cardamom accessions in the germplasm repository was carried out in the ICRI, RS, Sakleshpur. Biochemical characterization of Small Cardamom released varieties and land races were initiated at ICRI, Myladumpara. A new programme for the expansion of cardamom cultivation in non-traditional areas as homestead gardens/under protected cultivation was initiated at Myladumpara and Sakleshpur.

During the current year, 6,445 suckers of released/improved lines of small cardamom were produced and supplied from ICRI, Myladumpara and 7,605 planting materials of selected lines of Small Cardamom were produced and supplied from ICRI, RS, Sakleshpur to the needy farmers. Distributed cardamom seedlings (800 seedlings) from ICRI, RS, Sakleshpur to the farmers of non-traditional areas (Hassan, Arasikere, Subramanya and Puttur districts) in Karnataka and the growth performance was good.

Hybridization programme on Small Cardamom was undertaken at Myladumpara and Sakleshpur. Three promising hybrids are being evaluated at ICRI Farm, Myladumpara. Initiated new hybridization programme with selected land races of small cardamom and hybrids seeds were produced during 2020-21. The F1 hybrid seedlings are being evaluated under field condition at Myladumpara and Sakleshpur. A new Participatory Breeding Programme (PBP) on small cardamom in farmers' field under *in situ* condition was initiated at Myladumpara.

Experiments under ICAR - Spices Board collaborated project; All India Coordinated Research Project on Spices (AICRPS) at Myladumpara and Sakleshpur and PPV & FR Act, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare sponsored Distinctiveness, Uniqueness and Stability (DUS) testing facility at Myladumpara, are being continued.

b) Large Cardamom

During the reporting period, five unique accessions of Large Cardamom were collected and multiplied in the gene bank at ICRI, RS, Sikkim for characterization. During the period, 25 accessions were evaluated based on yield characteristics. Hybridization programme was undertaken and F1 hybrid seeds were sown in nursery for raising seedlings.

Evaluation trial under ICAR- IISR, All India Coordinated Project on Spices (AICRPS) was continued and three accessions were collected and characterization process is in progress. Oil profiling of ten Large Cardamom samples were completed in collaboration with ICAR-IISR, Kozhikode and two major volatile compounds were identified. Demonstration cum nucleus seed production unit of Megha Turmeric-1 variety with high curcumin content was established.

B. Biotechnology**a) Small Cardamom**

Genetic diversity and inter-relationships among different accessions of Small Cardamom from the gene bank and selected land races were carried out using molecular markers. Passport data of all accessions is under compilation.

In Cardamom Transcriptome Project, capsule rot disease related transcriptome analysis is under progress. Sequence data analysis of different samples was carried out for data validation of selected differentially expressed genes. Molecular and morphological characterization of different black pepper genotype work was completed and compiled as part of doctoral research programme.

Morphological characterization of *Fusarium* infected cardamom plant samples from different locations in Idukki District was carried out and processed for further molecular characterization. The isolates were identified

as *Fusarium* spp. by studying morphology and staining patterns and its DNA profiling work is under progress.

Tissue cultured plantlets of Small Cardamom, Large Cardamom, vanilla, ginger, and herbal spices were produced. Cost effective reliable protocols were worked out and maintained all mother cultures. Hands on trainings on molecular and tissue culture techniques were conducted for project students from various colleges.

b) Large Cardamom

Diversity analysis of released varieties and natural cultivars of Large Cardamom revealed high polymorphism. Molecular profiles were developed for 65 accessions of Large Cardamom germplasm. Large Cardamom descriptor work was initiated based on morphological and molecular characterization of natural cultivars. Short listed specific characteristics and prepared important key characteristics for discriminating every natural cultivar.

Nucleic acid isolation protocol as well as virus indexing protocol of Large Cardamom were standardized. Detection of Large Cardamom Chirke Virus (LCCV) through Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) using primers designed for the conserved region of coat protein was standardized. Bioinformatics analysis on transcriptome data of chirke infected Large Cardamom was continued for generating information on disease related markers in Large Cardamom. Identified several differentially expressed genes and its validation is under progress.

C. Agronomy and Soil Science**a) Small Cardamom**

Research projects of Agronomy and Soil Science Division focused on theme areas like soil fertility assessment of cardamom tracts on continuous basis in Kerala, and Tamil Nadu and provided advisory soil services; water management, organic farming, monitoring of pesticide residues, studies on climate change and post-harvest processing.

A research project on 'integrating GIS based soil fertility assessment of cardamom tract and app based fertilizer recommendation for climate resilient cardamom cultivation' was initiated in collaboration with Rubber Board and Digital University of Kerala (DUK -previously known as Indian Institute of Information Technology and Management, Kerala-IIITMK). A tripartite memorandum of understanding (MoU) was signed among Indian Cardamom Research Institute (Spices Board), Rubber Research Institute of India (Rubber Board) and DUK (IIITMK, Govt. of Kerala) during the period and completed collection of 350 geo-referred soil samples from Cardamom Hill Reserve of Idukki district. Continued research to formulate a customized nutrient formulation in cardamom.

A total of 1324 soil samples received from cardamom planters were analyzed for all nutrients and pH levels. The soil test reports revealed soil acidification as a major problem in cardamom growing tracts (60 per cent) necessitating the application of soil amendments (lime or dolomite). Around 50 per cent of the soils were found to have very high phosphorus content necessitating judicious application of phosphatic fertilizers. Among secondary nutrients, the deficiency of sulphur was observed to the tune of 65 per cent of soil samples analyzed. Through outreach programmes, the percentage occurrence of very high phosphorus levels has been reduced by 10 per cent and occurrence of sulphur deficiency by 15 per cent compared to previous year in Idukki district.

A collaborative project entitled 'environmental impact assessment of pesticides in cardamom cultivating areas of Idukki district' is undertaken at Agronomy and Soil Science division, ICRI, Myladumpara in association with the Department of Ground Water, Government of Kerala. During the reporting period, analysed 118 water samples from different locations in the cardamom growing tracts of Idukki District for organo-phosphorus and organo-chlorine pesticides.

Started creating infrastructure facilities for post-harvest studies in spices and six postgraduate students have

completed their dissertation works in spice processing. Standardised the dose of sodium bi-carbonate and sodium hydroxide in pre-curing stage of cardamom for better green colour retention. Standardized protocol in tender cardamom pickling for value addition in Small Cardamom. Evaluated different drying methods on quality attributes in black pepper. Evaluated water quality in terms of physical and chemical parameters from different water sources of cardamom ecosystem in Udumbanchola taluk of Idukki District.

b) Large Cardamom

Nutrient trial to assess the role of boron on growth and yield of Large Cardamom highlighted that foliar application of borax @ 0.5 per cent with soil application of borax @ 2.5 kg /ha recorded the highest dry yield of 561.0 kg/ha with a benefit cost ratio 2.49:1.

Different *in situ* soil moisture conservation practices in Large Cardamom and their impact on yield revealed that trench across the slope plus biomass in trench recorded the highest dry yield of 317.94 kg/ha with the highest benefit: cost ratio of 2.89:1.

D. Plant Pathology

Thirty natural rot escapes lines of Small Cardamom were collected from different locations of Idukki district during the severe monsoon season and maintained in ICRI. The incidences of rhizome rot and capsule rot were recorded. Minimum incidence of rhizome rot was noticed and varied from 2.00 to 3.5 per cent and capsule rot incidence was not noticed in all the escapes.

The study was conducted on the effect of ozone for removal of pesticide residue from fresh cardamom. Results showed that 86.84 per cent of dithiocarbamates residue was removed using ozone treatment during pre-curing process of Small Cardamom. It was also recorded that food pathogenic bacteria such as *Escherichia coli*, and *Salmonella* species were

completely eliminated when treated with ozone at the dose of 200 mg / H for 30 minutes during pre-curing process of Small Cardamom (Fig. 1 & 2).



Fig. 1 Treated with Ozone



Fig. 2 Control (without treating Ozone)

The pesticides such as Copper oxychloride, Fosetyl Aluminium and Dia-fenthiuron (registered under CIB &RC) were found compatible with fertilizers like urea, DAP and MOP in tank mixes. The resultant solution did not show any phytotoxicity on cardamom leaves. New molecules of fungicides were tested against major rot pathogens of Small Cardamom such as *Phytophthora meadii*, *Fusarium oxysporum*, *Rhizoctonia solani*, *Colletotrichum gloeosporioides*. This study may be useful to avoid repeated use of same chemicals which is one of the reasons for pesticide residue in the produce.

E. Entomology

a) Small Cardamom

New insecticide molecules were evaluated for the management of major insect pests in Small Cardamom. Among insecticides tested, Fipronil 5 per cent SC reduced the thrips and Spinosad 45 per cent SC reduced the damages of thrips and borer. Evaluated EPN infected *Galleria* cadavers on soil pests of Small Cardamom, among them EPN @ 4 lakh infected juveniles (ijs) recorded cent per cent damage on root grub and 40-45 per cent on root knot nematode (RKN).



A. Thrips infested cardamom capsules



B. EPN infected Galleria Cadavars

b) Large Cardamom

Insect pest and its natural enemy incidence through surveillance were carried out during the period. Study related to identification of the capsule borer of Large Cardamom and the hot spot of the pest at different altitude in Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal initiated and found infestation from 0.8 to 3.5 per cent. Identified five new nematode species associated with Large Cardamom soil.

F. Transfer of Technology

a) Short term training programmes

Spices Board has signed an MoU with Sree Adichunchanagiri Women's College, Cumbum, Tamil Nadu for imparting training to the students. The training on 'improved agro techniques on Small Cardamom and production of biocontrol agents' for B.Sc., (Biotechnology & Biochemistry) students of Sree Adichunchanagiri Women's College, Cumbum through video conferencing was conducted during 16-17 February, 2021. Around 250 students attended this programme and benefitted.

b) Bio-agent production

The institute has popularized the use of bio-agents for the management of various pests and diseases in spices. ICRI ensures the supply of quality bio-agents for the needy farmers at very reasonable price. The bio-agents such as *Trichoderma harzianum* (1382 L) and *Pseudomonas fluorescens* (1678 L) were produced and supplied to the spice farmers for the management of various diseases on spices during the year 2020 - 2021.

c) Webinars conducted for spice farmers

a) Small Cardamom

Due to COVID-19 pandemic situation during the reporting period, ICRI could not conduct spice clinic programmes at field level. However, 24 webinars were conducted on improved cultivation practices of different spices and 1634 farmers were benefitted out of these programmes. Advisory services were given to 490 farmers through two WhatsApp groups managed by ICRI, Myladumpara.

b) Large Cardamom

An online platform 'ICRI Farmers Interface' was created to overstep the restrictions in social gatherings on account of COVID-19, which could technically address 257 spices farmers of the eight N.E. states and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal. Advisory services were rendered using this platform. Organized five online training programmes covering different aspects of Large Cardamom for farmers of NE region during the period. Conducted four spice clinics in Sikkim region in farmers' field covering 157 farmers during the reporting period. Visited 44 farmers' field and provided location specific advisory covering various aspects of Large Cardamom cultivation.

A study on 'challenge faced by NERAMAC on Large Cardamom procurement in Arunachal Pradesh'

covering 12 districts of Arunachal Pradesh and 140 Large Cardamom growers was conducted and submitted the final report.

Three days' in house training programme sponsored by AICRPS on 'Large Cardamom cultivation under changing climatic conditions' was conducted by ICRI-RS, Tadong during 4-6 March, 2021.

G. General

The 32nd Annual Research Council (ARC) for Small Cardamom was conducted at ICRI Myladumpara on 19 November, 2020 and 28th ARC for Large Cardamom was held at Tadong, Sikkim on 16 June, 2020 during which the progress of research programmes were reviewed. Both the meetings were organized through online platform.

The total annual rainfall recorded at ICRI Myladumpara from April 2020 to March 2021 was 3010.4 mm with 145 total rainy days. The mean annual temperature was 19.83 °C.

During the reporting period, research documents were published in national and international journals, books, popular publications and research presentations were made at various symposia, seminars, and workshops.

Published 'ebook' on RPL project entitled 'Training programme on recognition of prior learning (RPL) for empowerment of farmers engaged in spices cultivation' under Prime Minister's Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and submitted to National Skill Development Corporation (NSDC).

Prepared video on 'method of soil sample collection from cardamom plantation for soil testing'.

Indian Cardamom Research Institute- research farm, Myladumpara (the only accredited black pepper nursery

in Idukki district by the Directorate of Arecanut and Spices Development) is maintaining and distributing planting materials of 22 released high yielding varieties of black pepper for spice growers.

ICRI research farm, Myladumpara has initiated cardamom nursery with a production target of one lakh cardamom suckers of high yielding varieties.

H. Externally Funded and Collaborative Projects

ICRI executed the following projects during the reporting period.

- a) All India Coordinated Research Project on Spices- ICAR, New Delhi: ICRI-Myladumpara, ICRI-RS - Sakleshpur and ICRI-RS - Gangtok are recognized co-opting centers of AICRPS.
- b) DUS (Distinctiveness, Uniformity & Stability) - PPV & FR, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare: ICRI-Myladumpara is recognized as a DUS testing center for Small Cardamom.
- c) Collaborative Project on Cardamom Transcriptome Research with JNTBGRI, Thiruvananthapuram (KSCSTE, Kerala Govt).
- d) Collaborative research & insecticide trial funded by Rallies India, Bangalore.
- e) Collaborative research with Kerala State Ground Water Department for water quality & pesticide residue analysis of water bodies in Cardamom Hill Reserve (CHR) of Idukki district.
- f) Collaborative project on GIS based soil fertility assessment of cardamom tract and app-based fertilizer recommendation under a tripartite MoU with Rubber Research Institute of India and Digital University of Kerala (IIITMK). ■

11

INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of Spices Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations are replaced with online systems which effectively reduce the workload of various departments of the Board and reduce the turnaround time for their operations. EDP department facilitates the use of information technology in various departments of Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

Main Activities of EDP Department

- Advising, guiding and assisting various departments and offices of the Board for effective use of information technology.
- Help desk management for existing applications, messaging solutions, internet and website maintenance.
- Administration of organization wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipment.
- Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.
- Upgradation of IT infrastructure.
- Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software.
- Data processing.
- Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.
- Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application softwares.
- Maintenance and update of the Board's websites *indianspices.com*, *spicesboard.in*,

indianspices.org.in, *worldspicecongress.com* and *ccsch.in*.

- Formulate and conduct computer training programmes.

Major Achievements during 2020-21

- (a) Moved Certification of Registration as Exporter of Spices(CRES) and Export Support System(ESS) applications used by the marketing department to https using SSL.
- (b) Introduced a fully online application system for exporters, registration along with payment gateway as part of ease of doing business; now CRES is issued through eight Regional Offices of the Board.
- (c) Started implementation of Service Plus application of NIC for the use of development department.
- (d) Various services have been integrated to UMANG platform.
- (e) Started implementation of NSWS (National Single Window System) applications for the marketing department.
- (f) Farmers' Mobile App was developed to assist farmers and to provide information on various agricultural practices.
- (g) Health Certificate was modified as per the United Nations' (UN) guidelines.
- (h) Dealer and Auctioneer registration forms and reports updated.
- (i) APAR application was enhanced with new functionalities.
- (j) Export Support System was modified to support issuance of NOC and undertakings for samples.
- (k) Websites *indianspices.com* and *spicesboard.in* were updated with latest information and new design. ■

12

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by the Parliament and the assent of the President was obtained on 15th June, 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board has effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has designated the Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in HO has also been nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki also been designated under Section 5(2) of the Right

to Information Act, 2005 to disseminate information under Right to Information Act, 2005. The Director (Administration) is nominated as Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Deputy Director (A&V), Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines of the RTI Act, 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2020-21, a total of 96 RTI applications were received through the online portal and physically. 16 appeals were also received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. No CIC hearing was held during this period. An amount of Rs 220/- was received as RTI registration fee and an additional amount of Rs 724/- collected as photocopy charges for providing information. The quarterly RTI returns (1st quarter to 4th quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.

Appendix I

Reply for the Separate Audit Report of Annual Accounts of the Spices Board for the year ended 31st March 2021.

	Paras in Statutory Audit Report 2020-21	Reply/Action proposed
A	Balance Sheet	
1.	Corpus/Capital Fund & Liabilities Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): Rs 241.82 crore	
	The above is understated by Rs 4.85 crore due to non-provisioning for advances which has been pending recovery since 2010-11 from Government of Gujarat and for advances the details of which are not available with the Board. This has also resulted in understatement of deficit by Rs 4.85 crore.	The matter has been already taken up with Gujarat State Government for refund of the amount, with frequent follow-up of the same. Once it is received from Gujarat Government, it will be informed to the Audit. The observation made by the audit has been well noted, necessary correction will be incorporated during 2021-22.
2.	Current Assets, Loans, Advances and other assets (Schedule 11): Rs 193.43 crore	
	The above is overstated by Rs 1.34 crore due to double accounting of a Short Term Deposit. This has resulted in understatement of expenditure and deficit by Rs 1.34 crore.	This has occurred due to system error and the same could be identified only during the current Financial Year. Necessary correction will be incorporated during the FY 2021-22.
B	Income & Expenditure Account	
	Expenditure	
	The provisions pertaining to gratuity, superannuation/ pension and accumulated leave encashment amounted to Rs 226.23 crore was made on the basis of actuarial valuation conducted in the year 2015-16. However, as per the actuarial valuation report as on 31 March 2021 the total liability pertaining to these items amounted to Rs 348.72 crore. Besides this, various expenses involving a total amount of Rs 0.53 crore pertaining to the year 2020-21 were accounted in the year 2021-22 for which no provision was made in the accounts for the year 2020-21. This has resulted in understatement of expenditure and current liabilities & provisions by Rs 123.02 crore.	We have initiated timely action for preparation of Actuarial Valuation as per Audit observation, but meantime due to the second wave COVID pandemic situation, we have received the final report after submission of Annual Accounts of 2020-2021. Based on the present actuarial valuation report, necessary provision will be provided in the Annual Accounts for the year 2021-22. The Board has following imprest system of accounting for each Field unit. The amount spend from their imprest for their day to day activities are sent to HO with an expenditure wise split up. The same will be recouped to the concerned filed unit after making the expenditure head wise voucher entry in the Accounting Software. So in case of vouchers related to the month of March, in which the FY is ending is recouped in the month of April on receipt of same from field units. As per the Audit observation necessary provisions will be provided during the FY 2021-22.



C	General	
	The Board has not included the Income & Expenditure Account and Balance Sheet of GPF in the Financial Statements of the Board but included only consolidated figures of the same. The Board is preparing separate Income & Expenditure Account and Balance Sheet for General Provident Fund (GPF). Hence, the details of subscriptions, withdrawals, terminal payments and administrative expenses, etc. pertaining to GPF are not shown in the Financial Statements of the Board.	It may please be noted that the Board used to show a consolidated status of the GPF in its books of account. But a separate balance sheet, Income and Expenditure account and trial balance are maintained for GPF from which the consolidated status is taken and shown in the Final Accounts Schedule. The detailed GPF statements have been submitted to audit during the Audit Period.
1	Adequacy of Internal Audit System	
	During the year 2020-21, Internal Audit Division of the Board has conducted audit of only 10 out of 84 offices (including Head Office) of the Board. The Board stated that the internal audits could not be conducted as envisaged due to COVID Pandemic.	Due to COVID situation and restrictions on travel, the IA division of the Board was able to conduct Internal Audit in respect of 10 offices only. It may also please be noted that, staff strength of the Board is far below its sanctioned strength. The internal audit system will be strengthened and increased as soon as the COVID situation eases and vacancies are filled up.
2	Adequacy of Internal Control	
	Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Board.	It may please be noted that, Board is facing acute shortage of staff due to retirement. Despite this, effort will be made to strengthen the internal control system as advised by audit.
2.1	The Board has not prepared the bank reconciliation statements for two of its bank accounts.	World Spice Congress is a bi annual event conducted with the budget support of exporters. Hence it is not part of the Board's accounts, as no plan fund of the Board is utilized for it. It may please be noted that the last event was conducted during 2016. But as suggested by the audit, the Board registered the event officially as AOP and also a letter has been forwarded to the Ministry for approval. So it may please be noted that a separate bank account is opened for the same and separate books of Accounts will be maintained as suggested by the Audit. The account of the Board in Central Bank of India: The Board has made several communication to obtain bank statements from Central Bank of India. Since there was no transaction in the account, the amount was transferred to deaf account by the bank. Though we have followed up the matter continuously, we have not received the statement, which handicapped the Board in the preparation of reconciliation statement. We have received the bank statement during the month of August 2021 and same is reconciled now.

2.2	<p>Non-migration of data from previous accounting software resulting in non-availability of details has rendered the accounts deficient.</p>	<p>The iDempire (Accounting software) will carry forward the opening balance of all account heads including income, expenditure, asset and liability codes, etc., to the next year, as clarified by the software developers it is not possible to block the system from carry forwarding the closing balance of income and expenditure codes. Then the other way out is to pass a journal entry to set off all the income and expenditure codes after completing a financial year. If done like that as they have said, there is an another issue - the expenditure report of the previous year, for which we have passed the set of entry, will be nil. As we have to retain the expenditure details of the previous years for any future requirement from the Ministry/Audit we cannot do this also. Due to this the Board used to prepare the Closing balance of the previous year manually from the previous year balance sheet and add the current year transaction to it for arriving the closing balance and prepare the schedules accordingly.</p>															
2.3	<p>As per Rule 229 (xi) of General Financial Rules (GFR), Autonomous organizations with a budgetary support of more than Rs 5 crore per annum should be required to enter in to a Memorandum of Understanding (MoU) with the Administrative Ministry or Department, spelling out clearly performance parameters, output targets in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output, along with commensurate input requirements. The output targets given in measurable units of performance should form the basis of budgetary support extended to these organizations. The roadmap for improved performance with clear milestones should form part of the MoU. The Board has not executed MoU with Administrative Ministry during 2020-21 as required under above provisions of GFR.</p>	<p>The details of approved scheme budget of the Board and the fund released during the MTF plan period is given below.</p> <table border="1" data-bbox="820 1250 1419 1595"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Approved Budget (Rs. crore)</th> <th>Fund Released (Rs. crore)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-18</td> <td>172.25</td> <td>97.01</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>151.00</td> <td>90.93</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>168.53</td> <td>105.00</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>120.00</td> <td>100.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>Since there is difference in the approved budget and actual fund released each year, executing an MoU with the approved budget allocation may not be realistic. In view of this, the Administrative Ministry of the Board had not insisted for an MoU during the MTF plan period. Hence, Board has not executed the MoU with the Ministry during the above period.</p>	Year	Approved Budget (Rs. crore)	Fund Released (Rs. crore)	2017-18	172.25	97.01	2018-19	151.00	90.93	2019-20	168.53	105.00	2020-21	120.00	100.65
Year	Approved Budget (Rs. crore)	Fund Released (Rs. crore)															
2017-18	172.25	97.01															
2018-19	151.00	90.93															
2019-20	168.53	105.00															
2020-21	120.00	100.65															



3	System of physical verification of Assets and Inventories	
	<p>During the year 2020-21, the Board has not conducted the physical verification of Fixed Assets and Inventories.</p>	<p>Inventory - The Board used to collect the stock of cardamom, pepper and coffee from ICRI Myladumpara and the value of chemicals at all the QELs and the same have been shown as the stock of items during every financial year end. This year also the Board has shown the same.</p> <p>Fixed Asset - It may please be noted that all the Outstation offices of the Board are maintaining the Asset register and updating it, and handing over & taking over as and when the staffs are transferring/retiring/joining the Board's offices. Periodically the assets are verified at their end itself. Due to the prevailing COVID pandemic situation and restrictions on travel, the Board found it difficult to conduct physical verification of Fixed Assets.</p> <p>However, the Board will initiate necessary action to conduct physical verification of Fixed Asset during the FY 2021-22.</p>



Promoting Heritage, Hygiene & Health



Spices  India
FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489